ISSN 2348-2222

सामाजिक निर्वचन

(द्विभाषिक अन्तर्विषयी सान्दर्भिक शोध पत्रिका)

वर्ष : 2 **अंक : 4** **जुलाई–दिसम्बर 2015**

प्रकाशक
बाबूजी सर्वयश सेवा संस्थान
लखनऊ (भारत)

संपादक
डॉ0 अरुण कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
मो0 : 09451244849
ई–मेल : drarunksingh@rediffmail.com

परामर्शदातृ मण्डल

प्रो0 मोहम्मद मुजम्मिल,
कुलपति, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।

प्रो0 नदीम हसनैन,
पूर्व अध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

प्रो0 विनोद कुमार श्रीवास्तव,
पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर वि0वि0, गोरखपुर।

प्रो0 रवि प्रकाश पाण्डेय,
पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रो0 संजय भट्ट,
समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

प्रो0 राम गणेश यादव,
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

प्रो0 योगेन्द्र सिंह,
इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अनुक्रमणिका

1. **Analysis of Trends in Employment, Wages and Productivity in Indian Agriculture** **1-13**
Dr. Ajay Singh Yadav, *Assistant Professor*
Department of Commerce, Unity Degree College, Lucknow

2. **Ownership Issue of Groundwater : Legislation and Judicial Approach** **14-17**
Satyendra Kumar, *Research Scholar*
Department of Law, School for Legal Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (A Central University) Lucknow

3. **दूधनाथ सिंह की कहानियों में आधुनिकता बोध** **18-40**
अजय कुमार, *शोध–छात्र*
हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

4. **भोजपुरी : शालीनता से अश्लीलता तक** **41-51**
डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह, *असिस्टेंट प्रोफेसर*
समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, लालपुर, वाराणसी

5. **जनमत निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका** **52-60**
डॉ0 तरुण कान्त त्रिपाठी, *असिस्टेंट प्रोफेसर*
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, शिया डिग्री कालेज, लखनऊ

6. **भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु के सामाजिक कारक** **61-65**
उमा कान्त यादव, *शोधछात्र*
समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

7. **संस्कृति : इतिहास के भारतीय सन्दर्भ** **66-70**
डॉ0 संध्या सिंह, *अध्यक्ष (हिन्दी विभाग),*
डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, लखनऊ

8. **आधी आबादी बनाम पुरूष प्रधान राजनीतिक दलों का राजनीतिक छल** **71-84**
डॉ0 सविता शाही, *असिस्टेन्ट प्रोफेसर*
राजनीति शास्त्र विभाग, डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, लखनऊ

9. **स्वतंत्रता आन्दोलन में छात्रों की भूमिका एवं वर्तमान छात्र राजनीति में विचलन : एक ऐतिहासिक अध्ययन** **85-92**
धनेश पाण्डेय, पूर्व शोधछात्र

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

10. महिला शिक्षा के सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव **93-105**
मनोज गौतम, *असिस्टेंट प्रोफेसर*
समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला पी0जी0 कालेज, अदलहाट, मिर्जापुर

11. विनोबा भावे की सर्वोदय विचारधारा एवं भूदान आन्दोलन **106-115**
प्रिया सोनकर, *शोधछात्रा*
राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

12. अज्ञेय और इलियट : सृजन प्रक्रिया विचारों का अनुशीलन **116-120**
अवनीश कुमार सिंह, *शोध छात्र*
हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

13. वेदों में नारी का महत्व **121-124**
डॉ0 ज्योति रानी जायसवाल, *असिस्टेन्ट प्रोफेसर*
प्राचीन इतिहास, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

Analysis of Trends in Employment, Wages and Productivity in Indian Agriculture

* Dr. Ajay Singh Yadav

ABSTRACT

Agriculture plays a significant role in overall socio-economic development. Despite a fall in its share GDP, the importance of agriculture has not diminished due to highly dependence of the rural workforce on agriculture for employment. Agricultural labour constitutes an overwhelmingly predominant share in the rural workforce. Present study analysis relationship exists between employment, labour productivity and wages in agriculture. Analysis of trends in Employment, Wages and Productivity in Indian Agriculture clearly indicate that with the progress and development of Indian economy, workforce is moving away from agriculture sector. There is contineous decrease in percentage of cultivators in rural population. Agricultural labourer per cultivator is also contineously decreasing, indicating the scarcity in agricultural labourer. Study suggested that with the decreasing labour force in agriculture, increasing yield or productivity is the key to growth, which has to be accelerated. Shortage of labour and finding solutions thereof should become a major focus.

INTRODUCTION

India is primarily an agricultural economy. Agriculture is the largest source of livelihood and half of India's population is wholly or significantly dependent on agriculture and allied activities. Agricultural growth has always been an important component for inclusiveness, and recent experience suggests that high GDP growth without high agricultural growth is likely to lead to acceleration in inflation in the country, which would adversely affect the larger growth process (GOI, 2011).

* Assistant Professor, Department of Commerce, Unity Degree College, Lucknow, e-mail : ajaysinghyadav80@yahoo.in, Mob : 9450249408

The contribution of agricultural sector to GDP has continued to decline over the years, while that of other sectors, particularly services, has increased. In 1970-71 agriculture contributed about 44 percent of GDP, which declined to 31.4% and 14.6% in 1990- 91 and 2009-10 (at 2004-05 prices), respectively (CSO, 2011). Nevertheless, agriculture remains a major source of employment, absorbing about 52% of the total national work-force in 2004-05, down from about 70% in 1971. The share of agricultural exports in total export value declined from about 18.5% in 1990-91 to about 10.6% in 2009-10, while share of agricultural imports to total national imports increased from 2.8% in 1990-91 and reached a high of 8.2% in 1998-99 and declined to about 4.4% in 2009-10 (GOI, 2012) . Importance of agriculture in a country like India is not likely to decline due to concerns for food security, employment, rural poverty and availability of wage goods (Vyas, 2003).

Despite a fall in its share GDP, the importance of agriculture has not diminished for two major reasons. First, the country achieved self-sufficiency in food production at the macro level and second, the dependence of the rural workforce on agriculture for employment has not declined in proportion to the sectoral contribution to GDP. This has resulted in widening the income disparity between the agricultural and non-agricultural sectors (Chand & Chauhan, 1999) .

One of the most distinguishing features of the rural economy of India has been the growth in the number of agricultural workers, cultivators and agricultural labourers engaged in crop production. The phenomena of underemployment, under-development and surplus population are simultaneously manifested in the daily lives and living of the agricultural labourers. They usually get low wages, conditions of work put an excessive burden on them, and the employment which they get is extremely irregular (Padhi, 2007:23).

Agricultural labour constitutes an overwhelmingly predominant per cent in the rural workforce (GOI, 1989). Agriculture accounts for almost 60% of aggregate employment in India. Employment in agriculture is rural-based (97%); but it is depressing to note that in the rural sector the rate of growth of agricultural employment is abysmally low (0.01%) and was insignificant during the ‘90s. The corresponding growth during the ‘80s was moderate and significant (1.18%) (Jha, 2006) .

It is an established trend that as an economy matures, there is a movement of agricultural workers from low productivity agriculture to higher productivity sectors. However in India, the trend has not been limited to just declining share of agriculture in total employment but also has led to a significant decline in absolute number of people employed in the agricultural sector. A comparison across two time periods, 2004-05 and 2011-12, indicates that while there was an increase in the size of the total workforce in the country, the size of the agricultural workforce reduced by 30.57 million people. The share of agricultural workforce in total workforce declined from 56.7% to 48.8% in the same period. This brings to the fore that fewer people are being added to the workforce in agriculture and highlights the net migration to other sectors.

After liberalisation of Indian economy in early 1990s, India's GDP growth rates have been picked up and there is a sign of speeding up of structural transformation in Indian economy with the share of agriculture in GDP reduced to 12%. However, still more than half of the labor force depends on agriculture, which shows that the structural transformation in employment is slower and productivity differences between agriculture and non-agricultural sector is growing. The high economic growth has not been able to translate itself into increase in the wages and earnings of the workforce. Majority of the labor benefited from the increased growth rates in GDP through its effects on the raising wage rates and productivity gains mainly in urban centres, however the trickle down effects of these benefits to rural areas is questionable. Many observe that since last decade, labor shortages in rural India have become an issue. Farmers in rural areas blaming it on Employment Guarantee Scheme (MGNREGA), but there is no concrete evidence to prove this, some are also claiming that the faster growth of the economy and non-farm sector are the main reasons, which is in fact is a good sign (Reddy, 2013).

There are studies reporting deceleration in the productivity growth in agriculture. Real wages in agriculture however, maintained an increasing trend. Increase of real wages in agriculture in the context of growth in agricultural income and a stagnation of agricultural employment is important. In this situation the **kind of relationship that exists between employment, labour productivity and wages in agriculture** needs to be investigated.

OBJECTIVES

- to study the cropping intensity, sex ratio in labour market, prevalence of child labour and methods of wage payment.
- to study the wage differentials among male, female and child labourers, the number of days available to them in various agricultural operation;
- to find out the relationship between wage rate, labour productivity and level of employment;

REVIEW OF LITERATURE

Chandrasekhar & Ghosh (2008) found that the employment and unemployment growth rates are higher for the rural areas, than for the urban areas. The reason they found in this case is that, rural areas mostly have labour intensive economic activity, which leads to high employment rate in these regions. But at the same time, most of them are primarily engaged in the agricultural sector which is seasonal. This leads to high unemployment rates in the rural areas.

Sreedhar & Kumar (2012) opined that employment in agriculture is mostly seasonal and intermittent in character. The labourers suffer with seasonal unemployment. During the periods of peak agricultural activity, the demand for labour is high and during the off season they have to face acute unemployment problem. In the areas where multiple cropping is practiced, the labourers get employment throughout the year with minimum period of unemployment.

Nithyashree & Pal (2013) analysed the recent trends in growth of agriculture, income and employment in India. The study reported a shift from the households' self-employment in agriculture and agricultural labours towards self-employment in non-agricultural sector, which has accentuated labour scarcity in the rural areas. The study suggested that appropriate policies should be evolved to promote skill development and generate employment opportunities in the non-farm sector in the rural areas in order to increase livelihood, food and nutritional security, reduce the regional disparity and alleviate rural poverty in the country.

Reddy (2013) assessed trends in rural wages along the Lewis continuum through wage rates data. Results of the study show a clear rising trend in real wage rates since 1995, and then accelerated from 2007 onwards at least in developed states like Punjab, Haryana and

Tamil Nadu. Less participation in public works program in Punjab and Haryana also indicates no surplus labor. This confirms that at least developed states in India crossed the Lewis Turning Point. The acceleration of real wages even in slack season indicates that the era of labor shortage is started in rural areas especially in developed states like Tamil Nadu, Haryana, Punjab and Andhra Pradesh, which needs to be tackled through labor saving technology and wide scale farm mechanisation. On the other hand it appears that the underdeveloped states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar are not reached the LTP and needs to develop policies to increase productivity of rural labor in these backward states

Venkatesh (2013) examined shift in rural employment pattern, trends in rural wages and agricultural growth, and relationships between agricultural wages, productivity and rural non-farm employment (RNFE) in India. Study observed that although the wages were lower for farm labours than non-farm labour, the growth rate of agricultural wages has been higher than of non-farm wages. The wage determinant analysis has revealed that agricultural productivity and RNFE have a positive influence on agricultural wages, while labour availability (labourland ratio) and high dependency on agriculture pull down the wage rates. Study confirmed that the growths of agriculture and RNFE have trickled down to the agricultural labour, indicating an inclusive growth. The study concluded that policies directed towards improving agricultural productivity and promoting RNFE would provide better agricultural wage rates and assure rural livelihood security.

Berg, et al. (2015) estimated the impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) on agricultural wages. The rollout of MNREGA in three phases is used to identify difference-in-difference estimates of the programme effect. Using monthly wage data for the period 2000-2011 from 209 districts across 18 Indian states, study find that, on average, MNREGA boosts the growth rate of real daily agricultural wages by 4.3% per year. The effect is concentrated in some states and in the agricultural peak season. The effect appears to be gender-neutral and biased towards unskilled labour. Study concluded that rural public employment programmes constitute a potentially important anti-poverty policy tool.

RESEARCH METHODOLOGY

The study is based on secondary sources, NSSO data, Agricultural Wages in India (AWI), compiled and published by the Directorate of Economics and Statistics, Census Report, Rural Labour Enquiry Reports on Wages and Earnings, Labour Bureau, Ministry of Labour Chandigarh/Shimla, Ministry of Agricultural, Employment and Unemployment Situation in India (NSSO) and other publications, books, journals, reports and government publications.

TECHNICAL TERMS USED

Labour force refers to the population which supplies or offers to supply labour for pursuing economic activities for the production of goods and services

Labour force participation rate *(LFPR)* is defined as the number of persons in the labour force per 1000 persons.

Worker-population ratio (WPR) is defined as the number of persons employed per 1000 persons.

Earnings refer to the wage/salary income receivable for the wage! salaried work done during the reference week by the wage/salaried employees and casual labourers. The wage/ salary receivable may be in cash or in kind or partly in cash and partly in kind. The kind wages are evaluated at current retail prices. Bonus and perquisites evaluated at retail prices and duly apportioned for the reference week are also included in earnings. Amount receivable as 'overtime' for the additional work done beyond normal working time is also included.

Agricultural labourer is a person who follows one or more of the following agricultural operations in the capacity of labourer on hire or in exchange, whether paid wholly in cash or kind or partly in cash and partly in kind:

- farming including cultivation and tillage of the soil, dairy farming, etc.,
- production, cultivation, growing and harvesting of any horticultural commodity,
- raising of livestock, bee-keeping or poultry farming, and
- any practice performed on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations (including any forestry or timbering operations) and the preparation for market and delivery to storage or to market or to carriage for transportation to market of farm produce.

Manual work in fisheries is excluded from the coverage of agricultural labour. Further, 'carriage for transportation' refers only to the first stage of the transport from farm to the first place of disposal.

Trends in Cultivated Area, Production and Yield of Major Crops

Table 1 : Area, Production and Yield of Major Crops

(Area in Lakh hectare, Production in Million Tonnes, Yield in kg/hectare)

Crops	Area			Production			Yield		
	11-12	12-13	13-14	11-12	12-13	13-14	11-12	12-13	13-14
Rice	440.06	427.54	439.49	105.30	105.24	106.54	2393	2462	2424
Wheat	298.65	300.03	311.88	94.88	93.51	95.91	3177	3117	3075
Cereals	264.22	247.62	256.73	42.01	40.04	43.05	1590	1617	1677
Pulses	244.62	232.57	252.27	17.09	18.34	19.27	699	789	764
Foodgrains	**1247.55**	**1207.76**	**1260.37**	**259.29**	**257.13**	**264.77**	**2078**	**2129**	**2101**
Oilseeds	263.08	264.84	285.25	29.80	30.94	32.88	1133	1168	1153
Sugarcane	50.38	49.99	50.12	361.04	341.20	350.02	71668	68254	69839
Cotton@	121.78	119.77	117.27	35.20	34.22	36.59	491	486	532
Jute #	9.05	8.63	8.51	11.40	10.93	11.58	2268	2281	2449

@ Production in million bales of 170 kg each

 # Production in million bales 180 Kg. each

Source : GOI (2015), Annual Report 2014-15, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi, p. 2.

As per the land use statistics 2011-12, the total geographical area of the country is 328.7 million hectares, of which 140.8 million hectares is the reported net sown area and 195.2 million hectares is the gross cropped area with a cropping intensity of 138.7%. The cropping intensity was 124.23% in 1983-84 which has contineously increased to 129.96% in 1993-94, further to 137.78% in 2008-09. It clearly indicate that the increased demand for food puts agricultural land under stress resulting in crop intensification.

Trends in Gross Capital Formation (GCF) in Agriculture and Allied Sector

Items included in the estimates of GCF in agriculture are; improvement of land and Irrigation works, laying of new orchards and plantations, purchase of agricultural machinery and implements agriculture construction works, additions to livestock, fishing boats and nets, etc.

Agriculture provides employment to not only the adult males of a households but also to women on the households. Women work extensively in production of major grains and millets, in land

preparation, seed selection and seedling production, sowing, applying manure, weeding, transplanting, threshing, winnowing and harvesting.

Table 2 : Gross Capital Formation (GCF) in Agriculture and Allied Sector relative to Gross Domestic Product (GDP) at 2004-05 prices

(Rs in Crore)

Year	GCF in Agriculture	GDP	GCF as % of GDP
2006-07	92057	619190	14.9
2007-08	105741	655080	16.1
2008-09	127127	655689	19.4
2009-10	133162	660987	20.1
2010-11	132734	717814	18.5
2011-12	157172	753832	20.8
2012-13	162084	764510	21.2

Source: *Central Statistics Office*

GCF in Agriculture and Allied Sector relative to GDP in this sector has been showing a steady increasing trend from 14.9% in 2006-07 to 21.2% in 2012-13.

Trends in Structure of Workforce

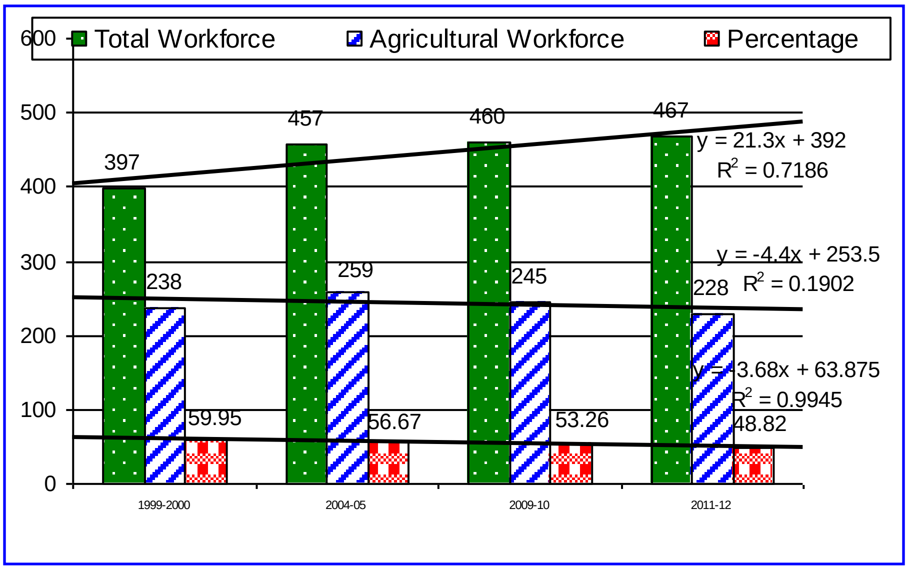

Fig 1 : Trends in Structure of Workforce

It has been observed that over time that as economies progress and move towards development, workforce tends to move away from

agriculture sector as percentage of people employed in agriculture has been consistently declining, from 59.95% in 1999-00 to 48.82% in 2011-12.

Trends in Agricultural Workers in India

Population of India has increased from 43.92 crore in 1961 to 121.06 crore in 2011, but its decadal growth rate is having contineous decreasing trend. In the same period rural population has increased from 36.03 crore to 83.35 crore with a sharp decrease in decadal growth from 21.84% to 12.24%.

Table 3 : Population and Agricultural Workers (India)

(in Millions)

Year	Total Pop.	Rural Population		Agricultural Workers					
				Cultivators		Agri. Labour		Total	
		Pop.	%	Pop.	%	Pop.	%	Pop	% to RP
1961	439.2	360.3	82.0	99.6	76.0	31.5	24.0	131.1	36.4
1971	548.2	439.0	80.1	96.2	66.9	47.5	33.1	143.7	32.7
1981	683.3	525.6	76.9	92.5	62.5	55.5	37.5	148.0	28.2
1991	846.4	630.6	74.5	110.7	59.7	74.6	40.3	185.3	29.4
2001	1028.7	742.6	72.2	127.3	54.4	106.8	45.6	234.1	31.5
2011	1210.6	833.5	68.8	118.7	45.1	144.3	54.9	263.0	31.6

Source : Computed from various Census Reports of India

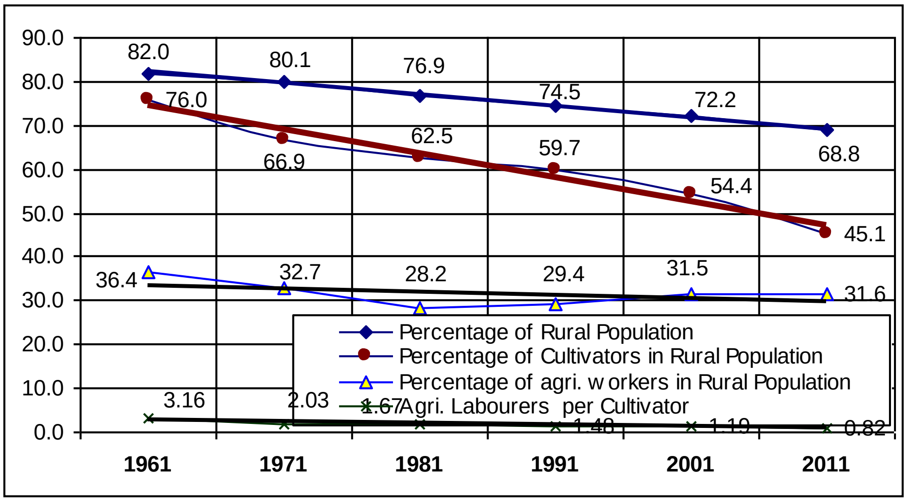

Fig 2 : Population and Agricultural Workers in India

Fig. 2 shows that there is contineous decrease in percentage of cultivators in rural population. Although percentage of agricultural labourer is having mixed trend but agricultural labourer per cultivator

is contineously decreasing, indicating the scarcity in agricultural labourer.

Trends in Agricultural Wages:

A comparison of remunerations for farmers across crops shows that a farmer only earns Rs. 2,400 per month for each hectare of paddy and Rs. 2,600 per month for a hectare of wheat. Farm labourers on the other hand earn less than Rs. 5,000 per month. An average industrial worker on the other hand earns close to Rs. 7,000 per month while a construction worker earns over Rs. 8,000 per month. Additionally, jobs in the non farm sector are available round the year unlike agriculture jobs which are seasonal in nature. For women, the agricultural daily wages are between 15% to 30% lower than those of men depending on the agricultural activity.

Table 4 : Wages for Different Occupation

(In Rs.)

Occupation	2007-08	2011-12	2014-15
INDUSTRIAL WORKS			
Manufacturing	204	287	549
Industries	167	230	448
NON FARM WORKS			
Mason	143	278	385
Carpenter	130	250	349
Blacksmith	99	196	287
Tractor drivers	99	214	298
AGRICULTURAL WORKS			
Ploughing	91	165	270
Sowing	79	145	235
Harvesting	75	142	239
Picking	72	142	202
Transplanting	74	135	222
General	70	127	227

Source : Various Reports on Wages and Earnings, Labour Bureau, Chandigarh

Comparison of wages in farm and non farm employment reveals that many simple jobs in non-farm sectors offer higher wages. Daily wage of a mason in construction is more than double the average wage for weeding and close to double that of ploughing. Wages for non farm professions like carpentry, drivers, blacksmith etc are at least 15-20% higher than agricultural wages. Manufacturing wages when compared to agricultural professions are more than 2 times which clearly explains the preference for these sectors.

Table 5 : Difference in wages (In terms of ratio)

Occupation	2007-08	2011-12	2014-15
Manufacturing to Non farm works	1.73	1.22	1.66
Industrial to Non farm works	1.42	0.98	1.36
Manufacturing to Agricultural works	2.66	2.01	2.36
Industrial to Agricultural works	2.17	1.61	1.93

Source : Computed from various Reports on Wages and Earnings, Labour Bureau, Chandigarh

CONCLUSION

Analysis of trends in Employment, Wages and Productivity in Indian Agriculture clearly indicate that the increased demand for food puts agricultural land under stress resulting in crop intensification. Gross Capital Formation in Agriculture and Allied Sector has also been showing a steady increasing trend. It is observed that with the progress and development of Indian economy, workforce is moving away from agriculture sector.

There is contineous decrease in percentage of cultivators in rural population. Agricultural labourer per cultivator is also contineously decreasing, indicating the scarcity in agricultural labourer. There are many reasons for this, e.g. jobs in the non farm sector are available round the year whereas agriculture jobs are seasonal in nature. Many simple jobs in non-farm sectors offer higher wages. Wages in manufacturing and industrial sector are more than 2 times to agricultural workers.

Agriculture plays a significant role in overall socio-economic development. Therefore, fostering rapid, sustained and broad-based growth in agriculture remains key priority for the country. With the decreasing labour force in agriculture, increasing yield or productivity is the key to growth, which has to be accelerated. Shortage of labour and finding solutions thereof should become a major focus.

REFERENCES

Berg, E., S. Bhattacharyya, D. Rajasekhar & R. Manjula (2015), Can Public Works Increase Equilibrium Wages? Evidence from India's National Rural Employment Guarantee, Policy Paper on Improving Institutions for Pro-Poor Growth, Department for International Development, Government of U.K., London, 2 December.

Bhalla, G.S. (2008), "Globalization and Employment trends in India" Indian Journal of Labour Economics, 51(1): 1-23, The Indian Society of Labour Economics, New Delhi.

Bhalla, S. (1993), The dynamics of wage determination and employment generation in Indian agriculture. *Indian J. Agric. Econ.*, 48(3): 448-470.

Chand, Ramesh & A.K. Chauhan 1999. Liberalization Of Agricultural Trade And Net Social Welfare : A Study Of Selected Crops, EPW, Dec.1999.

Ghose, Ajit K., Chandrasekhar (2008), *The Global Employment Challenge*, Geneva, ILO.

Habber, B.G. & S. Bisaliah (1987), Stability in Seasonal Labour Absorption Under Dryland Farming. Artha Vijnana, Vol. 29, No. 3, pp. 262-285.

Jha, Brajesh (2006), Employment, Wages and Productivity in Indian Agriculture, Working paper Serries, Institute of Economic Growth, University

Kannan, Elumalai & Sujata Sundaram (2011) Analysis of Trends in India's Agricultural Growth ISBN 978-81-7791-132-9

Narang, R.S. & S.M. Virmani (2001). Rice-Wheat Cropping System of Indo-Gangetic Plain of India.

Nithyashree, M.L. & Suresh Pal (2013), Regional Pattern of Agricultural Growth and Rural Employment in India : Have Small Farmers Benefitted? *Agricultural Economics Research Review*, vol. 26, issue 2.

Padhi, Kulamani (2007), Agricultural Labour in India - A Close Look, Orissa Review, February-March, 2007: 23-25

Reddy, A.A. (2013), Trends in Rural Wage Rates : Whether India Reached Lewis Turning Point, Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi, September 5.

Reddy, D.N. & M. Venkatanarayana (2013), Declining Labour Use in Agriculture : A Case of Rice Cultivation in Andhra Pradesh, MPRA Paper No. 49204, pp. 1-38.

Sharma, & Kumar (2003), functioning of agricultural labour market: Micro evidence from an agricultural developed region of Himachal Pradesh. *Indian J. Agric. Econ.*, 58(4): 695 -714.

Sharma, H.R.(2001), "Employment and Wage Earnings of Agriculture Labourers : A State Wise Analysis." *Indian Journal of Labour Economics*, Vol. 44, No.l.

Shiyani, R.L. & Vekariya, S.B. (1999), Role of women in groundnut and wheat production in south Saurashtra zone of Gujarat. *Indian J. Agric. Econ.*, 54(3): 318.

Sreedharan; N. & I. Narendra Kumar (2012), Gender Discrimination In Agriculture Sector - A Study In Andhra Pradesh, *Z.I.J.B.E.M.R.*, Vol. 2 Issue1, January. P. 245.

Thomas, J.J. (2014), The Demographic Challenge and Employment Growth in India. *Economic and Political Weekly*, Vol. XLIX, No. 6.

Tomer, B.S., Singh, V.K. & Khatkar, R.K. (2000), Pattern of land lease and labour use in Haryana agriculture. *Indian J. Agric. Econ.*, 55(3): 348.

Venkatesh, P. (2013), Recent Trends in Rural Employment and Wages in India: Has the Growth Benefitted the Agricultural Labours?, Agricultural Economics Research Review, Vol. 26, pp 13-20

Vyas, V.S. (2003), "*India's Agrarian Structure, Economic Policies and Sustainable Development: Variations on a Theme*", Academic Foundation, New Delhi.

REPORTS

Annual Report 2014-15, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

Census of India (2011), Office of the Registrar General & Census *Commissioner*, India, Ministry of Home Affairs, Government of India.

CSO (2011), *"Revised Estimates of Annual National Income 2010-11: A Quarterly Estimates of Gross Domestic Product, 2010-11*", Central Statistics Office (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India, New Delhi.

GOI (1989), Employment and Rehabilitation, Report of National the Commission on Labour, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

GOI (2011), *"Faster, Sustainable and More Inclusive Growth: An Approach to the 12th Five Year Plan (Draft)"*, Planning Commission, Government of India, New Delhi.

GOI (2012), *"Economic Survey 2011-12"*, Economic Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India, Oxford University Press, New Delhi.

Wages Rates in Rural India (2015), Ministry of Labour & Employment, Government of India, Labour Bureau, Chandigarh.

Ownership Issue of Groundwater : Legislation and Judicial Approach

*** Satyendra Kumar**

India is the largest groundwater user in the world, accounting for more than a quarter of the global groundwater abstraction. There has been a phenomenal growth in the exploitation of groundwater over the last four decades, largely through the construction of millions of private wells, aided by cheap drilling and pumpset technologies, as well as public subsidies for electricity. However, 30 percent of the aquifers in India are now at unsustainable levels of exploitation. With more than 60 percent of irrigated agriculture and urban and rural water supplies dependent on groundwater, addressing groundwater overexploitation has emerged as a critical challenge for India. but the existing examples of community management are based on charismatic local leaders, and therefore have not been replicable at large scale.[1]

Groundwater Legislation Concerning Ownership

Rights to groundwater are derived from both statutory or written law as well as unwritten law, that is, customary law. It must be noted that ground-water use in India dates back to many centuries prior to the advent, courtesy the colonial era, of modern, statutory law in India.[2] India has a very long tradition of natural resource use and management under indigenous legal systems.[3] Local law or customary law, which incorporates locally evolved norms,

Water law is the area of law dealing with ownership, access and control of water. It is also concerned with the inter-state and transboundary dimensions of water, the division of powers between the Government of India (or the 'Central government'), states, local bodies (such as municipalities in urban areas and panchayats in rural areas), the public and private actors, as well as the issue of water quality together with its environmental and health implications.

In spite of the centuries-old legal tradition of water resources rights and management, current conceptions on water rights, including groundwater rights, in India are largely derived from one of the two prevailing European legal traditions, the common law

* Research Scholar, Department of Law, School for Legal Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (A Central University) Lucknow

tradition (the other being the civil law tradition).[4] The following section discusses the laws applicable to ground-water in India, not as it has been derived from indigenous legal traditions, but as transplanted from the English common law tradition. Nature of Rights in Groundwater under Formal Law, Constitution, Central and State Legislation

In India, neither the right to water nor the right to a healthy environment is explicitly recognised in the Constitution. Art. 39(a) of the Constitution entails the right to an adequate means of livelihood and Art. 48A provides for the protection and improvement of the environment. However, these are included as directive principles of State policy and Art. 37 of the Constitution explicitly states that these principles shall not be enforceable in court.

The statutes proceed to empower state agencies or the Ground Water Authority to issue 'permits' or 'licenses' to well 'users' on a presumption of the state's superior powers to control groundwater. The Maharashtra Ground-water (Regulation for Drinking Water Purposes) Act, 1993 implicitly recognises private rights by providing any water source without obtaining the entitlement from the respective River Basin Agency. The main characteristic of such entitlements, which distinguish them from 'permits' or 'licenses' in other Acts, is their recognised potential for tradability, for which provisions have been included in the Maharashtra Act. The Tamil Nadu Act also makes provision for the transportation of groundwater to areas outside, after acquiring a permit to do so.

In the absence of a determined implementation of groundwater law, other measures are adopted for the restriction of groundwater exploitation. This is in the form of indirect administrative measures adopted by institutional finance agencies who by and large insist on technical clearance of the schemes from authorised groundwater departments of the respective States that look An affluent farmer with his large capital investment can construct a high-capacity well which affects shallow wells in the neighbourhood.[5]

Generally groundwater is considered as a private property. This property rights belong to an individual or a company and may be transferred to other users. Non-owners do not have access to the resource. In the common law countries like India groundwater is being considered under the real property and the owner of such

property has an exclusive right to enjoy and dispose all the products. To be subject to private property, groundwater must be an immovable neighbouring users. Thus the groundwater cannot be delineated as that of the land above and the usage of it affects the others.

In general, the rights linked to common property are nonexclusive within the community and provide equal access to all the owners. The 73rd Amendment to the Constitution of India, Article 243(G) entitles Authority to the Panchayat to manage their water resources and community asserts under the 11th Schedule Entry 3 and 29 respectively. According to the Indian Easements Act with respect to groundwater. Apart from an assumption of equal usage of groundwater, undivided co-ownership has no means to apportion property usage between owners. As a result, undivided co-ownership cannot be used as a legal mechanism for the allocation of groundwater. No other type of private property ownership is relevant to groundwater quantity management.

Judicial Approach Towards Ownership Issues of Groundwater

The expanded interpretation of the right to life has enabled the Indian Courts to overcome objections regarding the justiciability of socio-economic rights.[7] expression in public interest litigation. This form of litigation aims to enable easier access to justice for deprived sections of society and is often used when the rights of a larger public have been violated.[8] It allows any individual or organisation to approach the courts for the benefit of society.[9]

Thus the poorly defined property rights on groundwater induce spoliation of the resource, by the users and worsen the legal frameworks and reduce the effectiveness of its implementation. The individual rights, community rights and the State rights together are vested on the use of groundwater. This legal pluralism should be avoided and proper delineation of the rights associated with groundwater is prime need to formulate the policies and laws.

REFERENCES

1. Pahuja, S., R.P.S. Malik, and Paul Raja Rao (2010), Addressing Groundwater Overexploitation - Large Scale Success of Community Management Approaches in Hard Rock Aquifers of Southern India, in *Abstracts, Toward Sustainable Groundwater in Agriculture*, An International Conference Linking Science

and Policy, organised by Water Education Foundation and UNDAVIS, University of California, 15-17 June, p. 123.

2. Hooja, R. (2003), '*Channeling Nature*: Hydraulics, Traditional Knowledge Systems and Water Resource Management in India: A Historical Perspective, Princeton Architectural Press, Princeton.
3. Vani, M.S. (2002), 'Customary Law and Modern Governance of Natural Resources in India-Conflicts, Prospects for Accord and Strategies', in Rajendra Pradhan (ed.), *Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political Development*, Vol. I, Papers of the XIIIth International Congress, 7-10 April, pp. 409-46. Chiang Mai, Thailand, and Kathmandu: ICNEC.
4. Hodgson, Stephen (2004), *Land and Water - The Rights Interface*, Development Law Service, Food and Agriculture Organization, Rome.
5. Nanni, M., S. Foster, C. Dumars, H. Garduno, K. Kemper and A. Tuinhof (2000), '*Groundwater Legislation and Regulatory Provision: From Customary Rules to Integrated Catchment Planning*', GW-MATE Briefing Note 4. World Bank: Washington D.C.
6. Pathak, R. (2000), 'Public Interest Litigation in India', in Iyer, Venkat (ed), *Democracy, Human Rights and the Rule of Law, Essays in Honour of Nani Palkhivala*, Butterworths India, New Delhi, p. 128
7. Muralidhar, S. (2004), 'Economic, Social & Cultural Rights: An Indian Response to the Justiciability Debate', in Ghai, Yash and Cottrell, Jill (eds). *Economic, Social & Cultural Rights in Practice, The Role of Judges in Implementing Economic, Social & Cultural Rights*, Interrights, London, p. 25
8. Kothari, J (2004) 'Social Rights and the Indian Constitution', *Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD)* 2004 (2)
9. Pant, R (2003) *From Communities' Hands to MNCs BOOTs: A Case Study from India on the Right to Water*, availble at http://www.righttowater.org.uk/pdfs/india_cs.pdf, acessed on 23 Sep. 2015, p. 12

दूधनाथ सिंह की कहानियों में आधुनिकता बोध

***अजय कुमार**

दूधनाथ सिंह की कहानियों में आधुनिकता–बोध के समस्त तत्वों का समावेश दिखाई देते है। 'उनके कवि–कथाकार का निर्माण–काल पचास का दशक था, उस वक्त वह साहित्यिक संसार के प्रति सजग हुए थे और एक साथ और एक साथ उन्होंने शब्द, मंशा, समझ और नज़रिए के महत्त्व को ग्रहण किया था। यद्यपि ये चीज़े उस समय ज़ेहन में सामान्य अनुभवों की शक्ल में ही उजागर होती थीं, कारण कि उनका सही रूप तभी होना सम्भव था जब वह लिखना शुरू करते। लिखना उन्होंने साथ के दशक में शुरू किया। पचास का दशक सपनों का दशक था सपनों को पंचवर्षीय योजनाओं से मदद मिल रही थी लेकिन मध्यवर्ग बहुत खुश था, योजनाओं में उसे नौकरी, पैसा, शिक्षा और सुविधाओं का आकर्षण दिखता था। सबसे बड़ी चीज़ थी नवीनता। हिन्दुस्तान उस समय औपनिवेशिकता से बाहर नज़र आता था। साथ ही मध्य वर्ग नफ़ासत पसंद था, वह खुद को बाक़ी से अलग मानता था– उसे संस्कार, सभ्यता, शिक्षा में गाँव–जावर का दूर होने की सुविधा मिलती थी। लेकिन 1947 में आज़ादी का दौर परवान चढ़ा था और नई स्थिति में वह दौर अपनी चमक खो रहा था।[1] नफ़ासत पसंदी का एक कारण यह भी था। राष्ट्रीय आंदोलन में गाँव की भूमिका अहम थी, वहां किसानों के अनुभव, उनके शोषण पर जोर था। पचास के दशक के नए अर्थात नवीनता पर बढ़ने वाला जोर असल में गाँव पर शहर को तरजीह देने से ताल्लुक रखता था। ज़ाहिर है इससे देर–सवेर द्वंद्व सामने आता और मुश्किलें पैदा होतीं। इस स्थिति में मध्य वर्ग को चुनौती मिलना लाज़मी था। दूधनाथ सिंह के लेखन की शुरुआत इस द्वंद्व के आसपास हुई, और वह द्वंद्व के नए पहलू सभ्यता और नफ़ासत के नकार की पृष्ठभूमि में सक्रिय हुए। साहित्य के भीतर दूधनाथ नई कविता की जगह अकविता और नई कहानी की जगह अकहानी के समर्थक बने।'[2]

यही वृत्ति उनके लेखन में निरंतर दिखाई देती है जिसका विस्तार से निरूपण इस प्रकार है–

* शोधछात्र, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

अस्तित्त्व बोध :

साठ के दशक के उपरान्त जैसे–जैसे परिवेश में परिवर्तन आता गया व्यक्ति अपने स्व को लेकर और भी अधिक जागरूक होता गया। खुद को बचाए रखने का संघर्ष करना अब उसे ज़रूरी प्रतीत होने लगा। प्रत्येक व्यक्ति की यह चाहत होती है उसकी अपनी एक अलग पहचान हो।

भले ही सामाजिक स्तर पर यह पहचान बहुत प्रमाणिक न हो लेकिन स्वयं आत्मिक स्तर पर, खुद के लिए खुद के होने को प्रमाणित करना अब उसके लिये महत्त्वपूर्ण हो गया। दूधनाथ सिह की कहानियों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता अस्तित्त्व बोध है। 'सामान्यतः एक नागरिक के नाते, समाज का नग होते हुए लेखक भी वही कुछ झेलता है, जो सभी नागरिक झेलते हैं, उसकी सोच भी उसी तरह प्रभावित होती है, वह भी अन्य नागरिकों की भांति उद्वेलित अथवा हतोत्साहित तथा सोचने पर बाध्य होता है।'[3] लेखक के इन्हीं भावों का प्रभाव उसके सृजन पर भी दिखाई देता है।

इसी प्रकार 'आइसबर्ग' कहानी का विनय भी स्वयं को तलाशने की निरंतर कोशिश करता है। वह अपनी बहनों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए उन्हें अपने जो पास बुलाता है और पत्र लिखता रहता है। वह चिट्ठी में लिखता है– 'बेबी, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी लगे कि मैं आदमियों के बीच में हूँ। मेरे भी चारों तरफ लोग हैं, जो मुझे पहचानते हैं। मैं भी उन्हीं से सम्बन्धित हूँ। मैं तुम सबके बीच में अपने को महसूस करना चाहता हूँ। बेबी, मुझे बार–बार लगता है कि जीवन मेरी मुट्ठियों से पानी की तरह फिसल गया है।'[4] इस प्रकार के अनेक उदाहरण उनके कथा साहित्य में मिलते हैं।

दूधनाथ सिंह की कहानियों में अस्तित्त्व बोध को विशेष अभिव्यक्ति मिली है। उनके पात्र वर्तमान की आधुनिकतावादी आपाधापी में कही खोते चले जाते हुए अपने अस्तित्त्व के प्रति विशेष सतर्क रहते हैं। उन्हें अपनी स्वयं की पहचान की चिंता है। उनके कथा साहित्य में अस्तित्त्व बोध को प्रमुख रूप से स्थान मिला है।

आत्मनिर्वासन :

आधुनिकता का एक प्रमुख घटक व्यक्ति का आत्म निर्वासन भी है। व्यक्ति अपने परिवेश, घर–परिवार आदि के साथ न तो सामंजस्य बिठा पाता है और न ही उस वातावरण में स्वयं को सहज पाता है। दूधनाथ सिंह के कथा साहित्य में अनेक पात्र ऐसे है जो परिवेश के साथ सामंजस्य न बिठा पाने के कारण आत्मनिर्वासन से जूझ रहे हैं। वह अपने ही घर, परिवार और

समाज में स्वयं को असहज पाते हैं और तालमेल न बिठा पाने के कारण सर्वथा एकाकी महसूस करते हैं। और इस स्थिति में वह आत्म से भी निर्वासित अनुभव करता है और अपने परिवेश से धीरे–धीरे एकाकी होता जाता है।

'गाँव या कस्बे का आदमी व्यक्तिहीनता, आत्महीनता या कहें कि आत्मनिर्वासन की स्थिति में लम्बे समय तक नहीं रह सकता। शहर या महानगरीय आदमी से उसके मूलभूत अंतर की यह सर्वप्रमुख पहचान है। शहर का आदमी आत्मनिर्वासन को न केवल स्वीकार करता अपितु एक सीमा के बाद उसे उसमें आनन्द सा भी आने लगता है। दरअसल आत्मनिर्वासन में ही वह अपनी दूसरी–दूसरी संभावनाएं तलाशने लग जाता है। सत्ता के साथ समानुकूलन ऐसी ही एक संभावना है। आत्मनिर्वासन शहरी आदमी को एकदम आत्मकेंद्रित कर देता है।'[5] यही कारण है कि व्यक्ति धीरे–धीरे समाज में रहकर भी अजनबीपन का शिकार होता है और धीरे–धीरे आत्मकेंद्रित होता जाता है। यह आत्मकेन्द्रण व्यक्ति को और भी अधिक एकाकी करता जाता है।

एक अन्य कहानी 'लौटना' में बूढ़ा आदमी छोटे बच्चे को देख कर अपने आत्म बोध से खो जाता है। 'बूढ़ा अपने को ही देखने लगा। बिना देखे। चुपचाप। वह अपने भीतर से उभरने लगा। उसने अपने कई रूपों के दर्शन किये। फिर वह धीरे–धीरे छोटा होने लगा। होने लगा। और फिर उसने देखा कि वह बच्चे में खड़ा है। वह अपनी ही उँगलियाँ पकडे, छोटे–छोटे पांवों से चल रहा है। इस दिव्य–दर्शन से वह भरभरा आया। उसकी आँखें गीली हो आयीं। उसने चश्मा उतारा और आँखें पोंछने लगा। बच्चे ने अपनी आँखें ऊपर उठायीं।

धूप को बचाते हुए उसने अपनी कुच्ची–कुच्ची आँखों से बूढ़े को निहारा और हँस दिया। फिर उसने बूढ़े का हाथ छोड़ दिया और तेजी से फाटक की ओर दौड़ा। लाल बजरी पर उसके जूते फिसल रहे थे। वह किसी भी वक्त गिर सकता है। उसके घुटने छिल जाएँगे। फिर? फिर कुछ नहीं होगा...।'[6] यह वर्तमान परिवेश के सबसे बड़ी विडम्बना है व्यक्ति स्वयं को को परिवेश के अनुसार समायोजित नहीं कर पाता और आत्म निर्वासन के द्वंद्व में फंसा रहता है।

दूधनाथ सिंह के कथा साहित्य में अनेक स्थानों पर यह देखने में आया है कि उनके पात्र न केवल समाज से बल्कि घर–परिवार, मित्र आदि के साथ भी परायेपन का अनुभव करते हैं। 'दुःस्वप्न' कहानी में भी ऐसा ही चित्रण करते हुए दूधनाथ सिंह नें लिखा है– 'मैं बता दूँ कि अपनी सारी

दुष्टताओं के बावजूद, अभी, भी– किसी न्यायोचित कारण के लिए भी– मैं किसी को अपमानित नहीं कर सकता। तुमने कितनी बार झुँझलाकर इस तरह के अवसरों की मुझे याद दिलायी है, जब मैं सच के पक्ष में होते हुए भी उल्टे पराजित और अपमानित हुआ हूँ – लेकिन मैं क्या करूँ !एक अजीब तरह का संकोच मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अपनी इस कायरता की वजह से मैं तबाह हूँ। और इस समय भी भुगत रहा हूँ।'[7] यह अकेले एक व्यक्ति विशेष की त्रासदी नहीं है बल्कि एक पूरा समाज इससे ग्रस्त है। आत्म निर्वासन झेलता हुआ व्यक्ति कभी समाज में सामान्य रूप से जीवन यापन नही कर पाता है और हमेशा अन्तर्मुखी होकर ही रहता है।

महानगरीय बोध :

ग्रामीण अथवा छोटे शहर से जुड़ा व्यक्ति बहुत जल्दी महानगरीय जीवन शैली में स्वयं को ढाल नहीं पाता है। वह भले ही अपनी जमीन छोड़ कर मजबूरीवश शहर आ तो जाता है किन्तु यहाँ का वातारण में वह स्वयं को सहज नहीं पाता है शहरीकरण नें व्यक्ति में अकेलेपन की भावना का विकास किया है। दूधनाथ सिंह के कथा साहित्य में महानगरीय बोध के तत्व भी प्रमुखता से रेखांकित दिखाई देते है।

उनकी कहानी 'दुःस्वप्न' भी बाजारवादी संस्कृति और उपभोक्तावाद से त्रस्त मनुष्य की परिस्थितियों की कहानी है। 'मौसम, मँहगाई या ट्राम–बस की भीड़ या मिस्टर सेठ के प्रेम सम्बंध या कपड़ों की चढ़ती कीमतों के बारे में राय मांगने लगते है। इससे अधिक दुखद स्थिति आदमी की और कुछ नहीं हो सकती। ..अब मैं इसे झटक भी नहीं सकता। यहाँ तक कि गालियाँ या अपशब्द तो मुँह से बाहर निकालना तो दूर, मैं इससे हाथ जोड़कर एक बनावटी सभ्य ढंग से माफ़ी भी नही माँग सकता।'[8] यह मानव जीवन की बहुत बड़ी त्रासदी है कि वह रहते हुए भी न रह पाने के लिए अभिसप्त है।

'रक्तपात' कहानी का मुख्य पात्र दिन पर दिन अपने स्वयं के परिवर्तित होने और निर्विकार होने को लेकर भीषण अंतर्द्वंद्व में है। 'उसे थोड़ी–सी झुंझलाहट महसूस हुई। फिर उसे दादा का ख्याल आया। फिर जैसे सिर घुमने लगा और मतली–सी महसूस हुई। फिर ढेर–सी बातें मन में घूमने लगीं– जैसे दिमाग में कई कदम लड़खड़ाते हुए चल रहे हों द्य उसने सोचा–'नरक', फिर उसके दिमाग में आया, 'क्यों इतना विवश हो गया है वह?...फिर जैसे भीतर–ही–भीतर कहीं झनझनाता हुआ–सा दर्द उठने लगा। उसे लगा कि उसकी पीठ में चटक समा गया है और साँस लेने में कठिनाई हो रही है। उसने करवट बदल कर यह जान लेना चाहा कि कहीं सचमुच

तो पीठ में चटक नहीं समा गया कि तभी पत्नी ने बाँहों में भरकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया।'[9]

इसी प्रकार की अन्य कहानियों में भी घटित होता है कि पात्र महानगरीय बोध के स्वरूप को रेखांकित करते हैं। उनके भीतर होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन को वह समझने में असमर्थ हैं क्योंकि यह परिवेश के अनुसार ही होता है। व्यक्ति अपना स्थान बदल लेने के बाद अपनी जड़ों से पूरी तरह कटता चला जा रहा है और अपने परिवेश के अनुसार ही स्वंय बदलते जाने के लिए अभिसप्त होता चला जा रहा है।

मोहभंग :

बदलते परिवेश की बदलती प्रवृत्तियों से न केवल समाज और उसकी परिस्थितयों में परिवर्तन आया बल्कि वैयक्तिक स्तर पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। व्यक्ति अपने होने को प्रमाणित करने की तड़प के साथ ही व्यवस्था के प्रति मोहभंग महसूस करने लगा। 'सातवें दशक को मोहभंग का दशक कहना उचित होगा। इस दशक के कहानीकारों ने रोमांस–मुक्त हो कर नए यथार्थ का साक्षात्कार किया। मूल्यों के पूर्ण विघटन के साथ–साथ व्यक्तित्त्वों का खंडित होना स्वाभाविक था, ...अकेलेपन और निर्वासन में, जहाँ गहन रचनात्मक दृष्टिकोण है, वहाँ ऊब में विघटनात्मक और सतही विद्रोहात्मक रवैया अधिक दिखाई पड़ता है।'[10]

दूधनाथ सिंह इस दौर की अपनी कहानियों के संदर्भ में कहते है– 'उनकी पृष्ठभूमि में आजादी से मोहभंग है। वैचारिक संघर्ष और... परिवार के टूटने, राजनीतिक दिशाहीनता की आती धीमी आहट, एकल परिवारों में पत्नी तथा प्रेम का द्वंद्व और अंतर्विरोध इन कहानियों का उत्स है और मेरी ही नहीं उस समय लिखने वाले सभी महत्वपूर्ण कहानीकारों की विषयवस्तु का विश्लेषण इसी तरह है।[11] इस प्रकार वह न केवल अपने बल्कि अपने समकालीन अन्य कथाकारों की मनः भूमि पर भी प्रकाश डालते हैं। यह सम्पूर्ण कालावधि ही आज़ादी के मोहभंग से ग्रस्त थी। यही कारण था कि उनके लेखन में भी यह विशेषता खुलकर प्रकट हुई।

दूधनाथ सिंह इस व्यवस्था के प्रति मोहभंग को एक ऊब और उदासीनता की तरह रेखांकित करते हैं। उनके कथा साहित्य में यथा स्थान इसे देखा जा सकता है। 'एक सनातन प्रेम–कथा' कहानी का एक उदाहरण द्रष्टव्य है– 'वह दिन भर पड़ा सोता रहा। इतनी जगहों से बुलावे थे कि उसने सोचा, कहीं नहीं जाएगा। उसका अफ़सर दोस्त दफ़्तर चला गया था। फ़ोन की घंटी बजी तो उसे लगा, कहीं अतल में आवाज़ आ रही है। फिर

वह धीरे–धीरे जगा तो लगा, घण्टी उसकी छाती फोड़कर अंदर घुसने की कोशिश में है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। नहीं, वह सपने में नहीं था। फ़ोन लगातार चीख़ रहा था। वह उठा तो लगा, जैसे बुखार में उठ रहा है। डगमगाता हुआ फ़ोन तक गया तो एकाएक घण्टी बन्द हो गयी। वह सोफ़े में गिरकर सुस्ताने लगा। तब उसे ख़याल आया कि रात हो गयी है।

कमरों में अँधेरा है और बाहर पंचकुइयाँ रोड और कनाट प्लेस की बाहरी परिधि का अनवरत, अविराम चिंघाड़ता हुआ शोर है। अँधेरा है,लेकिन अशांत और अस्त–व्यस्त। टूटा–फूटा, घायल और निरर्थक। अँधेरे के भी कितने रंग होते है, उसने उठकर बत्ती जला दी और नहाने चला गया।'[12] यह पात्र हमारी इस समग्र व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न उठाता है कि आख़िरकार इस सबका जिम्मेदार कौन है। वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को बुरी तरह लाचार कर देती है और वह विरक्त हो जाता है।

स्वतंत्रता के उपरान्त उपजी परिस्थितियों में व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ बिखर गया। उसने स्वतंत्र भारत में एक सुंदर भविष्य का सपना देखा था। लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ। आम आदमी ने अपना सब कुछ खोने के बाद भी स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने लगा। इस नई मिली हुई स्वतंत्रता के प्रति उसका संपूर्ण रूप से मोहभंग हो चुका था।

आधुनिकता की आगमन के साथ जो परिवर्तन दिखाई दिए उनमें से प्रमुख अनुभव की प्रामाणिकता भी है। समानांतर कथाकारों नें इसे प्राथमिकता से साथ दर्शाया है। 'दूधनाथ सिंह के कहानी–लेखन का यह पक्ष साठ के दशक की मानसिकता को प्रतिबिंबित करता था। इस कारण पचास के दशक की सामान्य रचना में समाज का द्वंद्व संस्कृति के पटल पर आत्मालोचना की शक्ल में उभरा। वे लेखक जो प्रायः अपने अनुभवों को प्रामाणिक मानते थे, धीरे–धीरे संशय की स्थिति में आ गए और महसूस करने लगे कि उनके विश्वास का आधार कमजोर हो रहा है। न उन्हें परिवार में स्थायित्त्व नज़र आता था, न पड़ोस या फिर व्यापक माहौल में।

पंचवर्षीय योजनाओं और शैक्षिक प्रसार का लाभ भी शहरी मध्य वर्ग को ही मिल रहा था बल्कि वहां भी सफलता के तर्क पर काम करने वाला व्यक्ति ही किंचित आगे बढ़ सकता था, वह नहीं जो तत्कालीन नियम और व्यवस्था के अनुसार चलते हुए सामान्य स्थिति में अपनी आशा–आकांक्षा को फलित होते देख पाता अर्थात आदर्शों का महत्त्व भी वास्तविक जीवन में अपनी पहचान खो रहा था। उस वक्त की व्याख्याओं ने इसे मोह भंग की संज्ञा दी। साठ का दशक इस अहसास को किंचित अलग ढंग से और अपेक्षाकृत साफ़ तरह से समझ पाया। उसने मसलन देखा कि पुराना मोह

निराशा में बदल रहा था। इस कारण विश्वास की जगह ऐसे भयजनित अवरोध ने ले ली जिस में चारों तरफ अन्धेरा देखता था, जहाँ सब चीजों को संदेह की नज़र से देखना उचित जान पड़ता था। सांस्कृतिक पटल पर उन दिनों विद्रूप और विकृति की तस्वीर उभरती थी, किसी दूरस्थ विकल्प की भी नहीं। दूधनाथ सिंह की प्रारम्भिक कहानियों में इस विद्रूप का अनुवाद हिंसा की भाषा में हुआ।[13] यह हिंसा पात्रों और घटनाओं के रूप में सजीवता से रेखांकित हुई है। दूधनाथ सिंह की कहानियों में यथास्थान इन परिस्थितियों का निरूपण हुआ है।

दूधनाथ सिंह की एक कहानी 'आइसबर्ग' का विनय इन्हीं विचारों से परिवेष्टित दिखाई देता है– 'सभी बिखर गए थे। पूरी उनकी एक अपनी दुनिया थी, जो न जाने कहाँ छिटक कर खो गयी थी। केवल उन सब को बटोर कर रख देते थे बेबी के खत। धीरे–धीरे उसे यह भी महसूस होने लगा कि बेबी के खत न आने पर वह अपने को बेचौन और असुरक्षित–सा पाता है। तो क्या उस खोयी हुई दुनिया के प्रति मन में कहीं इतना गहरा लगाव था। इस बात से उसे हलकी–सी राहत भी महसूस होती। ...लेकिन क्या इस आंतरिक बंधन को कोई भी समझता है ! दूसरे तो दूसरे खुद बेबी ने एक बार उसे स्वार्थी, निर्दयी, आत्मरत की पदवी दे डाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या यह सम्भव था कि वह जो नहीं था, उस तरह अभिनय करता ?'[14] इस कहानी का पात्र अपने जीवन में ऊब और एकाकीपन सेबहुत बुरी तरह से ग्रस्त है तथा अप्नेजीन में तत्काल नवीन मार्ग के प्रति आशान्वित होने का प्रयास करता है।

कहानी के विषय में सत्य ही कहा गया है कि 'कहानी का ढाँचा किसी न किसी विचार या विमर्श पर ही टिका होता है। कहानी पढ़ चुकने के बाद एक पाठक के बतौर जो कुछ हम हासिल करते हैं, वह दरअसल यथार्थ के प्रति एक प्रकार की वैचारिकता या विचार का कोई कोण ही होता है। कहानी में, जो घटनाएँ या इतिवृत्त हमने देखे या जिन चरित्रों से हम रु–ब–रु हुए या जिस घात–प्रतिघात से सारी चीज़े गुज़री, वह सब लेखक का पक्ष था, उसकी रचना–प्रक्रिया की निजता थी।

इसमें हमारा या किसी का कोई हस्तक्षेप नही, यह कहानीकार की अपनी स्वायत्त दुनिया होती है। एक पाठक या ग्रहीता के बतौर हमारा ध्यान तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस बात पर रहता है या रहना चाहिए कि कहानी ने, उसके कुल प्रभाव ने हमारी वैचारिकता में, हमारी विचार–प्रणाली में क्या–क्या नया जोड़ा है या क्या बदलाव उसमें लाया है या लाया है या नहीं लाया है उसे और भी ठस या पश्चगामी बनाने, बनाए रखने की कोशिश

की है।'[15] दूधनाथ सिंह कि कहानियों के साथ ही सम्पूर्ण कथा साहित्य इस बात पर सटीक होता है। वह नवीनता और वैचारिकता का अवगाहक है। वह पाठक को सोचने के लिए बाध्य करती हैं और उसके भीतर नए परिवर्तन की सूचना देती है।

शीर्षक की दृष्टि से भी दूधनाथ सिंह का सृजन नवीनता बोध को दर्शाता है। 'साठ के दशक से लेखन में सक्रिय हुए दूधनाथ सिंह इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में कथा–रचनाओं को जो शीर्षक देते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं– 'माननीय न्यायमूर्ति जी', 'लोग और सन्नाटा', 'जलमुर्गियों का शिकार', 'मसखरा और पिछलग्गू', '1857 की गाली' इत्यादि।

इन शीर्षकों के तेवर अनायास हमारे सामाजिक द्वंद्व की कठिनाई और उसके समाधान की असम्भाव्यता के आसपास मंडराता नज़र आता है।'[16] इसी प्रकार 'जार्ज मेकवान', 'गुप्तदान', लौटना', 'माई का शोक गीत', तू फू', जलमुर्गियों का शिकार' आदि कहनियाँ भी हैं जो अपने नयेपन के लिए जानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यास और कहानियों आदि में कथ्य तथा शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता बोध देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने कथ्य एवं शिल्प के साथ ही साथ विविध स्तरों पर अपनी नवीनता एवं मौलिकता का परिचय दिया है।

स्त्री–पुरुष के सम्बन्धों की जटिलता, असफल प्रेम और दाम्पत्य

भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष के सम्बन्धों को लेकर एक सुचितापूर्ण परंपरा रही है। जिसमें नैतिकता का पालन करना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। आधुनिकता के आगमन के साथ–साथ जैसे–जैसे समाज में बदलाव दिखाई दिया वैसे–वैसे इन सम्बन्धों को लेकर भी नई सोच, समझ और कार्य व्यवहार सामने आने लगा। 'पति–पत्नी के सम्बन्धों में तेजी से विघटन आ रहा है। यह विघटन कहीं मानसिक उदासीनता तक ही सीमित रहता है और कहीं क्रिया में परिणित हो जाता है। पति–पत्नी के सम्बन्धों के विघटन का कारण अर्थ तो है ही समान व्यक्तियों की टकराहट भी है।'[17] कारण चाहे कोई भी हो अब यह सम्बंध बहुत अलग तरीके से साहित्य में भी रेखांकित किये जाने लगे। चूँकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है यही कारण है कि समाज में होने वाले परिवर्तन साहित्य में हमेशा दृष्टिगोचर होते रहे है।

दूधनाथ सिंह के साहित्य में इस समस्या को प्रमुखता स उभारा गया है। 'प्रेम कथा का अंत न कोय' कहानी संग्रह की भूमिका में तो उन्होंने इस बात पर विस्तृत रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है– 'ये कहानियां

ज्यादातर विफल प्रेम (और विफल दाम्पत्य) कीकहानियाँ हैं– लेकिन उनमें पौरुष–प्रधान हिंसा नहीं है द्य इसकी जगह विफलता की नाजुक,उदास और सुसंस्कृत स्वीकृति है। इस रूप में ये कहानियां मध्यवर्गीय या सामन्ती समाज की हिंसक मनोवृत्तियों से मुक्त हैं। स्त्री के खिलाफ पिस्तौल, पैट्रोल, किरासन, जहर या गलाकाट, गला–दाब हथियारों को इस्तेमाल यहाँ नहीं है। कहा जा सकता है कि जो 'यथार्थ' को एक टोटका समझते हैं और मानवीय जीवन का जिनका परिचय महज़ अखबारी है, उनके लिए ये कहानियां अवास्तविक भी हैं। जबकि हम सभी और लोग जानते हैं कि हमारे समाज में (उस दौर में नहीं, आज भी) विफल प्रेम और उससे भी अधिक विफल दाम्पत्य एक तथ्य है– एक ऐसा तथ्य, जिसे कई कारणों से छिपाया–दुराया जाता है। मुँहबंद फोड़े को मुँहबंद रखना ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अवैज्ञानिक होता है। सामाजिक वर्जनाएँ और संकीर्णधर्मी लोग यही करते हैं।

इन कहानियों में वह छद्म, वह छिपाव–दुराव और वह झूंठी बचावधर्मिता नहीं है। प्रेम को पाने और उसके भीतर से जिन्दगी को बांधे रखने के लिए जबर्दस्त इच्छाओं का संसार इन कहानियों में व्यक्त है। इच्छाओं का यह संसार दाम्पत्य के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर है। इसलिए पुराने और परिचित अर्थों में ये परम–कथाएं नहीं हैं। प्रेम को लेकर इसके पात्र अपने अधिकार–क्षेत्र से बार–बार बाहर जाते हैं।'[18] इस संग्रह की लगभग सभी कहानियों में स्त्री–पुरुष के सम्बन्धों की जटिलता, असफल प्रेम और दाम्पत्य के साथ ही साथ यंत्रणा और त्रास भी दिखाई देता है। इसी के साथ ही उनकी अन्य कहानियों में भी इस विषय का विस्तार रेखानित हुआ है।

'रीछ' कहानी का मुख्य पात्र अपने पूर्व के कामसुख को अपनी पत्नी से बहुत छुपाने का प्रयत्न करता है। वह अपने अतीत से जितना ही अधिक बचना और भागना चाहता है वह उतना ही अधिक किसी रीछ की तरह उसके साथ चिपकता चला जाता है। इस प्रतीकात्मक कहानी में रीछ अतीत का प्रतीक है। 'रीछ कहानी का मुख्य कथ्य यह है कि अगर आप अतीतजीवी हैं तो आपके लिए रास्ता एक ही है कि आप या तो अतीत का वध कर दे नहीं तो अतीत आपका वध कर देगा। यानी आदमी को अतीत जीवी नहीं होना चाहिए। कहानी में आया हुआ रीछ का बच्चा उसी अतीत का प्रतिक है जो हर समय उस आदमी का पीछा करता है और अंततः जब वह आदमी उसे मारने की कोशिश करता है वह (अतीत) उसके दिमाग को फाड़कर उसके दिमाग के अन्दर प्रवेश कर जाता है।'

इस कहानी में 'एक ओर पत्नी है जो उस आदमी का वर्तमान जीवन है और दूसरी ओर एक विफल प्रेम है जो रीछ की खूंखार शक्ल में उसके

वर्तमान जीवन का पीछा करता रहता है। ..पत्नी को प्यार करते हुए पूर्ववर्ती प्रेम का याद आना दाम्पत्य जीवन का सबसे कठिन दुःख है। इसी दुःख को इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है।'[19] यह कहानी स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों के बीच उलझे हुए द्वंद्व का चित्रात्मक अभिव्यक्ति है।

दूधनाथ सिंह के साहित्य की प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से असफल प्रेम का निरूपण हुआ है। 'शिनाख्त' कहानी में स्त्री–पुरुष सम्बन्धों को आधुनिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के नायक के शारीरिक सम्बंध एक ऐसी स्त्री से हैं जो पहले से ही विवाहित है और उसके तीन बच्चे भी है। एक लंबा समय वह साथ में जीते हैं और फिर अलग हो जाए हैंद्य इसके बाद पुनः जब वह दस वर्ष बाद मिलते हैं तो एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार ही 'सीखचों के भीतर' कहानी की नायिका का विवाह एक ऐसे पुरुष से हो जाता है जो प्रेम में असफल होकर अपना मानसिक संतुलन खो चुका है।

दुनिया की प्रत्येक स्त्री से नफ़रत करने वाला वह पुरुष सहज सम्बन्धों में नही रह पाता, जिस कारण दोनों का अलगाव हो जाता है, लेकिन विडम्बना यह है कि उसका पति सोम पुनः विवाह कर लेता है, लेकिन वह सोम को कभी किसी क्षण के लिए विस्मृत नहीं कर पाती है। 'पिछले सात वर्षों से वही कमरा.. और वही रातें। जिनमें एक पल को भी वह जगी रहना नहीं। लेकिन नींद? ...आँख झपकते ही वह चिहुँककर उठ बैठती। जैसे कोई साँस चुरा ले भागने की फ़िक्र में दरवाजे पर घात लगाए हो। झट वह बत्ती जला देती। कहीं कुछ भी नहीं। भीतर इतनी थकान और इतना दबाव... हाथों–पैरों के जोड़ो पर त्वचा के नीचे नसों का धड़कना साफ़–साफ़ दिख पड़ता है। तकिये पर कानों की राह धुकधुकी सुनते–सुनते वह ऊब जाती है। करवटें बदलती... फिर बदलती... फिर... फिरकृ। फिर नींद में सपनों के अंबार, हर करवट पर किसी विराट सपने के भयावह खंड टूट–टूटकर जुड़ते जाते .. उठने पर वह शाम से भी ज्यादा थकी होती।'[20] इस तरह भले ही वह अंत तक अपने दाम्पत्य को बचाने का अथक प्रयास करती रहती हैं कितु वह सफल नहीं हो पाती है।

इसी प्रकार 'बिस्तर' भी उलझे हुए दाम्पत्य व प्रेम की कहानी है। शफ़ीक का एक प्रेम एक ऐसी स्त्री से है जो शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, वह अपने पति और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती और शफ़ीक से अपने सम्बन्धों को भी निभाना चाहती है तो दूसरी ओर शफ़ीक का दोस्त कुमार है, जिसकी पत्नी के शारीरिक सम्बंध उसके दोस्त के साथ बन जाते हैं। जब उसे यह बात पता चलती है तो वह अवाक रह जाता है। 'रमेश उसका दोस्त था। अविवाहित, सुंदर, धन–सम्पत्ति वाला, हँसमुख और प्रभावित

करने वाला। लेकिन उसे अपनी नीलू पर तो पूरा विशास था। पहली बार रमेश आया था और फिर आता रहा। उसे कभी इस बात का शक नहीं रहा। गुड्डा तब छः महीने का था। उषा तीन साल की। एक दिन अचानक दोपहर में वह घर लौटा तो रमेश उसे मिल गया। वह सोफे पर चुपचाप बैठा था। नीलू गुड्डे को लिए खिड़की की ओर मुँह किये दूध पिला रही थी। एक पल को वह स्तब्ध रह गया। फिर... फिर एक दिन नीलू ने कहा कि वह रमेश से विवाह करना चाहती है। बहुत शांत और चुप थी नीलू। उसे आश्चर्य हुआ तो केवल इसी बात पर कि इतनी बड़ी बात कहते उसे कुछ नहीं हुआ।'[21] और इस तरह कुमार की पत्नी उसे छोड़ कर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने प्रेमी के पास चली जाती है।

कहानी में एक स्थान पर शफ़ीक कहता है कि– 'इंसान जब एक बार ममता से बंध जाता है तो उसे तोड़ नहीं सकता– खासकर औरतें। उनकी यही सबसे बड़ी ट्रेजडी हैद्य वे एक संग दो क्या, चार को, पांच को प्यार कर सकती हैं और उनमें से किसी को भी छोड़ नहीं पातीं। इसी विवशता में घुलती हुई मर जाती हैं। मेरी समझ में इसे दुश्चरित्रता कहना सबसे बड़ा अपराध है।'[22] भारतीय संदर्भों में यह स्त्री को लेक्टर बहुत प्रकार से पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। और उसके प्रति बहुत ही आदर्शवादी सोच रखी जाती है। यही कारण है कि किसी भी स्त्री का दूसरा अथवा तीसरा सम्बन्ध समाज को स्वीकार्य व् ग्राह्य नहीं होता है। दूधनाथ सिंह के कथासाहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का निरुपण हुआ है।

एक अन्य कहानी 'हुंडार' में औरत कहती है 'मरद ने छोड़ दिया साहब जी, साफ़–सूफ रहती थी तो उसे मान देना चाहिए था। उलटे शक करने लगा। कहा, घाट पर मर्दों से आँख लड़ाती है। अब गोबर भी लपेट लो तो सक का तो कोऊ इलाज है साहब जी ? ..हमार बच्चा लेई लिहिस। मैं बन–बन भटकों साहब जी, सीता जी हो गयी। तभी यह राच्छस मिल गवा..। हम कहों, हम चिल्ला देबै.. तो हमार मुँह दबा देत रहा। हम कहों–कुछ हो–होआ जाइ तो कहूँ के न रहब, तो हँसत रहा।'[23] यह समाज का एक वास्तविक यथार्थ है, जिसे स्वीकारना भले ही थोड़ा मुश्किल हो किन्तु फिर भी दूधनाथ सिंह ने अपने कथा साहित्य में इसका नग्न यथार्थ सजीवता से वर्णित किया है।

दूधनाथ सिंह ने स्त्री–पुरुष के संबंधों को बहुत बारीकी से पड़ताल की और उसे अपने कथा साहित्य में स्थान दिया। 'अनुभूतियों से संस्पर्शित सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और रूढ़ सामाजिक ढाँचे के प्रति कटु निर्ममता, बहुत–सी सामाजिक विसंगतियों के बीच स्त्री–पुरुष संबंधों को नए आयामों में अन्वेषित

कर सकने की क्षमता आदि सारी चीजों से मिलकर दूधनाथ सिंह की कहानियों की उपलब्धियों का जो रूप बनता है, सातवें दशक के कथा–लेखकों में उसकी समता के उदाहरण बहुत अधिक नहीं हैं।'[24] इस दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि दूधनाथ सिंह ने अपने कथा साहित्य में मानवीय संबधों को विशिष्ट रूप से उकेरने के कारण तत्कालीन साहित्यकारों में अपना विशेष स्थान स्थापित किया।

कुंठा और त्रास :

समाज में स्वतंत्रता के उपरान्त उपजी मोहभंग की स्थिति के परिणामस्वरूप व्यक्ति कुंठित होता चला गया। वह सामाजिक व्यवस्था के प्रति घोर असंतुष्ट होने लगा और धीरे–धीरे इस कुंठा ने भयानक रूप ले लिया। 'आदमी की मूल भावना के खात्मे के साथ व्यवस्था किस कदर क्रूर होती चली गई इस स्थिति को दूधनाथ सिंह की कहानी 'प्रतिशोध' में देखा जा सकता है। नौकरशाही खटमल की तरह लोगों को परेशान कर रही है। कहानी में उसकी संख्या, कभी भी नहीं से निकल आना यह दर्शाता है कि व्यवस्था कितना आतंककारी है। वह लोगों को त्रस्त कर उसे भीरु बना रही है। कहानी में कर्मचारी–अधिकारी सत्येंद्र को इतना परेशान करते हैं, उसका उपहास करते हैं कि वह उनका सामना करने से कतराने लगता है। अंततः वह समर्पण कर देता है। वह नौकरशाही के मानदंड को स्वीकार कर लेता है।'[25] यश स्वीकारोक्ति ही सर्वाधिक घातक है व्यक्ति के लिए। दूधनाथ सिंह यह रेखांकित करते हैं कि व्यक्ति इस व्यस्था के प्रति पूरी तरह से आशाहीन हो चुका है।

'आइसबर्ग' कहानी का विनय अपने जीवन में नितांत अकेला है। उसके बीतर अजनबीपन का बोध है। उसका वैवाहिक जीवन असफल हो चका है। बाकी के पारिवारिक सम्बन्धों में भयानक रूप से एकाकीपन व्याप्त है। वह अपनी बहन से कहता है– 'बेबी मैं चाहता हूँ कि मुझे भी लगे कि मैं आदमियों के बीच में हूँ। मेरे भी चारो तरह लोग है जो मुझे पहचानते हैं, मैं भी किन्हीं से सम्बन्धित हूँ। मैं तुम सब के बीच में अपने को महसूस करना चाहता हूँ। बेबी, मुझे बार–बार लगता है कि जीवन मुट्ठियों से पानी की तरह फिसल गया है।'[26] यह आधुनिक परिवेश के मनुष्य की बहुत बड़ी विडम्बना है। वह अपने जीवन में घोर अकेलेपन को महसूस करता है। उसके भीतर स्वयं को लेकर अपने परिवेश को लेकर बहुत कुंठा का अनुभव होता है।

एकाकीपन व अजनबीपन :

आधुनिकता बोध की एक प्रमुख विशेषता है कि आदमी अपने परिवेश में रह कर भी वहां नहीं रहता, और खुद को उस परिवेश से कटा हुआ और बेगाना अनुभव करता है। दूधनाथ सिंह का कथा साहित्य इसका जीता जागता प्रमाण है। उनके साहित्य में वही आम आदमी चित्रित व रेखांकित हुआ है जो समाज में अपने होने को लेकर सशंकित है और व्यवस्था के प्रति घोर निराशा और असाद से भरा हुआ एकाकी जीवन यापन कर रहा है। उनकी कहानियाँ इसका साक्षात उदाहरण हैं।

'वे इन्द्रधनुष' कहानी में निरंजन सबके साथ रह कर भी नितांत अजनबीपन में जीवन यापन करता है। वह चाहकर भी सामाजिक नहीं हो पाता है। 'मैं स्तम्भित सोचता रहा कि मैं पागल हो गया हूँ और कोई मुझे बिजली की छड़ी छुआ रहा है। कुछ नहीं था। सिर्फ़ पागलपन शेष था। मैं पता नहीं कौन–सी चीज़ तोड़–फोड़कर, नोच–नोचकर फेंक देना चाहता था। हर क्षण एक भागमभाग। रात को लगता, कोई मेरी छाती कूट रहा है। सिर हर दम दुखता रहता, जैसे अंदर दिमाग में कोई फोड़ा निकल आया हो। मन अजीब–अजीब रिसती तकलीफ़ों से भरा रहता था। मैं और अनिल अक्सर चौम्बर में पीते और लुढ़ कर सारी रात गुज़ार देते। उसका चेहरा बड़ा वीभत्स लगता, जब कभी वह भावुक हो उठता और नशे में गज़लों के टुकड़े गुनगुनाने लगता। वह सारी दुनिया–जहां की बातें करता और खाते वक्त हड्डियाँ ज़ोर–ज़ोर से चूसता। ...वे इन्द्रधनुष कभी–कभी अलसाए हुए कमरे में आते और हमें अधमरी हालत में छोड़ कौंधते हुए चले जाते।'[27] यह कहानी बहुत प्रकार से प्रश्नों को हमारे सामने लाती है।

इसी प्रकार दूधनाथ सिंह की कहानी 'आइसबर्ग' में विनय बार–बार खुद को ढूँढने का प्रयास करता है लेकिन हर बार वह सब कुछ खोया हुआ ही पाता है। कहानी में लेखक ने लिखा है कि– 'सभी बिखर गए थे। पूरी उनकी एक अपनी दुनिया थी, जो न जाने कहाँ चिटक कर खो गयी थी। केवल उन सबको बटोर कर रख देते थे बेबी के खत। धीरे–धीरे उसे यह भी महसूस होने लगा कि बेबी के खत न आने पर वह अपने को बेचौन और असुरक्षित–सा पाता है। तो क्या उस खोई हुई दुनिया के प्रति मन में कहीं इतना गहरा लगाव था। इस बात से उसे हल्की सी राहत भी महसूस होती।'[28] ऐसी अनेक कहानियाँ और अनेक उदाहरण है जहाँ हम देखते हैं कि पात्र नितांत एकाकी और अजनबीपन के बोध से ग्रस्त हैं।

वह स्वयं यह बात स्वीकार करते हैं कि उनकी 'कहानियां अकेलेपन की खाली चर्चाओं से अलग 'अकेले न हो सकने' की क्रूर अनिवार्यता का एहसास ज्यादा कराती हैं। जीवन की कई–कई तहों को एक साथ टटोलती हुई आपके हाथों में सूत्रों के कई–कई छोर एक ही साथ पकड़ा देती है। एक तीव्र और प्रशां शिल्प के सहारे आपकी बनी हुई (सु) 'रूचि' को नष्ट करने को तत्पर दीखती है। यदि आप भाषा की सपाट काव्यमयता के भीतर 'कथ्य' के समानांतर चलते एक दुसरे 'अन्तरंग अभिप्राय' को पकड़ लें, तो अचानक आपको अपनी ही आँखों में वह दरार दिख जायेगी, जिसके अंदर से आप भारतीय जीवन के आंतरिक 'केऑस' से साक्षात्कार कर सकेंगे। तब आप पाएंगे कि ये कहानियाँ आपको किसी सुखद अनुभव तक न ले जाकर, वहां पहुँचाती हैं, जहाँ आप सहसा अत्यन्त बेचौनी महसूस करने लगते हैं।'[29] चूँकि यह एक बहुत बड़ी सामाजिक विडम्बना है, जो उनके साहित्य में सजीवता के साथ निरुपित हुई है।

आधुनिकता बोध की दृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि दूधनाथ सिंह के लेखन में वह सभी विशिष्टताएं सम्मिलित हैं जो आधुनिकता बोध के लिए आवश्यक हैं। 'दूधनाथ सिंह कहानियों की प्रवृत्ति और व्यक्ति को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेत है। आशय यह है कि दूधनाथ सिंह की कहानियाँ भले ही पारिवारिक जीवन के प्लॉट के इर्द–गिर्द घूमती प्रतीत होती है लेकिन उसकी व्याप्ति वहीं तक सीमित नहीं है। ये कहानियाँ उतनी निजी भावबोध की कहानी नहीं है, बल्कि इन कहानियों के दो स्तर हैं। अपने पहले स्तर में, अभिधात्मक अर्थ में (प्रतीक सहित) पारिवारिक जीवन के उस रुझान को अभिव्यक्त करता है जो कि उस खास दौर में निर्मित हुई थी।

उसका उत्स, कारण या बहाना भले ही आंतरिक हो लेकिन उसे 'इंटेंस' करने में बाह्य जगत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिक्कत यह है कि आउटर रेफरेंस हर जगह मौजूद नहीं है लेकिन जो इनर रेफरेंस है वह कहानी के पूरे विकास को सपोर्ट नहीं करता। कहानियों में मनःस्थितियाँ केंद्रीय पात्र का बर्ताव के पीछे जो छोटे–छोटे ट्रेस दिए गए हैं वह कहानी के पूरे स्वरूप एवं प्रभाव की दृष्टि से नाकाफी है।'[30] यह अत्यंत ही सूक्ष्मता के साथ रेखांकित किया गया है।

उनकी कहानियाँ अपना अलग वितान रचती हैं। यही कारण है कि वह अपने समकालीन कथाकारों में अपना अलग स्थान रखते हैं। 'किसी भी कहानी में परिवेश और अनुभव संसार और दोनों की अंतर्क्रिया से निर्मित भाव बोध की अभिव्यक्ति के मूर्त रूप से होते हैं। वे मनुष्य के जीवन और संघर्ष में हम सभी पाठकों की रूचि होती है। उन्हीं में हम अपने और व्यापक मनुष्य के जीवन और संघर्ष की छाया देखते हैं। इस दुनिया की कोई घटना कोई भी

स्थिति महत्त्वपूर्ण होती है उसके केंद्र में मनुष्य होता है। वह मनुष्य से सम्बद्ध होता है या उसका असर मनुष्य पर होता है। कहानी में यह घटनाएँ और स्थितियाँ मनुष्य के माध्यम से व्यक्त होती हैं। यहाँ तक कि पुरानी कहानियों में आने वाले पशु–पक्षी, देव–दांव, यक्ष, किन्नर, भूत–प्रेत सब मानवीय अनुभव को रूपायित करने वाले प्रतीकात्मक बिम्ब भी हैं। कहानीकारों के अनुभव का रूपांतरण भी मानवीय शक्ल से होता है और उससे ही उसकी परिवेश चेतना भावबोध का पता चलता है।'[31] दूधनाथ सिंह की कहानियां इस वक्तव्य पर एकदम सटीक उतरती हैं।

ऐसा माना जाता है कि 'कहानी मानवीय अनुभव की पुनर्रचना है। कहानी का सारा घटना विन्यास क्रिया व्यापार उस अनुभव को रूपायित करता है जो कहानीकार का अपना निजी एवं व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए किसी भी कहानीकार की श्रेष्ठता की पहचान और परख उसके अनुभव संसार की व्यापकता से होती है।

कहानी के अनुभव संसार की यह विशेषता है कि उसमें व्यक्तिगत अनुभव जब सामाजिक अनुभव की विशिष्टता पा लेते हैं तभी कहानी में व्यक्ति जीवन जगत के अनुभव मानवीय अनुभव के सार्वकालिकता और सार्वजनिकता के स्तर तक उठ पाते हैं। तभी कहानी के सब समय सबकी अपनी हो सकती है। परिवेश की संश्लिष्ट और विविध रूपात्मक सघन और तीव्र अनुभूति ही कहानी के अनुभव की इमानदारी और प्रमाणिकता जितनी ज़रूरी है बस उतनी ही ज़रूरी है उसकी वैयक्तिकता सघनता और सामाजिक व्यापकता आधुनिक कहानी में भोगा हुआ यथार्थ और अनुभव कितना सम्पन्न है ? कोई भी कहानी अपने व्यक्तिगत अनुभव और तकलीफ की एक दूसरी निगाह से देखकर सामाजिक संदर्भ और मानवीय आशय प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी।

कई बार लेखक कहते हैं कि यह हमारा निजी, वास्तविक और प्रमाणिक अनुभव है। लेकिन पाठक के लिए उसकी सार्थकता तो तभी है जब वह उसका भी निजी वास्तविक और प्रमाणिक अनुभव हो और बन जाए। हम आज यह आसानी से देख और समझ सकते हैं कि कोई निजी और व्यक्तिगत अनुभव भी एक वृहत्तर सामाजिक यथार्थ और प्रक्रिया का अंग है। फिर कहानी का अनुभव सिर्फ बयान नहीं है बल्कि उससे उस अनुभव का विश्लेषण भी अंतर्निहित होता है।'[32] दूधनाथ सिंह की कहानियां भी इसी धरातल पर बुनी गयीं है। वह सामाजिक सन्दर्भों के साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी मुख्यतः से करती हैं। वह किसी भी व्यक्ति का निजी अनुभव भी प्रतीत हो सकताहै और किसी को भी वह सामाजिक लग सकता है।

दूधनाथ सिंह आज की जीवन कथा और सामाजिक सच्चाई के प्रभावी रचनाकार हैं और सरोकारों के स्तर पर निर्भीकता और बेबाकी से अपना कथ्य पेश करते हैं। भाषा और चित्रात्मकता के धनी दूधनाथ सिंह की लेखकीय क्षमता इस चीज़ से ज़ाहिर है कि वह निरंतर तीखे कथ्य को चरित्रों के स्तर पर (नमो अन्धकारं), प्रतीकों के सहारे, (तू फ़ू) या फिर आत्यंतिक वर्णनों की मदद से (रीछ) पाठकों के लाभार्थ, लेकिन अपनी शर्तों पर रखते हैं। हम यह भी पाते हैं कि दूधनाथ सिंह की कल्पनाशीलता संवेदना–शक्ति में समय के साथ परिपक्वता और सघनता बढ़ती गयी है और आज भी वह उसी लेखकीय ऊर्जा और साहसिकता का परिचय देते हैं, जो मसलन सत्तर के दशक में कविता और कहानी के माध्यम से उजागर हुई थी। फिर, उनके सन्दर्भ में अकहानी का प्रकृतवाद भी समय के साथ स्वाभाविक ढ़ंग से प्रतिबद्ध लेखन का सार्थक हिस्सा बना और यह ऐसे लेखकीय संघर्ष के आधार पर हुआ जो विचारधारा को मनुष्य अनुभव के साथ लाने में यकीन करता था।'[33] दूधनाथ सिह के लिए विचारधारा का पालन उतना ही आवश्यक है जो समाज के सच को निरुपित करने में सक्षम हो। यह उनकी स्वयं की लेखकीय ऊर्जा और साहस के साथ ही कल्पनाशीलता ही है कि वह अपने विषय को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ न्याय करते हैं।

फैंटेसी :

'फैण्टेसी का अर्थ होता है–स्वप्नचित्र रचना–प्रक्रिया अथवा सृजनशीलता में रचनाकार जब बाह्य परिवेश को पूर्णतया आत्मसात् करता है। तब उस सृजनशील रचनाकार के ह्रदय में एक धुंधला रहस्यमय कल्पना–चित्र उभरता है और यह स्वप्निल प्रभाव उसके अभिव्यक्ति–पक्ष का माध्यम बन जाता है, इसी को 'फैण्टेसी' कहा जाता हैं। फैण्टेसी एक टेक्नीक है जिसका प्रयोग एक सृजनशील साहित्यकार अपनी रचना प्रक्रिया में करता है। मनुष्य के शैशव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है, फैण्टेसी। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि रचनाकार के भीतर छिपा हुआ 'शिशु' ही साहित्यिक 'फैण्टेसी' का निर्माण करता है।

'वस्तुतः यह एक विशिष्ट कल्पना शक्ति है, जिसे दिवास्वप्नात्मक अथवा दुःस्वप्नात्मक बिम्ब की भी संज्ञा दी जा सकती है। इसे माया का आवरण, स्वप्नशीलता का पूरक एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सनक, अन्वेषण का रूप भी माना गया है। क्षमता का व्यापक विकास न होने के कारण कुछ लोग इसे शकुन अथवा देव–प्रकटीकरण के रूप में भी देखते हैं तो बीसवीं शती में फैंटेसी को दिवास्वप्न का पर्याय मान लिया गया। प्रत्येक

रचना प्रक्रिया में फैण्टेसी की सर्जना शक्ति छिपी हुई है इसलिए रचनाकार कहीं न कहीं फैण्टेसी जैसे तत्त्व का इस्तेमाल करता ही है और अनेक गंभीर रचनाओं में फैण्टेसी के अंशों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी', मुक्तिबोध की 'अँधेरे में', अज्ञेय कृत 'अपने–अपने अजनबी', निर्मल वर्मा कृत 'एक चिथड़ा सुख' जैसी अनेक रचनाएँ जो अनुभव के धरातल पर तीव्र अन्तर्द्वंद्व को मूर्त रूप प्रदान करती हैं, फैण्टेसी परक होती हैं। कुछ रचनाओं की समग्रता फैंटेसी प्रेरक नहीं है अपितु उसका कुछ अंश फैण्टेसी से प्रभावित होता है जिसका आकलन फैण्टेसी मूलक विचार प्रवाह में पड़ कर किया जाता है।'[34]

दूधनाथ सिंह ने अपने कथा साहित्य में फैंटेसी का यथा स्थान प्रयोग किया है। जैसे 'तू फू' कहानी का रूप फैंटेसी है लेकिन.. 'तू फू' एक विचार है, न कि असल का सांसारिक व्यक्ति जिसमें झूठ–सच का, कल्पनाशीलता और सफलता का जरुरी मिश्रण हो। इस प्रतिमान की मदद से दूधनाथ सिंह कहानी के वर्ग–सच को उघाड़ते हैं। इस योजना को अधिक जिम्मेदारी से निभाने के लिए वह तू फू नाम को भी इतिहास संगत बतलाते हैं, कहते हैं कि इतिहास में तू फू चीनी भाषा का महान कवि रहा है जो अपने समय में उक्त नजरिये का वाहक बना और इस तरह समाज परिचालन और व्याख्या का उदाहरण पेश कर पाया।'[35]

इसी प्रकार 'रीछ' कहानी में रीछ एक फैंटेसी है। जो अदृश्य है किन्तु सभी जगह व्याप्त है। कथा का मुख्य पात्र बेतरह उस अनदेखे अनचीन्हे रीछ से भयभीत है। 'जब भी वह कमरे में आता, उसकी आहात पाते ही वह तहखाने के किवाड़ भयावने रूप से खरोचने और घुरघुराने लगता। वह उसकी छाती के अंदर फेफड़ों को लगातार खरोंच रहा है।

अब उसकी आँखों से वह पहचान एकदम गायब हो गयी थी। वहाँ जन्मान्तरों पार से एक अजनबी क्रूरता झाँकती रहती। दरवाजा खुलते ही वह मल्ल–युद्ध शुरू कर देता। इधर लगातार उसे लगता था कि उसके जबड़े को कसने वाले तार कुछ ढीले पड़ रहे हैं और उसका जबड़ा पहले से कुछ ज्यादा खुला रहने लगा है। उसने दुबारा तारों को कसना चाहा तो उसने पूरी शक्ति से इसका विरोध किया था और उसके हाथों को काट खाने लपका था ..उसने तय किया– कल ही.. अगले दिन ही ..। अब और नहीं चलाया जा सकता। उसका अनुमान ठीक था। वह तुला बैठा था। वह गुस्से में अंधा हो रहा था। पहली ही उछाल में वे गुत्थम गुत्था हो गए।'[36]

आधुनिकता के लक्षण के रूप में दिखाई देता है कि समाज में रहता हुआ होकर भी व्यक्ति समाज से कटा हुया अनुभव करता है। यह वर्तमान

आधुनिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विडम्बना है। दूधनाथ सिंह का साहित्य सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्धों की यथार्थादी व्याख्या करता है। 'रीछ' और 'सपाट चेहरे वाला आदमी' शीर्षक कहानियाँ एक साथ परिवार के सम्बन्धों पर भी चोट करती थीं और स्वयं व्यक्ति को तीखे नकार के दायरे में ले आती थी। साथ ही वहां फैंटेसी का वह आकार देखा जा सकता था जो बाद में दूधनाथ सिंह की कहानियों की पहचान बना।'[37] फैंटेसी के माध्यम से उन्होंने सामाजिक विसंगतियों को सूक्ष्मता से रेखांकित किया है।

दूधनाथ सिंह की कहानियों में आधुनिकता बोध के समस्त तत्वों का समावेश दिखाई देता है। हमारे जीवन की विसंगतियों, विडम्बनाओं के साथ ही साथ मध्यवर्गीय जीवन और समाज की कुंठा और त्रास का चित्रण भी उनमें दिखाई देता है। वह दिन प्रति दिन निरंतर एकाकी होते जा रहे मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक धरातल पर सूक्ष्म अन्वेषण करते हैं। असफल प्रेम और विफल दाम्पत्य और यौन कुंठा उनके कथा साहित्य के प्रमुख तत्त्व हैं। उनके उपन्यास और कहानियों में इसे बहुत सूक्ष्मता से देखा जा सकता है।

यह उनके परिवेश की विडम्बना ही जिस कारण वह मानवीय सम्बन्धों के बिखरते, टूटते और खोखले होते रूप को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। 'उनके कहानी संसार में असफल प्रेम, विशेषतः दाम्पत्य प्रेम, मध्ययुगीन सामन्ती समाज कि हिंसक मनोवृत्तियों से मुक्ति और व्यवस्था की विसंगतियों के विरुद्ध आक्रोश और घृणा के स्वर प्रबल हैं।'[38] यही स्वर उन्हें आधुनिकताबोध से जोड़ते हैं। क्योंकि यही प्रमुख लक्षण है जिनसे मिलकर आधुनिकता का ढांचा विकसित हुआ।

आधुनिकता के फलस्वरूप बढ़ते औद्योगीकरण परिवर्तित जीवन मूल्यों व विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जीवन की पद्धतियों को काफी हद तक बदल दिया। युवा पीढ़ी शिक्षा के लिए गाँवों से शहरों को आई और आजीविका कमाने के लिए शहरों में बस गई। इस तरह ये गाँव से व अपनी जन्मभूमि से पूरी तरह से कट गए और शहरीकरण के पूर्णरूपेण रंग कर अपनी जड़ों से कट गए। इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी दिखाई देता है।

डॉ विजय द्विवेदी के अनुसार– 'सन साठ के बाद की कहानी ने यह जान लिया कि नगर जीवन की भीड़–भाड़ में खोया हुआ होकर भी आदमी नितांत अकेला है। परिवेश के दबा के कारण उनमें मानसिक विकृतियों, ग्रंथियों और कुण्ठाओं ने जन्म ले लिये। नगरीय जीवन की जटिलता में व्यक्ति ने अपने मूल्यों को तो खोया ही साथ ही साथ उच्च वर्गीय भोग की लालसा के कारण वह कुण्ठा, अवसाद, आक्रोश, विद्रोह को जन्म दिया।'[39] दूधनाथ

सिंह की अधिकाँश कहानियों में व्यक्ति की कुंठा, पीड़ा और त्रासदी का वर्णन हुआ है।

जीवन के कटु से कटु यथार्थ को दूधनाथ के साहित्य में स्थान मिला है। 'हिंदी कथा साहित्य में दूधनाथ सिंह ने इतिहास और यथार्थ से टकराते हुए समाज, सत्ता और संस्कृति के बीच निम्न व मध्यमवर्गीय अंतर्गुम्फन को तलछट पर देखने और रचने का जो क़लम–कार्य किया, उसे आज भी दूर से देखा और पढ़ा जा सकता है– एक सच की तरह, एक सबूत की तरह.. और एक विकल्प की तरह। 'जलमुर्गियों का शिकार' भारतीय पृष्ठभूमि में कथ्य की वह यात्रा है, जहाँ दुःख अपनी प्रक्रिया में चौकाने के बजाय उद्वेलित करता है; सुख सँजोने के बजाय भ्रम तोड़ता है; और संघर्ष सदियों के 'अवशेषों' को देखने की वह दृष्टि देता है, जिससे हो कोई, निःशब्द नहीं रह जाता।'[40] उनका साहित्य जीवन और समाज के बीच के यथार्थ को रेखांकित करता है।

मृत्युबोध :

मृत्युबोध को अस्तित्त्ववाद की प्रमुख विशेषता माना जाता है। 'उनकी दृष्टि में मृत्यु की उपयोगिता है, वह जीवन का शुद्ध तथ्य है, क्योंकि मृत्यु ही मानव–जीवन की वह अंतिम सीमा है, जहाँ मनुष्य में निरासक्ति का भाव पैदा होता है तथा अपने जीवन कि वह अंतिम सीमा है, जहाँ मनुष्य में निरासक्ति का भाव पैदा होता है तथा अपने अस्तित्त्व का सही ज्ञान भी।

..इस स्भ्यतामें अस्तित्त्व–बोध के लिए, अपने को जानने के लिए कम–से–कम मृत्यु जैसे धक्के की आवश्यकता है। इस प्रकार मृत्यु बोध मनुष्य को अस्तित्त्व बोध कराने का महत्त्वपूर्ण अनुभव है।'[41] आधुनिकतावादी साहित्य में जिस परकार अस्तित्त्व बोध को प्रमुख स्थान दिया गया उसी प्रकास मृत्युबोध भी उसका प्रमुख घटक माना गया। अज्ञेय कि ही भांति दूधनाथ सिंह ने भी मृत्यु बोध को अपने कथा साहित्य में प्रमुख स्थान दिया है।

उनके साहित्य में मृत्यु बोध के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे– 'मृत्यु ने हमें अत्यंत कठोर बना दिया था। एकदम आदिम और साहसी। कि हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक बहुमूल्य घटना घटी है। मैं बहुत चुप और सुखी था कि यह मैं ही हूँ, जिसने यह सब जाना है। इसके बाद इसकी आवृत्ति पर आवृत्ति। और मुझे उतनी ही ऊँचाई, उठना ही बड़ा 'चुप', उतनी ही भयावनी कठोरता, उतना ही अद्भुत साहस, उतना ही अजनबी सुख।

हर साल यह बारिश, फिर धूप, फिर बादलों का पेड़ों पर अटकना। तभी एक दिन लगा कि ना, यह मृत्यु तो सबसे आसान है। किसी के मरने पर सुख, साहस और मौन भाव से जीवित लोगों के प्रति एक उपेक्षा भाव यह सब तो मृतक का अपमान करना है। मुझे लगा कि मैं सदियों की धूप में लटकता एक पत्थर हूँ चिकना–चिकना, जिस पर कोई चढ़ नहीं सकता, जिस पर डोर बांधकर कोई सहारे के लिए पैर तक नहीं रख सकता। मुझे लगा कि मैंने अपनी गुड़िया का, अपनी जीवनी शक्ति का, अपनी नाव का अपमान किया है। मूल्यवान तो यह है कि कोई किसी के लिए जीवित रह सके सदियों तक।'[42] इसी प्रकार अन्य कई कहानियों में वह मृत्यु को बहुत करीब से देखते व परखते हैं।

चूँकि मृत्यु के पास पहुँचते हुए जीवन समाप्त होने लगता है। यह वह विचार व भाव है जो यद्यपि जीवन का शाश्वत सत्य है किन्तु फिर भी लोग इससे दूर भागना चाहते हैं। दूधनाथ सिंह ने अपनी अनेक कहनियों में बहुत ही सूक्ष्मता और बारीकी के साथ इस विषय पर विस्तारपूरक प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

विघटित होते सामाजिक मूल्यों का यथार्थ निरूपण :

दूधनाथ सिंह ने समाज में हो रहे निरंतर विघटन को अपने कथा साहित्य में निरंतर स्थान दिया है। यह समाज का कटु चेहरा है,किन्तु साहित्य में समय के साथ ही सच को स्वीकार किया गया। समय के साथ ही हमारे जीवन से मूल्य और मान्यताएं धीरे–धीरे करके पतन के कगार पर पहुँच चुके है। 'सपाट चेहरे वाला आदमी' में जीवन की कृत्रिमता, सामाजिक अमानवीयता, भावहीनता, अकेलापन और अवसाद की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। यह कहानी विरूपताओं को झेलने की अभिशप्ति तथा आत्म के तलाश की जद्दोजहद की कहानी है। कहानी में नैरेटर रो नहीं पाता, एकरसता का शिकार है। उसने वेद से लेकर कामसूत्र तक पढ़ डाला है, पर उससे उसे कोई राहत नहीं मिलती।

तात्पर्य यह कि अतीत के दृष्टांत बेकार हो चुके हैं। नैरेटर उस बच्ची के मरने के बाद नहीं रोया जो छ माह की उम्र में अस्सी साल की बुढ़िया लगती थी। अब इसकी तुलना 1947 में मिली आजादी और '60 तक आते–आते उसकी पत्नी से कीजिए। कैसे इसके सारे प्रोजेक्ट धूल–धुसरित हो गए। कहानी में उस वेश्या के साथ जो कुछ हो रहा है, वैसी ही यंत्रणा भरी स्थिति देश के साथ भी है। और उस बच्चे का सपाट चेहरा संवेदनशील नागरिक की विडंबना और विवशता। गौर करने की बात है कि रोने की क्षमता न तो नैरेटर में है, न उस सपाट चेहरे वाले बच्चे में। यह पैसिव

असहमति, क्षोभ और विकल्पहीनता की मिली जुली एवं जटिल स्थिति है। विकल्प नहीं है फिर भी जो कुछ घट रहा है वह स्वीकार्य नहीं है। बच्चे के गले में रोटी अटक गई है, स्पष्ट है कि वह विद्रूपता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।'[43]

सन्दर्भ :

1. जलमुर्गियों का शिकार, दूधनाथ सिंह, फ्लैप
2. आजकल, दिसम्बर, 2016, पृ0–07
3. आधार चयन, भीष्म साहनी, कहानियाँ 2020, पृ0–08
4. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह पृ0–90
5. कहानी की अंदरुनी सतह, शंभू गुप्त, पृ0–187
6. कहानी की अंदरुनी सतह, शंभू गुप्त, पृ0–60
7. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, पृ0–33
8. सपाट चेहरे वाला आदमी, दुःस्वप्न कहानी, दूधनाथ सिंह, पृ0–39
9. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, पृ0–129
10. हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉ नगेन्द्र, पृ0– 733
11. कहा–सुनी, दूधनाथ सिंह, पृ0–125
12. तू फ़ू, दूधनाथ सिंह, पृ0–41–42
13. आजकल, दिसम्बर, 2016, पृ0–08
14. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, पृ0–94
15. कहानी की अंदरूनी सतह, शंभू गुप्त, पृ0–119
16. आजकल, दिसम्बर, 2016, पृ0–09
17. हिंदी कहानी : एक और अन्तरंग पहचान, रामदरश मिश्र, पृ0–73
18. प्रेम कथा का अंत न कोई, दूधनाथ सिंह, भूमिका
19. कहा सुनी, दूधनाथ सिंह, पृ0–73

20. प्रेमकथा का अंत न कोई, सींखचों के भीतर कहानी, दूधनाथ सिंह, पृ0–95

21. प्रेम कथा का अंत न कोई, बिस्तर कहानी, दूधनाथ सिंह, पृ0–56

22. प्रेम कथा का अंत न कोई, बिस्तर कहानी, दूधनाथ सिंह, पृ0–48

23. माई का शोक गीत, दूधनाथ सिंह, पृ0–29

24. सिलसिला, मधुरेश, पृ0–10

25. दूधनाथ सिंह की साठोत्तरी दौर की कहानियाँ, राजीव कुमार, हिंदी समय.कॉम

26. सपाट चेहरे वाला आदमी. दूधनाथ सिंह, पृ0–90

27. प्रेम कथा का अंत न कोई, दूधनाथ सिंह, पृ0–34

28. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, पृ0–94

29. कथा समग्र–दूधनाथ सिंह, आवरण पृष्ठ

30. दूधनाथ सिंह की साठोत्तरी दौर की कहानियाँ, राजीव कुमार, हिंदी समय.कॉम

31. नयी कहानी : अस्तित्व एवं स्वरुप, डॉ संगीता अग्रवाल, पृ0–110

32. नयी कहानी : अस्तित्व एवं स्वरुप, डॉ संगीता अग्रवाल, पृ0–109

33. आजकल, दिसम्बर, 2016, पृ0–15

34. https://www.hindisahity.com/fantasy%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80/

35. आजकल, दिसम्बर, 2016, पृ0–15

36. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, पृ0–31

37. आजकल, दिसम्बर, 2016, पृ0–08

38. दूधनाथ सिंह का साहित्य, डॉ हरिन्द्र कुमार, पृ0–30

39. साठोत्तरी हिंदी कहानी, डॉ विजय द्विवेदी, पृ0–67

40. जलमुर्गियों का शिकार, दूधनाथ सिंह, कवर पेज से

41. पाश्चात्य काव्य शास्त्र : अधुनातन संदर्भ, डॉ सत्यदेव मिश्र, पृ0–369

42. सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह, पृ0–142

43. दूधनाथ सिंह की साठोत्तरी दौर की कहानियाँ, राजीव कुमार, हिंदी समय.कॉम

भोजपुरी : शालीनता से अश्लीलता तक

*** डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह**

प्रस्तुत लेख 'भोजपुरी : शालीनता से अश्लीलता तक' को लिखने का विचार मेरे मन में तब आया जब मैं वाराणसी से गाजीपुर की यात्रा करने के लिए एक प्राइवेट बस में बैठा। ज्यों ही बस शहर के भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र से निकलकर तेज रफ्तार वाले क्षेत्र में पहुँची, तभी बस के चालक ने पान का एक बीड़ा जमाया और बस की रफ्तार को तेज करते हुए गाना बजाना। गाने के बोल थे : *'तनी चालू कर जनरेटर, तोहार देखे के बा थियेटर, पिछला समान तोर अगिला से बेटर, तनी चालू कर जनरेटर।' 'तोहार लहंगा उठा देब रिमोट से'।* इन गानों को सुनकर मेरी दशा ऐसी हो गयी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक तरफ जहाँ जहाँ इन गानों को कुछ यात्री बड़े चाव से मजे लेकर सुन रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो ड्राइवर को गुस्से में गाली भी दे रहे थे, विशेषकर महिलायें। सहसा मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वह भोजपुरी भाषा जो अपनी मिठास, विनम्रता और शालीनता के लिये जानी जाती थी, वह अश्लीलता और द्विअर्थ के अंधकार में कहाँ खो गयी हैं। इस परिस्थिति ने ही मुझे यह लेख लिखने के लिये प्रेरित किया। अपनी इसी जिज्ञासा को प्रस्तुत लेख के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भोजपुरी भाषा : परिचयात्मक विश्लेषण

भोजपुरी भाषाई परिवार के स्तर पर एक आर्य भाषा है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्र में बोली जाती है। अधिकारिक और व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिन्दी की एक उपभाषा या बोली है। भोजपुरी अपने शब्दावली के लिये मुख्यतः संस्कृत और हिन्दी पर निर्भर है, जबकि कुछ शब्द इसने उर्दू से भी ग्रहण किये हैं। भोजपुरी जानने–समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों में हैं, जिसका कारण ब्रिटिश राज्य के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाये गये मजदूर हैं, जिनके वंशज अब जहाँ उनके पूर्वज गये थे, वहीं बस गये हैं। इनमें सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और फिजी आदि देश प्रमुख है।[1] भारत की जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार भारत में 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वाली की संख्या लगभग 5 करोड़ हैं।[2]

* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, लालपुर, वाराणसी

भोजपुरी की उत्पत्ति एवं विकास

भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा (शाहाबाद) जिले में स्थित 'भोजपुर' नामक गाँव के नाम पर हुआ हैं। पूर्ववर्ती आरा जिले के बक्सर सब–डिविजन (अब बक्सर अलग जिला है) में भोजपुर नाम का एक बड़ा परगना हैं, जिससे 'नवका भोजपुर' और 'पुरनका भोजपुर' दो गाँव है। मध्य काल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा 'भोज' के नाम पर भोजपुर रखा था। इसी कारण इसके आस–पास बोली जाने वाली भाषा का नाम 'भोजपुरी' पड़ गया।

भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है। यह 1000 साल से अधिक पुरानी भाषा है, जिसके साक्ष्य 'गुरु गोरख नाथ' द्वारा 1100 वर्ष में लिखे गये 'गोरखबानी' में मिलता है। वही संत कबीर दास (1297) का जन्म 'भोजपुरी दिवस' के रूप में भारत में स्वीकार किया गया है और 'विश्व भोजपुरी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।[3]

भोजपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार

भोजपुरी भाषा प्रधानतया पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है। जिलेवार इनका विवरण इस प्रकार है[4]–

बिहार– बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, वैशाली, भोजपुर, रोहतास एवं भभुआ।

उत्तर प्रदेश– बलिया, वाराणसी, चन्दौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराईच एवं सिद्धार्थ नगर।

झारखण्ड– पलामु एवं गढ़वा।

नेपाल– रौतहट, बारा, बीरगंज, चितवन, नवलपरासी, रूपनदेही, कपिलवस्तु एवं पर्सा।

भोजपुरी भाषा की प्रधान बोलियाँ

भोजपुरी भाषा की निम्नलिखित प्रधान बोलियाँ इस प्रकार हैं– (1) आदर्श भोजपुरी (2) पश्चिमी भोजपुरी (3) मधेसी तथा थारू।

(1) आदर्श भोजपुरी– जिसे डॉ0 ग्रियर्सन ने स्टैंडर्ड भोजपुरी कहा है, वह प्रधानतया बिहार राज्य के आरा जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर जिले के पूर्वी भाग और घाघरा (सरयू) और गंडक के दोआब में बोली जाती है। यह एक लम्बे भू–भाग में फैली हुई है। इसमें अनेक स्थानीय विशेषताएँ पाई जाती हैं। जहाँ शाहाबाद, बलिया और गाजीपुर आदि दक्षिणी जिलों में 'ड़' का प्रयोग किया जाता है, वही उत्तरी जिलों में 'ट' का प्रयोग होता है। इसी प्रकार उत्तरी आदर्श भोजपुरी में जहाँ 'बाटे' का प्रयोग किया जाता है वहीं दक्षिणी आदर्श भोजपुरी में 'बाड़े' प्रयुक्त होता है। उदाहरणस्वरूप गोरखपुर

की भोजपुरी में 'सन्तोष घर में बाटें' कहते है जबकि बलिया में 'सन्तोष घर में बाड़ें' बोला जाता है।

पूर्वी गोरखपुर की भाषा को 'गोरखपुरी' कहा जाता है परन्तु पश्चिमी गोरखपुर और बस्ती जिले की भाषा को 'सरवरिया' नाम दिया गया है। सरवरिया शब्द 'सरूआर' से निकला हुआ है, जो 'सरयूपार' का अपभ्रंश रूप हैं। वहीं बलिया (उत्तर प्रदेश) और सारन (बिहार) इन दोनों जिलों में बोली जाने वाली आदर्श भोजपुरी में कुछ शब्दों के उच्चारण में थोड़ा अन्तर पाया जाता है। सारन के लोग 'ड' का उच्चारण 'र' करते हैं। जैसे बलिया निवासी 'घोड़ागाड़ी आवत बा' कहते हैं, वही छपरा या सारस का निवासी 'घोरा गारी आवत बा' बोलते हैं। आदर्श भोजपुरी का नितांत निखरा रूप बलिया और आरा जिले में बोला जाता है।

पश्चिमी भोजपुरी– पश्चिमी भोजपुरी जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर के पश्चिमी भाग और मिर्जापुर में बोली जाती हैं। आदर्श भोजपुरी और पश्चिमी भोजपुरी में बहुत अन्तर हैं। पश्चिमी भोजपुरी में आदर सूचक शब्द के लिये 'तुँह का प्रयोग दीख पड़ता है, परन्त आदर्श भोजपुरी में इसके लिये 'रउरा' प्रयुक्त होता है। संप्रदान कारक का परसर्ग (प्रत्यय) इन दोनों बोलियों में भिन्न–भिन्न पाया जाता है। आदर्श भोजपुरी में संप्रदान कारक का प्रत्यय ''लागि'' है परन्तु वाराणसी की पश्चिमी भोजपुरी में इसके लिये 'बदे' या 'वास्ते' का प्रयोग होता हैं। जैसे–

हम खरमिटाव कइली हा रहिला चबाय के।
भेवल धरल बा दूध में खाजा तोरे बदे।।
जानीला आजकल में झनाझन चली रजा।
लाठी, लोहाँगी, खंजर और बिछुआ तोरे बदे।।[5]

मधेसी एवं थारू– मधेसी शब्द संस्कृत के 'मध्य प्रदेश' से निकला है, जिसका अर्थ हैं बीच का देश। चूँकि यह बोली तिरहुत की मैथिली बोली और गोरखपुर के बीच वाले स्थानों में बोली जाती है। अतः इसका नाम मधेसी पड़ गया है। थारू लोग नेपाल की तराई में रहते है। ये बहराइच से चम्पारण जिले तक पाये जाते हैं और भोजपुरी बोलते है। यह विशेष उल्लेखनीय बात हैं कि गोंडा और बहराइच जिले के थारू लोग भोजपुरी बोलते हैं जबकि वहाँ की भाषा पूर्वी हिन्दी (अवधी) है। हॉग्सन ने इस भाषा के ऊपर प्रचुर प्रकाश डाला हैं।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण मैंने भोजपुरी भाषा के एक परिचयात्मक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया हैं। यह विश्लेषण भोजपुरी की प्राचीनता और उसके विस्तार का प्रमाण स्वयं प्रस्तुत कर रहा है। अब मैं भोजपुरी भाषा का फिल्मी दुनिया में प्रवेश का वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ–

फिल्मी दुनिया में भोजपुरी के प्रवेश की कहानी बड़ी रोचक है। मुम्बई के फिल्म संसार में भोजपुरी का प्रवेश भोजपुरी गीतों के माध्यम से हुआ और इसका श्रेय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के भूतपर्व अध्यक्ष मोती बीरू को जाता है। सन् 1948 में बनी 'नदिया के पार', जिसके निर्देशक थे किशोर साहू। ये फिल्म मछुआरों और मल्लाहों की जिंदगी पर आधारित थी, जिसके संवाद अवधी में थे और इसके 8 गीत भोजपुरी में थे। इनमें से अधिकांश गीत दिलीप कुमार और कामिनी कौशल पर फिल्माये गये थे। इन गीतों को मोती बीरू ने लिखे थे। आलम ये था कि इन गीतों को जिसने भी सुना है, इनकी तारीफ किये बिना नहीं रह सका। इन गीतों को सुनकर लोगों के मुँह से अनायास ही हाउ स्वीट, हाउ स्वीट (How Sweet) निकलता था। फिर क्या था, लोगों को भोजपुरी गीतों का चस्का लग गया और इसके साथ ही हिन्दी फिल्मों में भोजपुरी गीत रखे जाने का रिवाज चल गया।[6]

16 फरवरी, 1961 में भोजपुरी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तिथि थी। इस दिन पटना के शहीद स्मारक में भोजपुरी की पहली फिल्म ''गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो'' का मुहूर्त समारोह सम्पन्न हुआ था और अगली सुबह इस फिल्म की शूटिंग शुरु की गयी। नाजिर हुसैन, जिनको आज भोजपुरी सिनेमा का भीष्म पितामह कहा जाता है, ने डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद से प्रेरणा लेकर इस फिल्म का निर्माण किया। 1962 में जब यह फिल्म रीलीज हुई तब नतीजा यह हुआ कि गांव तो गांव, शहर के लोग भी खाना–पीना भूल गये। जो वितरक इस फिल्म को लेने से ना–नुकुर कर रहे थे, अब दांतो तले अंगुली काटने लगे। इस फिल्म की खासियत थी; दर्शक से इसकी आत्मीयता, दहेज, बेमेल विवाह, नशाबाजी, सामंती संस्कार और अंधविश्वास से निकली समस्या, जो भोजपुरिया लोगों को अपनी जिंदगी की समस्या लग रही थी। गीतकार शैलेन्द्र और संगीतकार चित्रगुप्त ने गीतों को इतना मोहक बनाया कि गीत गली–गली बजने लगें। 5 लाख की पूँजी से बनी इस फिल्म ने 75 लाख रूपये का व्यवसाय किया। परन्तु भोजपुरी फिल्म निर्माण का जो पहला दौर 1961 से शुरू, वो 1967 तक ही चला। इस दौर में दर्जनों फिल्में बनी, लेकिन ''लागी नाही छूटै राम'' और ''बिदेसिया'' को छोड़कर कोई भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी।

1967 के बाद 10 साल तक भोजपुरी फिल्म निर्माण का सिलसिला ठप रहा। 1977 में बच्चू भाई साह ने नदीम–श्रवण के मधुर संगीत से सजी 'दंगल' फिल्म बनायी। यह पहली रंगीन भोजपुरी फिल्म थी, जिसकी मधुरता और शालीनता के सभी लोग कायल हो गये। इस धमाकेदार फिल्म के बावजूद 1967–1977 तक भोजपुरी फिल्मों का निर्माण लगभग बंद रहा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ये हालत भोजपुरिया संस्कार और संस्कृति की थोथरी छूरी से हत्या करने वाले फिल्मकारों के चलते हुई।

भोजपुरी फिल्म निर्माण का दूसरा दौर 1977–1982 तक चला। जिसमें 'हमार भौजी', 'भैया दूज', 'नैहर के चुनरी', 'पिया के गाँव', 'इल्हा गंगा पार के' आदि फिल्में बनी और जबरदस्त हिट रही। इन फिल्मों ने भोजपुरी फिल्म व्यवसाय को खूब आगे बढ़ाया।

1982 से 2002 तक हालात ये हो गये कि कब फिल्म बनी और कब पर्दे से उतर गयी, इसका पता ही नहीं चलता था। ये समय भोजपुरी सिनेमा के लिये सबसे बुरा रहा। 2003 में मनोज तिवारी की 'ससुरा बड़ा पैसावाला' के सुपर–डुपर हिट होने के बाद भोजपुरी सिनेमा का कायाकल्प हो गया। 2003 के बाद के समय को भोजपुरी सिनेमा का नया युग या वर्तमान दौर कहा जाता है। इसी समय रवि किशन की सैयां हमार और सैयां से कर द मिलनवा हे राम बनी लेकिन मोहन जी प्रसाद की ही अगली फिल्म पण्डित जी बताई ना बियाह कब होई सुपर–डुपर हिट हुई। फिर तो भोजपुरी फिल्मों की किस्मत ही जाग गयी। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जूही चावला, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हिन्दी के नामी कलाकार भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगे। भोजपुरी फिल्मों का बजट बढ़ गया और इसकी शूटिंग लंदन, मॉरिसस और सिंगापुर में होने लगी। साल 2009 भोजपुरी मनोरंजन जगत के लिये काफी चर्चा में रही। एक लम्बे इंतजार के बाद हमार टीवी व महुआ समेत भोजपुरी के कई चैनल आये।

वर्ष 2010 भोजपुरी सिनेमा के लिये न तो बहुत अच्छा रहा और न ही बहुत खराब। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, मनोज तिवारी की फिल्म 'भोजपुरिया डॉन' को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मिला आमंत्रण एवं मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी का बिग बॉस सीजन 4 में जाना।

वर्ष 2011 में भोजपुरी सिनेमा के स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया गया। कहीं भोजपुरी अधिवेशन, कहीं भोजपुरी फिल्म अवार्ड तो कहीं भोजपुरी सिटी सिने अवार्ड। मतलब सालों भर भोजपुरी फिल्म उत्सव रहा। दिल्ली में आयोजित विश्व भोजपुरी सम्मेलन में भी फिल्म पर विशेष सत्र रखा गया तो पटना में वर्ष के शुरुआत में ही स्वर्णिम भोजपुरी के रूप में भोजपुरी सिनेमा पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें भोजपुरी फिल्मों के दिग्गजों ने शिरकत किया। वर्ष 2011 में ट्रक ड्राइवर, साजन चले ससुराल और निरहुआ इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी पारिवारिक फिल्म औलाद ने अच्छा बिजनेस किया।

भोजपुरी मीडिया डॉट कॉम के अनुसार वर्ष 2012 में प्रदर्शित हुई 55 फिल्मों में से मात्र 2 फिल्में ही सुपर हिट साबित हुई जबकि 10 फिल्मों ने औसत व्यवसाय किया। इस वर्ष 26 जनवरी को पहली प्रदर्शित फिल्म रही रवि किशन की केहू हमसे जीत ना पायी व लोक गायक गुड्डू रंगीला की ससुरो कब्बो दामाद रहल। यह दोनों फिल्म फ्लाप रही। फिर 3 फरवरी को

निरहुआ–पवन सिंह स्टार खून पसीना प्रदर्शित हुई। इस फिल्म ने बिहार व मुम्बई में बेहतरीन व यू0पी0 में औसत व्यवसाय किया लेकिन लागत वसूलने में फिल्म असफल रही।[7]

भोजपुरी : वर्तमान परिदृश्य

यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय समाज एक विचित्र सा समाज हो गया है जो सही को होने ही नहीं देता जिससे सही आदमी का शोषण तो होता ही है, इसके साथ ही वह सही आदमी सभ्य से अमानुष बनता चला जाता है। ये हमारी सारी व्यवस्था ही आदमी का शोषण और उसकी भावनाओं का दमन करने के लिये बनी हैं। ये भी कहना गलत नहीं है कि ना हम पुरानी दकियानूसी बातों को दरकिनार पर पाये है और ना ही हम नयी प्रवृत्तियों को ठीक से अपना पाए हैं। हम बिल्कुल चितकबरे विचित्र जानवर बन गए हैं। अगर आप यह मानते हैं कि सिनेमा या संगीत समाज का दर्पण है तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि भोजपुरी गीतों में अश्लीलता या नंगापन ग्रामीण समाज में व्याप्त कुंठित भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। एक दृष्टिकोण तो यह भी हैं कि ग्रामीण समाज दबा के रखने वाली चीजों को लेकर सहज है और शायद इसीलिये उनको कोई खास शिकायत नहीं अश्लीलता को लेकर जिस तरह से एक सभ्य वर्ग को है।

लेकिन इसी भीड़ में अद्भुत गीत भी है, जो सुनने वालों से एक गहरा तादात्म्य स्थापित कर लेते है। वो सिर्फ इसलिये कि अपनी माटी और अपनी संस्कृति की इनमें वास्तविक झलक होती है। जिन समस्याओं को हम फिल्मी या गैर फिल्मी गीतों में नहीं सुन पाते या फिर कृत्रिम रूप से एक थोपी हुई गम्भीरता के साथ सुनते हैं वे सब बातें हम भोजपुरी गीतों में एक सहज और मधुर रूप से सुन लेते हैं। शायद तभी इनका असर देर तक रहता है। यह अलग बात है कि सब चीजों पर पैसा हावी हैं। मैं गाँव के आज के हालात से काफी अच्छी तरह वाकिफ हुँ। इसीलिये ये कहने में कोई हिचक नहीं कि हर तरह की विकृति ने गाँवों में अपनी पैठ बना ली है, जिसकी एक झलक हमें भोजपुरी गीतों में बढ़ती अश्लीलता के रूप में दिखाई पड़ती है। गांवों में सड़क और सम्पन्नता के साथ अश्लीलता भी धीरे–धीरे चली आई हैं। मैं ये कहूँगा कि समस्या बहुत गम्भीर हैं। आप जो देख रहे है वे अंग्रेजी में ऐसे कहा जाएगा : It's just the tip of the iceberg.[8] पर इन सबसे परे हट के सोचे तो भोजपुरी गीतों की बात ही कुछ और है और इसीलिये जिन्होंने ''गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़इबो'' या ''नदिया के पार'' के गीत सुने हैं, उन्हें आज के दौर के फूहड़ गीतों से खासी चिढ़ होती होगी।

आज के भोजपुरी गीत तो देखे। भाई लोगों ने कल्पनाशीलता के ऐसे बाण छोड़े हैं कि माथा थाम लेने का मन करता हैं। आज के भोजपुरी गीतों का चोली और लहंगा से इतना गहरा रिश्ता हैं कि पूछिए मत। हर गीत में

चोली लहंगे का जिक्र जरूर हैं और आलम ये हैं कि मोरे लहंगा में आवे रे भूकम्प, लहंगा में सबसे बड़ा एटीएम (ATM), हमरे लहंगा में मीटर लगा दी राजाजी, तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से इत्यादि गीतों कि श्रृंखला शुरू हो गयी और ये किसी को नहीं पता कि यह कहाँ जा के रूकेगा। अगर कल्पनाशीलता में कुछ कसर रह गयी हो तो हाई पावर के चुम्बक बाटे इनका दुपट्टा के पीछे या कसम से देह रसगुल्ले बा जैसे गीतों ने ये कमी भी पूरी कर दी। अभी कुछ महीनों पहले मैं अपने गाँव गया। मैंने देखा कि वहाँ जब भी किसी मोबाइल पर आप काल करिए तो ये गीत जरूर सुनने को मिलता था मिस काल मारत तारू किस देबू का हो''। गाँवों में किसी और स्तर पर प्रगति हुई हो या ना हुई हो पर भैंस चराते हुए नंगे बदन लोगों के पास एक अच्छा और महंगा मोबाइल सेट जरूर मिल जाएगा, जिसमें इस तरह के गीत आपको बजते हुए सुनाई पड़ जायेंगे। अगर आप गाँव में किसी तरह इन गीतों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से सुनने से वंचित रह गए तो चिंता ना करें, कोई बहुत ही कम उम्र का बच्चा आपको वही गीत आपको लाइव सुना देगा।

लोकगीतों की हमारे यहाँ समृद्ध परम्परा रही हैं और अवधी, बृजभाषा या भोजपुरी के गीतों की धूम रही हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक गीत जीवन के हर मोड़ के लिये हैं; बिरह से लेकर मिलन तक। यहाँ तक कि मौसम के हिसाब से भी लोकगीत हैं जैसे होली, चैती और कजली। लोकगीत गायकों जैसे शारदा सिन्हा, भरत शर्मा, मनोज तिवारी और बालेश्वर यादव जैसे गायकों ने इन गीतों को एक नया ही आयाम दिया है।[9] अगर मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि देश के आप किसी कोने में चले जाए तो तरह–तरह के लोकगीतों की भरमार हैं और इनके गाने वाले भी इनको खूब रस में डूबकर गाते हैं। इन सबको देखते हुए इन अश्लील गीतों का हर तरफ छा जाना मुझे बहुत खलता है।

भोजपुरी भाषा में अश्लीलता का कारण

भोजपुरी भाषा में अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव ने इसकी शालीनता, सौम्यता और मिठास में जहर घोलने का कार्य किया हैं। लगातार भोजपुरी में बने रहे अश्लील एल्बम और कार्यक्रमों में अश्लील गाने वालों कलाकारों के कारण अब दुसरे भाषा–भाषी के लोग यह समझने लगे हैं कि अश्लीलता ही भोजपुरी लोकगीत की नींव है। कोई भी सभ्य एवं सुशिक्षित व्यक्ति का परिवार के संग बाहर निकलना दूभर हो जाता है जब कहीं भोजपुरी अश्लील गाना बज रहा हो। स्थिति शर्मनाक है, दुखद है और भोजपुरी के लिये दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। आखिर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। भोजपुरी में अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव का कुछ प्रमुख कारण निम्नवत् है–

1. भोजपुरी में अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव का एक प्रमुख कारण भोजपुरी भाषा–भाषी राज्यों के लिये फिल्म सेंसर बोर्ड का अभाव पाया जाना हैं। इसी कारण बाल अभिनेत्री वैष्णवी ने सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को पटना में फिल्म सेंसर की स्थापना हो इसकी मांग की है। 15.01. 2014 के लिखे इस पत्र में वैष्णवी ने कहा हैं कि अन्य स्थानीय भाषा की फिल्मों के सेंसर का अधिकार सम्बन्धित राज्यों को दिया गया है। फिर भोजपुरी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? भोजपुरी फिल्मों के सेंसर का अधिकार बिहार सरकार को दिया जाये। चूँकि भोजपुरी फिल्मों का सेंसर मुम्बई में होता है वह भी लगभग बिना देखें। इसी कारण भोजपुरी फिल्मों व गानों में अश्लीलता बढ़ती जा रही हैं। जो अच्छी फिल्म बनती भी है तो वह भी इसी साजिश की शिकार हो जाती है।
2. भोजपुरी भाषा में अश्लीलता का दूसरा प्रमुख कारण भोजपुरी भाषा–भाषी राज्यों को भाषाई फिल्मों पर सब्सिडी और टैक्स न मिलना है। जिसके कारण अच्छे निर्माता, निर्देशक व कलाकार आगे आकर अच्छी फिल्में बनाने का साहस नहीं कर पाते।
3. आज हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भोजपुरी में अश्लीलता सुनी जा रही है या परोसी जा रही हैं। मेरा मानना हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता सुनी नहीं वरन् परोसी जा रही है। अतः परोसने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण भोजपुरी में अश्लीलता भी बढ़ रही है।
4. मेरा यह मानना हैं कि भारतीय समाज बहुत तेजी से आध्यात्मिकता से भौतिकता की ओर बढ़ा है। तो भला इससे हमारा भोजपुरिया समाज कैसे पीछे रह जाता। भोजपुरी फिल्मों में ग्लैमर और ग्लैमरस के बढ़ते प्रभाव ने खुलेपन को बढ़ावा दिया है। यह खुलापन आज भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के पर्याय का कारण बन चुका हैं।

अश्लील भोजपुरी का समाज पर प्रभाव

भोजपुरी भाषा, संस्कृति, संस्कार और भोजपुरिया लोगों की दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान है। दुनिया में जहाँ–जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ–वहाँ अंग्रेज अपनी संस्कृति को थोपने में कामयाब हो गये परन्तु मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति से वे प्रभावित हुए। खासकर पूर्वांचल की पहचान जिस संस्कार और रीति–रिवाज से है। वह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ आज भी सास–बहू, ससुर–दामाद, ननद–भाभी, देवर–भाभी और भव–भसुर के बीच संस्कारी पर्दा है वह दुनिया में कहीं और नहीं है। बाहर से कमाकर आने वाला बेटा अपने माँ–बाप और बड़े–बुजुर्गों के पैर पर रुपया रखकर पैर छूता है। यह परम्परा भला और कहाँ देखने को मिलेगी।

भोजपुरी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से चलकर आज दुनिया के कोने–कोने में अपनी अलग पहचान बना ली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु आज भोजपुरी सिनेमा में बढ़ते अश्लीलता को देखकर ऐसा समझ में आता है कि हमारी तरक्की के साथ–साथ हमारी असली पहचान तो समाप्त नहीं होती जा रहीं। आज भोजपुरी भाषा में बढ़ती अश्लीलता से ऐसा लग रहा है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

भोजपुरी सिनेमा और गीत में बढ़ती अश्लीलता समाज से लिये एक चिंता का विषय है। पिछले 10 सालों में भोजपुरी का विकास तो बहुत हुआ परन्तु उतनी ही तेजी से इसमें अश्लीलता भी बढ़ी। भोजपुरी गाने आज सभी सामाजिक वर्जनाओं को तार–तार कर चुके हैं। भोजपुरी गाने जब टैम्पों, आटो, बस या सड़क पर जब बजते हैं तो हमारी बेटियाँ शर्म से सहम जाती है। भोजपुरी द्विअर्थी, अश्लील और विद्रूप गाने जो भोजपुरी समाज को अपनी संस्कृति और मुझे विकृत लगते हैं। अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो भोजपुरी साहित्य और गीतों को सुनकर मेरा यह विश्वास हैं कि भोजपुरी समाज में रिश्तों की कोई भी वर्जना नहीं। वहाँ ससुर–बहू, बहू–जेठ, देवर–भाभी के बीच दैहिक रिश्ते समाज की अपेक्षा हैं। भोजपुरी अश्लील गीतों ने शालीन लोगों का सड़क पर चलना हराम कर दिया है। भोजपुरी साहित्य के आईने में भोजपुरी समाज अपना विकृत, विद्रूप, वीभत्स, वर्जनाविहीन अश्लील चरित्र देख लें और आत्मवंचना करें।[10]

भोजपुरी अश्लीलता को समाप्त करने के सुझाव

भोजपुरी अश्लीलता को समाप्त करने में निम्नलिखित बिन्दु प्रासंगिक एवं उपादेय हो सकते हैं–

1. भोजपुरी में अश्लीलता के सन्दर्भ में एक सवाल यह उठता हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता जब सुनी जा रही हैं तो परोसी भी जा रही हैं। जब तक सुनने वाले रहेंगे तब तक परोसने वाले भी तैयार बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में परोसने वालों पर ही रोक लगाना यथोचित प्रतीत हो रहा है। इसके लिये कई प्रबुद्ध लोगों से वार्ता हो रही हैं और निष्कर्ष यही निकला है कि अगर अश्लील कार्यक्रम पेश करने वाले या गाने वाले के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज करना पड़े तो अब दर्ज किया जायें। इसी के माध्यम से अश्लीलता को भोजपुरी से दूर किया जा सकता है।
2. भोजपुरी भाषा में अश्लीलता को समाप्त करने के लिये सरकार को भी आगे बढ़कर पहल करनी होगी। सरकार को दक्षिण के प्रांतों की तरह भाषाई फिल्मों पर सब्सिडी और टैक्स को माफ करना होगा ताकि अच्छे निर्माता, निर्देशक व कलाकार आगे आकर अच्छी फिल्में बनाने का साहस कर सकें।

3. जो लोग भोजपुरी फिल्मों में ग्लैमर का तड़क–भड़क ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी सोचना होगा कि इससे हमारी संस्कृति, भाषा प्रभावित हो रही है। फिल्मों में शालीनता व संस्कार होंगे तो वह सर्व स्वीकार्य होगी। इससे बिजनेस और भी बढ़ेगी और भोजपुरी भाषा तेजी से विकास करेगी।
4. भोजपुरी से अश्लीलता को हटाने के लिये एक पहल समाज के उन लोगों को करनी होगी जो समाज के विकास के बारे में सोचते हैं। उन लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि अश्लील गीत–संगीत को समुदाय से दूर सिनेमा घर तक और ऑकैस्ट्रा तक ही सीमित रखा जाए।
5. भोजपुरी के प्रचार–प्रसार में जुड़े हुए इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी आगे आना पड़ेगा। तब जाकर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।
6. भोजपुरी में बढ़ती इस अश्लीलता को तब और अधिक प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सकता है जब भोजपुरी भाषा–भाषी राज्यों के लिये एक अलग फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की जायें। ताकि वह भोजपुरी फिल्मों को अच्छी तरह देख कर उसमें से अश्लील गानों और चित्रों में संशोधन कर समाज में प्रस्तुत कर सकें।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सबकी शुरूवात सबसे पहले अपने से करनी पड़ेगी क्योंकि पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको यह बात समझनी होगी कि हम समाज में क्या परोस रहें है? और इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा। भोजपुरी की पहचान जिस संस्कार और संस्कृति से है उसको सम्भाल कर रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो अश्लीलता छोड़िए और शालीनता अपनाइये, अपना नजरिया बदलिये नजारा तो अपने आप बदल जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

डॉ0 धर्मवीर सिंह; ''भोजपुरी लोक साहित्य : लोक सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ एवं पृष्ठभूमि'', संस्कृत भवन, चौखम्बा, वाराणसी, 2009, पृ0 1—51.

एस0के0 ओझा; ''जनसंख्या एवं नगरीकरण : जनगणना 2011'', बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, 2011, पृ0 49.

उदय नारायण तिवारी; ''भोजपुरी की उत्पत्ति और विकास'', एशियाटिक सोसाटिक, 2001, पृ0 18.

डॉ0 पुनीत बिसारिया एवं डॉ0 वीरेन्द्र सिंह; ''भोजपुरी विमर्श'', निर्मल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 18.

मुनीश्वर लाल चिन्तामणि; ''हमारा लोक साहित्य'', ''बसन्त'', महात्मा गांधी संस्थान, मोका, मॉरिशस की मासिक पत्रिका, वर्ष–1, अंक–2, ए.पी. आर, 1978, पृ0 18.

ऋत्विक घटक; ''पंक्तिया और बान्ड की पंक्तिया : सिनेमा पर'', ऋत्विक मेमोरियल ट्रस्ट, 2000, पृ0 37.

www.bhojpurimedia.com/news/wordpress.com

डॉ0 रामबख्श मिश्र; ''आधुनिक भोजपुरी के विकास के कुछ पक्ष'', भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका, भाग–3, अंक–1, जनवरी, 1984, पृ0 12.

कुलदीप श्रीवास्तव; ''भोजपुरी सिनेमा का 50 साल : 25 चर्चित फिल्में'', सबलाईन प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ0 19.

डॉ0 रामबख्श मिश्रा; ''भोजपुरी भाषा का समाजशास्त्र'', स्वस्ति प्रकाशन, 2003, पृ0 87.

अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें

श्रुति पाण्डेय; ''भोजपुरी और बांग्ला का तुलनात्मक अध्ययन'', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2003.

पैगी रामेसर मोहन; ''त्रिनिदाद भोजपुरी : एक मार्फोलाजिकल अध्ययन'', मिशिगन विश्वविद्यालय, मिशिगन, 1978.

राजेन्द्र मिस्त्री; ''दक्षिण अफ्रीका में भोजपुरी हिन्दी की एक सोशललिंग्युस्टिक इतिहास'', यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991.

मोनिका हार्ट्समैन; ''छोटानागपुर में बोली जाने वाली भोजपुरी बोली'', हारासोविट्स, 1969.

निकोल मैरी; ''मॉरिशस में भोजपुरी और क्रियोल'', टेक्सास विश्वविद्यालय, आस्टिन, 1971.

जनमत निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका

* **डॉ0 तरुण कान्त त्रिपाठी**

प्रस्तावना

वर्तमान समय सूचना क्रांति का समय है, आज के भूमंडलीय व्यवस्था ने विश्व को एक ग्राम के रूप में परिवर्तित कर क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनजीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में संचार सिर्फ संचार नहीं है, बल्कि संचार माध्यमों द्वारा विशेष लक्ष्य और उद्देश्य से संप्रेषित, मनोरंजन, और भावनाओं का मायाजाल है। सूचना क्रांति ने भारतीय क्षेत्र में परिवर्तन ला दिए हैं, विशेष रूप से भारतीय युवा इससे बहुत प्रभावित हुआ है। वे देश की सीमा से बाहर विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुए हैं इससे उनकी योग्यता का भरपूर लाभ मिल रहा है (शुक्ल, 2013:47)।

सक्षम जनसंचार माध्यमों में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि प्रमुख हैं। प्रिंट मीडिया जहाँ साक्षर पाठकों के जरिये ही जनमत का निर्माण कर सकता है, रेडियो व टेलीविजन के लिए साक्षरता कोई सीमा नहीं है। जनता का लगाव और जन–जन तक पहुँच को अगर पैमाना माना जाए तो रेडियो व टेलीविजन की गणना शीर्ष संचार माध्यमों में की जा सकती है। श्रव्य के साथ जीवंत दृश्यों के जरिये टेलीविजन ने लक्षित वर्ग को जिस तरह सम्मोहित किया है, इसकी तुलना मुश्किल है। इसकी लोकप्रियता ने अमीरी–गरीबी के फर्क को भी दरकिनार कर दिया (मिदुरा, 1971:19)।

सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को आवाज दी है। इस क्रांति ने आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सूचनाओं को पहुँचाने में एक अहम भूमिका निभायी है। सोशल मीडिया के अस्तित्व में आने से लोगों के बीच का भेदभाव खत्म हुआ है। जहाँ समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को खुले रूप से समाज के सामने जाहिर कर सकता है (रावत, 2015:26)। मोम्बर्ग (2000) के अनुसार इंटरनेट ने तेजी से लोगों के खबर को उपयोग करने का तरीका बदला है। जहाँ पहले पाठक अखबार पढ़ कर, श्रोता रेडियो पर समाचार सुन कर, और दर्शक टेलीविजन पर समाचार देख कर संतोष कर लेता था, वहीं

---

* असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, शिया डिग्री कालेज, लखनऊ

आज उपभोक्ता पलक झपकते मोबाइल व इंटरनेट द्वारा वास्तविकता की जाँच करने लगता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इन नवसंचार माध्यमों ने जनसंचार माध्यमों की आचार संहिता को पूर्णतः नकार दिया है, या यह भी कह सकते हैं हैं इनके लिए कोई नियम–कानून लागू नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उठना स्वाभाविक है, तथा इस विषय में निरन्तर शोध की आवश्यकता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन इसी दिशा में एक प्रयास है।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

अनेक शोधकर्ताओं (फॉस्टर, 2001; केयल, 2010; वानवाजेल, 2010 आदि) का मानना है इंटरनेट के आगमन के बाद पारंपरिक जनसंचार माध्यम रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया में फँसा गया है। पारंपरिक टी.वी. और अखबार सोशल मीडिया के एकीकरण प्रक्रिया से बहुत धीमे हैं। 2011 में हुये एक सर्वे के अनुसार 5 में से 4 व्यक्ति नवसंचार माध्यमों से जुड़े है। इंटरनेट ने सोशल मीडिया वेबसाइट (फेसबुक, ट्विटर आदि) द्वारा एक बड़े स्तर पर लोगों को एक–दूसरे से जोड़ा है, जिससे वह एकीकृत रहते हैं। अखबार और टी.वी. के पत्रकार सोशल मीडिया को रिर्पोटिंग टूल्स के रूप में उपयोग करते हैं।

राजशेखर (2012) ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया है। शेखर के अनुसार इन साइट्स ने जहाँ उम्र, लिंग, धर्म और देश–प्रदेश की सीमाओं को तोड़ कर लोगों को एक मंच पर लाकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, वहीं इनसे खतरों का भी आगमन हो गया है। इसका ताजा उदाहरण हिंसा की वे तस्वीरें हैं, जो इन साइट्स पर गत एक माह के दौरान खास इरादे से अपलोड कर दी गईं। यदि सरकार ने उचित कदम न उठाए होते तो शरारती तत्व अपने मकसद में कामयाब भी हो सकते थे। इसलिए अब इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हो रहे गलत प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए कुछ किया जाना बहुत जरूरी है।

प्रताप (2013) ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट को वर्तमान में जिस तरह से प्रचारित और विज्ञापित किया गया है, वह सोशल मीडिया के बारे में कई प्रकार के मिथ्या और भ्रम को ढक लेता है।

रामशंकर (2013) ने अपने अध्ययन में पाया कि सोशल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। शोधार्थी के अनुसार जब अवरोधों की बात करते हैं तो सरकार के नियम कायदे ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संचालकों की मर्जी भी आड़े आती है। सोशल मीडिया के जरिये अलग–अलग किस्म के कई नई रोजगारों का सृजन हो रहा है।

गौड़ (2014) ने सोशल मीडिया बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लिखा है कि जिस रतार से सोशल साइट्स के जरिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि यह हाइटेक भारत के दौर का आम–चुनाव बन चुका है।

रावत (2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि हुई है। आधे से भी अधिक (57.14%) उत्तरदाता इस बात से लगभग (30.52%) या पूर्णतः सहमत (26.62%) हैं कि सोशल मीडिया से लोगों के राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ा है। दो–तिहाई से भी अधिक (71.43%) उत्तरदाता इस बात से आंशिक (44.81%) या बहुत अधिक (26.62%) मानते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव से उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन हुआ है।

पाण्डेय (2015) ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा है कि वर्तमान में मीडिया जनोन्मुख एजेंडा सेट करने के बजाय सत्ता या विपक्ष द्वारा निर्धारित मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमने लगा है। पेड न्यूज जैसे प्रकरणों से मीडिया की विश्वसनीयता का व्युत्क्रमानुपाती सम्बन्ध है। यानी जिस दर से ऐसे प्रकरण उभर रहे हैं, मीडिया की विश्वसनीयता घटती जा रही है।

अध्ययन की आवश्यकता

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोगों के निर्णय सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि समाचार संगठनों में भी इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा हैं, और आज पत्रकार फेसबुक, ट्विटर पर अपडेट, कहानियाँ ब्लॉग पर पोस्ट कर नए समुदाय से सूचना साझा करते हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। इस क्रांति ने आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सूचनाओं को पहुँचाने में एक अहम भूमिका निभायी है। सोशल मीडिया के अस्तित्व में आने से लोगों के बीच का भेदभाव खत्म हुआ है।

नवसंचार माध्यमों ने जहाँ उम्र, लिंग, धर्म और देश–प्रदेश की सीमाओं को तोड़ कर लोगों को एक मंच पर लाकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, वहीं इनसे खतरों का भी आगमन हो गया है। इसकी अपार शक्ति के खतरनाक दुरुपयोग की संभावना भी किसी तौर पर उसी तरह विद्यमान है, जिस तरह प्रचार–प्रसार माध्यम के तहत विद्यमान रही। इसीलिए आज इस बात पर बहस हो रही है कि सोशल मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आखिर क्या हद तय हो, ताकि व्यक्ति बेवजह इसका इस्तेमाल न कर सके। मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस मंच का उपयोग सकारात्मक तरीके से किया जाए तो सोशल मीडिया से निश्चित रूप से समाज एवं राष्ट्र का हित होगा।

अनेक शोधकर्ताओं का मानना है कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचनाओं की सत्यता संदिग्ध रहती है, अतः यह प्रयोगकर्ताओं पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपने प्रचार का प्रभावशाली माध्यम बना लिया है। उनके समर्थकों द्वारा कभी–कभी अतिरंजित सूचनाएं या विरोधी दलों के विरुद्ध अनर्गल बातें भी फैलाई जाती हैं। ऐसे में इस तथ्य का पता लगाना अति आवश्यक है कि प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन सूचनाओं को किस तरह लिया जाता है और नवाचारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों के राजनीतिक निर्णयों को कहाँ तक प्रभावित करते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को आधार बनाकर प्रस्तुत शोधपत्र में **"जनमत निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका"** का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जनमत निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका का अध्ययन करना है। विशिष्ट रूप से इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. जन संचार माध्यमों के ऐतिहासिक विकासक्रम का अध्ययन करना।
2. भारत में नव संचार माध्यमों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
3. राजनीतिक जागरुकता में सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण करना।
4. उत्तरदाताओं के राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं निर्णयों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना/शोध प्रश्न : विशेषीकृत रूप से प्रस्तुत अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनायें इस प्रकार हैं–

1. सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि हुई है।
2. लोगों के राजनीतिक निर्णय सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं।
3. सोशल मीडिया के उपयोग की प्रकृति एवं राजनीतिक निर्णय पर प्रभाव की तीव्रता में धनात्मक सह–सम्बन्ध है।

इन शोध परिकल्पनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शोध प्रश्नों का भी निर्माण किया गया है–

1. सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी कितनी वास्तविक होती है?
2. सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का मुख्यधारा की मीडिया पर क्या असर पड़ा है?
3. सोशल मीडिया से युवाओं की जीवन शैली एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है?
4. सोशल मीडिया का किस प्रकार का दुरपयोग हो रहा है?
5. वर्तमान कानून सोशल मीडिया का दुरपयोग रोकने में कितने प्रभावी हैं?

शोधविधि : प्रस्तुत अध्ययन के उददेश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों द्वारा अनुभवात्मक प्रयोगसिद्ध स्तर पर इस बात की खोज की गयी है कि जनमत निर्माण में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, यह लोगों के राजनीतिक निर्णयों पर क्या प्रभाव डालता है, सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त जानकारी कितनी वास्तविक होती है तथा इसका किस प्रकार दुरपयोग हो रहा है और वर्तमान कानून इस दुरपयोग को रोकने में कितने प्रभावी हैं। इसके लिए लखनऊ शहर के युवाओं का प्रतिदर्श के आधार पर चयन कर उनसे सोशल मीडिया के उपप्रयोग, उपयोगिता, कंटेट्स की वास्तविकता, जीवन–शैली एवं राजनीतिक रुचियों पर प्रभाव आदि से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर अध्ययन के उददेश्यों एवं परिकल्पनाओं के आधार पर विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए सत्र 2014–15 में लखनऊ विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की गयी। प्राप्त सूची के अनुसार समग्र में 258 विद्यार्थी सम्मिलित थे। प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण कोचरन (1977) सूत्र से ज्ञात किया गया है, जो लगभग 154 आता है। अतः प्रतिदर्श में 154 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका चयन दैव निदर्शन की व्यवस्थित विधि से किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को उत्तरदाताओं से साक्षात्कार, अवलोकन एवं एकल अध्ययन के माध्यम से पूर्ण किया गया है। तथ्य संकलन के यन्त्र के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। समस्त संकलित सूचनाओं का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात् इनका विश्लेषण दोनों आधारों– (सांख्यिकी एवं तार्किक) पर किया गया है। सांख्यिकी विश्लेषण में औसत, प्रतिशत, मानक विचलन, आदि का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक निष्कर्ष को तार्किक आधार पर औचित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऑकड़ों के सुलभ प्रस्तुतिकरण हेतु यथोचित रेखाचित्रों का भी प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

- आधे से भी अधिक (57.52%) उत्तरदाता इस बात से आंशिक सहमत (38.96%) या लगभग सहमत (17.53%) हैं कि सोशल मीडिया से उनकी राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि हुई है।
- लगभग आधे (48.7%) उत्तरदाता इस बात से लगभग (29.87%) या पूर्णतः सहमत (18.83%) हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को एक ऐसा माध्यम मिला है, जिस पर वे अपनी बात रख कर राजनीतिक दलों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- आधे से भी अधिक (52.6%) उत्तरदाता इस बात से आंशिक (30. 52%) या लगभग सहमत (22.08%) हैं कि सोशल मीडिया में राजनीतिक दलों के समर्थकों द्वारा दूसरी पार्टी के लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो और कमेंट किये जा रहे हैं।

तालिका

सोशल मीडिया के विभिन्न मुद्दों/प्रभावों पर संकलित आँकड़े

वर्तमान स्थिति (N – 154)	पूर्णतः सहमत	लगभग सहमत	आंशिक सहमत	बहुत कम सहमत	असहमत
पारम्परिक मीडिया को कई मुद्दे सोशल मीडिया से प्राप्त होना मानने की स्थिति	11 7.14	54 35.06	59 38.31	21 (13.64)	9 5.84
सोशल साइट्स पर उपलब्ध सूचनाएं सत्य होना मानने की स्थिति	8 5.19	27 17.53	60 38.96	35 22.73	24 15.58
सोशल मीडिया में दुष्प्रचार/ झूठी सूचना/ अफवाहों की भरमार होना मानने की स्थिति	25 16.23	34 22.08	57 37.01	31 20.13	7 4.55
सोशल मीडिया सामाजिक बदलाव में भूमिका अदा कर सकना मानने की स्थिति	22 14.29	31 20.13	63 40.91	25 16.23	13 8.44
सोशल मीडिया ने युवाओं की लाइफ स्टाइल और उनके तौर–तरीकों पर असर होना मानने की स्थिति	9 5.84	24 15.58	55 35.71	34 22.08	32 20.78
उत्तरदाताओं की राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि होने की स्थिति	8 5.19	27 17.53	60 38.96	35 22.73	24 15.58
सोशल मीडिया में राजनीतिक दल व प्रत्याशी जनता से सीधे जुड़कर अपना दायरा बढ़ाना मानने की स्थिति	37 24.03	49 31.82	53 34.42	12 7.79	3 1.95
सोशल मीडिया के जरिए देश के मुद्दों को जानने या समझने में दिलचस्पी दिखाना मानने की स्थिति	39 25.32	48 31.17	51 33.12	11 7.14	5 3.25
सोशल मीडिया से लोगों के राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ना मानने की स्थिति	41 26.62	47 30.52	45 29.22	13 8.44	8 5.19
सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी होना मानने की स्थिति	64 41.56	42 27.27	21 13.64	24 15.58	3 1.95

- आधे से भी अधिक (56.49%) उत्तरदाता इस बात से लगभग (31. 17%) या पूर्णतः सहमत (25.32%) हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोग देश के मुद्दों को जानने या समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

- आधे से भी अधिक (55.19%) उत्तरदाता कभी–कभी ही सोशल मीडिया में राजनीतिक विचार–विमर्श करते हैं।
- लगभग आधे (48.7%) उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर मतदान में भाग लिया है।
- आधे से भी अधिक (57.14%) उत्तरदाता इस बात से लगभग (30. 52%) या पूर्णतः सहमत (26.62%) हैं कि सोशल मीडिया से लोगों के राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ रहा हैं।
- दो–तिहाई से भी अधिक (71.43%) उत्तरदाता इस बात से आंशिक (44.81%) या बहुत अधिक (26.62%) मानते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव से उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन हुआ है।
- लगभग दो–तिहाई (65.58%) उत्तरदाता इस बात से आंशिक (40.26%) या बहुत अधिक (25.32%) मानते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव से उनके राजनीतिक निर्णयों में परिवर्तन हुआ है।
- आधे से भी अधिक (68.83%) उत्तरदाता इस बात से पूर्णतः (41.56%) या लगभग सहमत (27.27%) हैं कि सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है।
- आधे से भी अधिक (54.55%) उत्तरदाता इस बात से बहुत कम मानते हैं कि सोशल मीडिया ने पारम्परिक जनसंचार माध्यमों की लोकप्रियता पर प्रभाव डाला है।
- लगभग दो–तिहाई (64.29%) उत्तरदाता सोशल मीडिया के दुरपयोग रोकने में सूचना प्रोद्यौगिकी कानून को आंशिक (40.26%) या बहुत कम (24.03%) सक्षम मानते हैं।

निष्कर्ष–

संकलित आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि हुई है। आधे से भी अधिक उत्तरदाता इस बात से आंशिक सहमत या लगभग सहमत हैं कि सोशल मीडिया से उनकी राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि हुई है। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर मतदान में भाग लिया है।

संकलित आँकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के राजनीतिक निर्णय सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। आधे से भी अधिक उत्तरदाता इस बात से लगभग या पूर्णतः सहमत हैं कि सोशल मीडिया से लोगों के राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ा है। दो–तिहाई से भी अधिक उत्तरदाता इस बात से आंशिकया बहुत अधिकमानते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव से उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन हुआ है।

लगभग दो–तिहाई उत्तरदाता इस बात से आंशिक या बहुत अधिक मानते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव से उनके राजनीतिक निर्णयों में परिवर्तन हुआ है।

सन्दर्भ

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म एट इट्स सेकेण्ड वर्ड कांग्रेस एट बॉर्डुअक्स इन अप्रैल 1964.

कठेरिया, डी0 (2013), टेलीविजन मीडिया : विश्वसनीयता, सामाजिक दायित्व और व्यवसायिक दृष्टिकोण, रिसर्च डायरेक्शंस, वा0–1, इश्यू–2, अगस्त

कुमार, देवेन्द्र (2014), मुख्यधारा के मीडिया पर सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का प्रभाव, सी0ए0एस0आई0आर0जे0, वा.–5, इश्यू–11, पृ. 13–16.

कुमार, नन्द (2013), राष्ट्रहित में हो सोशल मीडिया का उपयोग, शर्मा, संजय (2013), लगातार बढ़ रहा है मीडिया का दायरा, राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला समाचार, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, पृ. 2.

कोचरन, डब्ल्यू0जी0 (1977), सैम्पलिंग टेक्निक्स (थर्ड एडी0), जॉन विली एण्ड संस, न्यूयार्क.

गाइडलाइन फार इलेक्शन ब्राडकास्टिंग इन ट्रांजीशनल डेमोक्रेसी, 1997 (अप्रैल)

गौड़, विपिन (2014), सोशल मीडिया के सहारे 2014 का आम चुनाव, कंट्री एण्ड पॉलिटिक्स, नई दिल्ली, 24 मार्च से 30 मार्च, पृ. 2

चन्द्र, विकास (2014), उपभोक्ता सशक्तीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल इंडेक्स्ड एण्ड रेफरीड रिसर्च जर्नल, वा.–5, इश्यू–1, जनवरी, पृ. 15–17.

पचौरी, सुधीश (1997), दूरदर्शन दशा और दिशा, विस्तार पब्लिकेशन, जयपुर.

पल्ला, मिथिला (2009), इण्डियन इलेक्शन कैम्पेनिंग – मार्केटिंग शिट्स एण्ड स्विंग्स, मार्केटआन, मई.

पार्टन, गुप्ता, शर्मा (1993), सामाजिक अनुसंधान (शोध) एवं अभियोग्यता, साहित्य भवन पब्लिकेशन, मेरठ.

प्रताप, विजय (2013), सोशल नेटवर्किंग साइट : प्रचलित धारणाओं का मूल्यांकन, जन मीडिया, अंक–10.

ब्रडोक, आर0 (1998), एन एक्टेंशन ऑफ लासवेल फार्मूला, जर्नल ऑफ कम्यूनिकेशन, जून, पृ. 88–93

मिदुरा, ई0एम0 (1971), व्हाई आरेन्ट वी गेटिंग थ्रू? दि अर्बन कम्यूनिकेशन क्राइसेस, एक्रोपोलिस बुक्स, वाशिंगटन डी0सी0.

मीणा, गोपाल लाल (2014), वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों का योगदान, ग्लोबल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, वा.–3, इश्यू–4, मार्च, पृ. 9–13.

मैकक्वैल, डी0 (2010), मास कम्यूनिकेशन थ्योरी, सेज पब्लिकेशन, लंदन.

मोसर, सी0ए0 (1961), सर्वे मैथड इन सोशल इनवेटिगेशन, हीमैन, लन्दन.

यंग, पी0वी0 (1960–61), साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे.

यादव, योगेन्द्र (2011), लोकतंत्र का नया शास्त्र जरुरी, प्रभात खबर, फरवरी 28.

राजेश्वर (2012), खतरनाक हो रहा सोशल मीडिया, ग्लोबल रिसर्च एनालेसिस, वा.–1, इश्यू–4, सितम्बर.

राठौड़, दिग्विजय सिंह (2013), राजनितिक पार्टियां, प्रचार एवं सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट (फेसबुक के विशेष सन्दर्भ में), पी0एस0एस0एच0, वा.–2, नं0–2, जुलाई–दिसम्बर, पृ. 3–11.

रामशंकर (2013), अभिव्यक्ति का वैकल्पिक मंच सोशल मीडिया : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, शोध अनुसंधान समाचार, दिसंबर

रावत, मनीष कुमार (2015), सूचना क्रान्ति के दौर में सोशल मीडिया, भारत प्रकाशन, लखनऊ.

शर्मा, संजय (2013), लगातार बढ़ रहा है मीडिया का दायरा, राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला समाचार, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल**स**

शुक्ल, अमित (2013), वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना क्रान्ति का जनजीवन पर प्रभाव, इंटरनेशनल इंडेक्स्ड एण्ड रेफरीड रिसर्च जर्नल, अगस्त–सितम्बर, वा.–4, इश्यू–47–48.

सिंह, एस0 (2011), सम्प्रेषण प्रतिरूप एवं सिद्धान्त, माखनलाल चतुर्वेदी यूनीवर्सिटी, भोपाल.

भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु के सामाजिक कारक

* उमा कान्त यादव

भारत के आर्थिक विकास एवं स्वास्थ्य–चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में कमी लाने में प्रारम्भिक स्तर पर आशातीत सफलता प्राप्त हुई, परन्तु विगत दो–तीन दशकों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी की प्रगति बहुत धीमी रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कही न कहीं ऐसे कारक विद्यमान हैं जो समाज के एक वर्ग को चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के सामाजिक कारकों का पता लगाना अति आवश्यक है। इसलिए प्रस्तुत शोधपत्र में इस विषय का चयन किया गया है।

मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं (भारत सरकार, 2014:57)। 2011 की जनगणना से स्पष्ट है कि भारत में शिशु मृत्यु विकसित एवं कई विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। आर्थिक समीक्षा 2015–16 के अनुसार भारत में शिशु–मृत्यु दर 27 प्रति हजार है। जबकि डेनमार्क तथा अमेरिका में शिशु मृत्यु लगभग शून्य है इतना अधिक अंतर भारत जैसे विकासशील देश के लिए चिंता का विषय है। इस संदर्भ में भारत में अनेक अध्ययन हुए हैं जैसे कि अग्रवाल (1981) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर एवं उच्च प्रजनन दर में धनात्मक सह सम्बन्ध है। अरोरा (1979) ने आयु एवं लिंग के आधार पर विभिन्नताओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जन्म के प्रथम छः दिनों में पुरूष लिंग की शिशु मृत्यु दर क्रमशः बढ़ती जाती है। श्रीवास्तव एवं सक्सेना (1981) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक स्तर शिशु मृत्यु के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्व का है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से देश में सभी रूग्ण नवजातों और शिशुओं को निःशुल्क परिवहन, औषधि, निदान और आहार के प्रावधान सहित समर्थ से अधिक व्यय को पूर्ण रूप से हटाने का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। परिचर्या की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, सुविधा–केन्द्र आधारित परिचर्या को गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या से सम्बद्ध किया गया है जो कि जोखिम संकेतों के शीघ्र निदान, नवजात परिचर्या सुविधा–केन्द्र हेतु प्रावधान के साथ उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में शीघ्र रेफरल के अवसर प्रदान करता है। सभी ग्रामीण जीवित जन्मों को आशा कर्मियों द्वारा घरों का बार–बार दौरा करने के माध्यम से गृह

* समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

आधारित नवजात परिचर्या प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है (भारत सरकार, 2014:61)।

स्वतन्त्र भारत में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत सी नीतियों का प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन किया गया है फिर भी उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अब भी विद्यमान है। स्वाभाविक रूप से यह सामान्य चिंता का विषय है।धर्म एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो कि शिशु मृत्युदर को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। हिन्दू धर्म में पुत्र प्राप्ति को मोक्ष प्राप्ति का आधार माना जाता है जबकि पुत्री का जन्म निराशा का कारण बन जाता है। लड़कों तथा लड़कियों का अल्पायु में विवाह करना धर्म के अनुरूप माना जाता है जिसके कारण अविकसित शिशु पैदा होते हैं और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। धर्म के आधार पर बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व बढ जाता है जिससे बस्तियाँ घनी और गन्दी होती हैं जिसके कारण उन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश लोग अस्वस्थता तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। प्रजनन क्षमता अधिक होने के कारण भी कुपोषण की समस्या पैदा हो जाती है। बढ़ती हुयी आकांक्षाओं ने जीवन को व्यस्त बना दिया है, जिससे बच्चों की देखभाल कम हो पाती है। हिन्दू समाज में धर्म की कट्टरता अपेक्षाकृत कम है जबकि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक कट्टरता अधिक है। गरीबी, अशिक्षा तथा संकीर्णता अधिक है जिसके कारण शिशु कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। साथ ही उन्हें उत्तम चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पाती है। अनेक विद्वानों के द्वारा किये गये अध्ययनों में पाया गया कि मुसलमानों में शिशु मृत्यु दर अधिक व हिन्दुओं में शिशु मृत्यु दर कम है। भट्टाचार्यजी (1979:114) इस बात से सहमत हैं कि मुस्लिम सम्प्रदाय में शिशु मृत्यु दर अधिक एवं हिन्दू सम्प्रदाय में शिशु मृत्यु दर कम होती है। जबकि ओमरान तथा स्टैण्डली (1976) इस बात का समर्थन नहीं करते। खान (1980:236) का निष्कर्ष है कि मुस्लिम सम्प्रदाय में शिशु मृत्यु दर अधिक होती है, जबकि हिन्दुओं में यह कम होती है।

परिवार के स्वरूप से शिशु मृत्यु दर प्रभावित होती है।संयुक्त परिवारों में शिशु मृत्यु दर एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पायी जाती है। मैथ्यू (1983:12) का मानना है कि पारिवारिक संगठन का प्रभाव शिशु मृत्यु दर पर पड़ता है। बेकर (1979:5) ने भी इस तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि परिवार बड़ा होगा तो खान–पान की व्यवस्था उत्तम नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, नाम और हरिंग्टन (1983:39) ने भी स्पष्ट किया है कि पारिवारिक वातावरण का प्रभाव बच्चों पर और उनकी मृत्यु तथा जीवन शैली पर अवश्य पड़ता है।

इस प्रकार जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है (सक्सेना,

1997:45)। शर्मा (1947) एवं मुकर्जी (1957) ने अपने अध्ययनों में जाति का शिशु मृत्यु से घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रीवास्तव एवं सक्सेना (1981:467) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर भारत में जाति के आधार पर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा पायी जाती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि निम्न स्तर की जातियों में यह विभिन्नताएं उच्च स्तर की जातियों से दो–तीन गुना अधिक होती हैं।

आधुनिक युग में शिक्षा के स्तर का जनांकिकीय संघटकों से निकट का सम्बन्ध देखने को मिलता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर शैक्षिक स्तर से सीधे जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। निरक्षरता शिशु मृत्यु दर के लिए अभिशाप होती है, जिस स्थान एवं समाज में जितनी निरक्षरता होती है वहाँ शिशु मृत्यु दर के साथ ही सामान्य मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। निरक्षरता के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य के रखरखाव एवं पौष्टिक आहार की जानकारी नहीं हो पाती तथा माँ के स्वास्थ्य के लिए क्या उचित है क्या अनुचित इसका ज्ञान भी उन्हें नहीं होता है। प्रसवोपरान्त किस प्रकार का भोजन किया जाना चाहिए आदि बातों से वे अनभिज्ञ रहती हैं, अतः शिशु मृत्यु दर का ऊंचा होना स्वाभाविक है। माँ की शिक्षा एवं शिशु मृत्यु के सबंध में गण्डोत्रा (1980), रजिस्ट्रार जनरल (1983), रूजिका तथा कानिटकर (1972) इस बात को मानते हैं कि माता की शिक्षा शिशु मृत्यु दर को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। कैडवेल और कैक्डोनल (1981) ने यह निष्कर्ष दिया है कि माता शिक्षित होती है तो वह सभी परम्परागत बंधनों को जो शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा देते हैं, तोड़ देती हैं इनके अतिरिक्त एम0ई0 खान (1980:235) ने भी उत्तर प्रदेश के जिलों के सर्वेक्षण के आधार पर अपना मत स्पष्ट किया है कि माता की शिक्षा शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करती है। हेन्स और कास्टरिका (1980) भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त की हुयी महिलाओं में शिशु मृत्यु दर बहुत कम होती है और निरक्षर महिलाओं में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।

यदि समाज में महिलायें निरक्षर हों तो शिशु मृत्यु का दबाव बना रहता है, लेकिन जिस समाज में पुरूष वर्ग भी निरक्षर हो उस समाज में शिशु मृत्यु अपना घर बना लेती है, क्योंकि पति की शिक्षा का परिवार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, अशिक्षित पत्नी को भी सही दिशा देने में समर्थ होता है। शिशु मृत्यु के सम्बन्ध माता–पिता की शिक्षा का विशेष उल्लेख करते हुए गण्डोत्रा, दास और भट्ट (1980:231) ने लिखा है कि यदि परिवार में माता–पिता शिक्षित हैं तो शिशु मृत्यु–दर को काफी हद तक रोका जा सकता है। यही मत रूजिका और कानिटकर एंव जान केंडवेल का भी है।

स्त्रियों की विवाह के समय आयु शिशु मृत्यु–दर को प्रभावित करती है। यदि छोटी आयु में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है तो वे छोटी आयु में ही माँ बन जाती हैं। कम आयु में शिशु को जन्म देना, शिशु के लिये घातक होता है। इसका कारण यह कि स्त्री के शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चा गर्भकाल में दुर्बलता का शिकार हो जाता है। दुर्बलता ही अस्वस्थता को जन्म देती है जो कि अन्ततः शिशु मृत्यु का कारण बनती है। ओमरान और स्टैण्डली (1976:235), इस्लाम (1982:296), पथीब्राइन (1974:33), साइमन (1979:250), और महादेवन (1981:38) भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विवाह के समय माँ की आयु का शिशु मृत्यु–दर से काफी गहरा सम्बन्ध होता है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिशु मृत्यु दर पर प्रभाव पड़ता है।

समाज में फैली हुई कुरीतियाँ शिक्षा के अभाव की द्योतक हैं। आज का परिवेश विकास की ओर उन्मुख है फिर भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। आज भी जन्म के समय, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में, ज्यादातर प्रसव दाइयों या अप्रशिक्षित महिलाओं द्वारा कराये जाते हैं। इन दाइयों व अप्रशिक्षित महिलाओं को चिकित्साशास्त्र व शरीर विज्ञान का कोई ज्ञान न होते हुए भी अधिकांश प्रसव इन्हीं की मदद से कराये जाते हैं। ये महिलायें पुराने चाकू, हँसिया, खुर्पी, ब्लेड या बांस की पत्ती से नाल काट कर किसी पुरानी साड़ी के टुकड़े से बच्चे का मुंह ढक देती है तथा बच्चे को पुराने कपड़े पहना दिये जाते हैं। पुराने कपड़े बच्चे की आयु बढ़ाते हैं ऐसा अन्धविश्वास समाज में अब भी व्याप्त हैं।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल, एस0एन0 (1972), इंडियाज पापुलेशन प्राब्लम्स, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली.

ओमरान, ए0आर0 एण्ड स्टैण्डली, सी0सी0. 1976 फेमिली फारमेशन बेटर्नन एण्ड हेल्थ, एन इण्टरनेशनल कोलोबरेटिव स्टडी इन इण्डियाा. लंदन : आक्सफोर्ड प्रेस.

काल्डवेल, जे0सी0 (1982), दि थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन, एकडेमिक प्रेस, वाशिंगटन डी0सी0.

कास्टीलो, एम0 फ्रेसिया, एस0 सोलिस एण्ड एम0ए0 ग्रेसिला (1983), इन्फ्ल्यूवेशिया डिल सेक्टर स्लाइडेन लांस निवेलेस, इन सिसरेड, इन्फेन्ट एण्ड चाइल्ड मार्टिलिटी इन दि थर्ड वर्ड, पेरिस, पृ0 301–312.

खनजंन एस0पी0 एण्ड वेंचकरन, वी0वी0, (1983), हेल्थ प्राब्लम इन पेरीनेटल पीरिएड एण्ड इन्फेन्ट इन ए रूरल डिस्ट्रिक आफ थाईलैण्ड, इन सिसरेड, इन्फेन्ट एण्ड चाइल्ड मार्टिलिटी इन दि थर्ड वर्ड, पेरिस, पृ0 309–311.

खान, एम0ई0 (1984), इन्फेन्ट मारटेलिटी इन उत्तर प्रदेश, ए माइक्रो लेवल स्टडी, इन रामानुज, सी0 (एडी0), इन्फेन्ट मारटेलिटी इन इण्डिया डिफरेन्स एण्ड डिटरमिनेन्ट्स. आक्सफोर्ड प्रेस, लन्दन.

गण्डोत्रा, एम0एस0 दास, एण्ड भट्ट, आर0बी0 (1980), फैक्टर्स इन्फ्लूएशिंग नियोनेटल मार्टीलिटी इन इंडिया, *कम्युनिटी डेमोग्राफी इंडिया* : 9 (182), पृ0 231–244.

ड्राइवर, ए0डी0 (1963), ड्रियुरेन्शियल फर्टिलिटी इन सेन्ट्रल इण्डिया, प्रिन्सटन युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूजर्सी.

नाम, सी0बी0 एण्ड हरिगंटन टी0एम0 (1983), ''फैक्टर्स सेपिंग दि मारवेलिटी एण्ड मारटेलिटी एक्सेप्टेशन ऑफ यूथ : ए सोशिलाइजेशन माडल, मेमियो.

पिल्लई एवं नम्बुदरी (1972), ''द वाइफ वर्क एक्सपीयरेंस एंड चाइल्ड स्पोशिंग'', मिलबैक मेमोरियल क्वाटर्ली, वा–42, नं0–3. पृ0 280–91.

पैथीब्राइड, (1974), एण्ड ए0एम0 फैरहा, चाइल्ड मार्टिलिटी एण्ड इट्स कोरिलेट्स इन सूडान डाक्टोरल थीसिस.

बेकर, डी0आर0. (1979), ''इपीडियोलॉजिक पैटर्न, ओवर टाइम''. इन डी0एम0 टीड एण्ड एफ0 जे0 स्टैण्डली (एडी0), दि इपीडिमसोलोजी आफ प्रिमेच्योरिटी. बाल्टीमोर :स्वजनवर्ग. पृ0 5–15.

हिमालयन पब्लिसिंग हाउस, बाम्बे पृ0 115–122.

महादेवन के0 (1981), कल्चर, न्यूट्रीशन एण्ड इन्फेन्ट एण्ड चाइल्ड मार्टीलिटी, ए स्टडी इन साउथ सेन्ट्रल इण्डिया. मेमियो.

महादेवन के0 (1984), मारटेलिटी बाइलोजी एण्ड सोसाइटी : एनालिटिक फ्रेमवर्क एण्ड कान्सेप्च्युवल माडल, मिमियो.

मुखर्जी, आर0के0 (1957), दि डायनामिक्स आफ रूरल सोसाइटी, एकेडमिक विरलाज, बर्लिन.

मैथ्यू आई0. 1983. डिक्लाइन ऑफ मार्टलिटी इन जरपरन, यू0एस0 जापान कान्फ्रेंस ऑफ पजिंग ऐमियो.

रामानुज, सी0 (1984) ''कोरिलेट्स आफ इन्फेन्ट मारटैलिटी इन ए रूरल एरिया ऑफ तमिलनाडु'' इन रामानुज, सी0 (एडी0), इन्फेन्ट मारटेलिटी इन इण्डिया डिफरेन्स एण्ड डिटरमिनेन्ट्स. आक्सफोर्ड प्रेस, लन्दन.

रूजिका, एल0टी0 एण्ड कानिटकर, टी0 (1972), इन्फेन्ट मार्टिलिटी इन ए अबन सेटिंग, दि केस स्टडी आफ ग्रेटर बाम्बे, पृ0 557–65.

शर्मा, के0एल0 (1947), दि चेंजिंग रूरल स्ट्रेटीफिकेशन सिस्टम, ओरिएन्ट लागमैन लिमिटेड, नई दिल्ली.

सक्सेना, आर0 एन0 (1997) भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थायें, नई दिल्ली.

संस्कृति : इतिहास के भारतीय सन्दर्भ

* डॉ0 संध्या सिंह

शिशु पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ प्रेम होता है निर्द्वन्द्व और निर्दोष। पर शीघ्र ही वह समझने लगता है कि उसके आसपास में क्या और कैसे हो रहा है। और वसुधैव–कुटुम्बकम की उसकी प्राकृतिक अवधारणा धीरे–धीरे बदलने लगती है। परन्तु हमारी इस अवधारणा को आज भी यह जान कर बल मिलता है कि भारतीय मनीषा ने कदाचित सर्वप्रथम ''आत्मवत् सर्वभृतेषु'' जैसी आर्ष वाणी का उद्घोष किया था। उसने इस चरम सत्य का साक्षात्कार कर लिया था कि भूत–मात्र अपने से अभिन्न है।[1] इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर वसुधैव कुटुम्बकम का चरितार्थ होना स्वाभाविक हो जाता है जो विश्व बन्धुत्व का मूलाधार है और यही भारतीय संस्कृति का मेरूदण्ड भी है।[2] संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ सुविदित है। संस्कृति आधुनिक युग का अत्यन्त प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग सन 1832 के लगभग अमेरिकी दार्शनिक इर्मसन ने किया।[3] संस्कृत साहित्य में संस्कृति शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आता। वस्तुतः अंग्रेजी के कल्चर शब्द का प्रभाव प्रकट करने के लिये संस्कृति शब्द गढ़ा गया है।[4] संस्कृति शब्द का अर्थ विस्तार अवश्य आधुनिक युग में हुआ परन्तु तथ्य यह है कि संस्कृति शब्द यजुर्वेद–(अच्छिन्नस्तये देव सोम सुवीर्ययस्य शयस्योलस्य दरितारःस्याम सा प्रथमा संस्कृति विर्श्ववारा स प्रथमो वरूणो मित्रो अग्निः 1117 / 14) एतरेय ब्राह्मण– (आत्म संस्कृतिवायं शिल्पानिच्छन्दोमयं वा एर्तैयजमान आत्मानं संस्कुरूते। 6.5.1) आदि ग्रन्थों में उपलब्ध है। अतः संस्कृति शब्द को विदेशों से आयात किया गया या निकट भूत में गढ़ा गया नहीं माना जा सकता। एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और आगे बहुत सी पीढ़ियां आती जाती रहती हैं और सभी अपना प्रभाव या संस्कार अपने से अगली पीढ़ी के लिये छोड़ती जाती है। यही प्रभाव (संस्कार) संस्कृति है।[5] जो लोग संस्कृति को किसी चौखटे में जड़ा हुआ मानते हैं या समझते हैं वे उसकी प्रकृति को नहीं पहचानते हैं। वह गगन की भांति विस्तृत एवं व्यापक है जिसके अन्तरिक्ष पर ही धरती से जुड़े रहने की कल्पना की जा सकती है। उसका वास्तविक स्वरूप संश्लिष्ट है, एकनिष्ठ नहीं। उसकी पूर्णता, समग्रता में समाहित है, एकांगीपन में नहीं। उसमें प्रवेश पाने के लिए न केवल शुद्ध वायु का पथ प्रशस्त रहना चाहिए अपितु अशुद्ध वायु के वर्हिगमन का गवाक्ष भी खुला रहना चाहिए अन्यथा घुटन द्वारा संस्कृति में विकृति उत्पन्न होने की आशंका बनी रहेगी।[6] नर्मदेश्वर चतुर्वेदी सभ्यता व संस्कृति में अन्तर बताते

* अध्यक्ष (हिन्दी विभाग), डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, लखनऊ.

हुए लिखते हैं– संस्कृति के पर्याय रूप में कभी–कभी सभ्यता शब्द का प्रयोग भ्रमवश कर दिया जाता है।........... एक अन्तर्मुखी है तो दूसरा बर्हिमुखी । संस्कृति का उत्स आन्तरिक उत्कर्ष है, जबकि सभ्यता का परिस्कार भौतिक विकास के बाह्‌य विधान का परिणाम है।[7] इसी प्रकार का भाव अन्य विद्वानों ने भी प्रकट किया।[8, 9, 10] संस्कृति वाणी–विलास का विषय नहीं, शुद्ध आचार व्यवहार का परिष्कृत परिणाम है संस्कृति सौरभ की भांति असीम है न तो वह पराग की तरह बँधा रहता है, नु पुष्प की भांति सधा। इस क्षेत्र एवं दिशा में भारतीय मनीषियों के अवदान सुदूरगामी सिद्ध हुए। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वे एक और जहॉ अपनी आस्था के प्रति निष्ठावान थे वहीं दूसरी और अन्य मतावलबितयों के मतों के प्रति भी उदार एवं सहिष्णु थे। इसीलिए उनकी जो बातें लोक हित के अनुकूल जान पड़ी उन्हें आत्मसात करने में उन्हें कोई आपत्ति या हिचक नही हुई।[11]

प्राच्य संस्कृति का स्वरूप

भारत के इतिहास तथा संस्कृति के वैज्ञानिक विश्लेषण का आरम्भ योरोप द्वारा भारत के एक बार फिर खोजे जाने के साथ अठारहवीं सदी में हुआ। तब से भारत–विद्या में नाना धाराओं और मतों का उदय हो चुका है। पश्चिमी यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखित भारत विषयक अनेक कृतियों पर यूरोपीय दृष्टिकोण बहुत ज्यादा हावी है और भारतीय इतिहास के विभिन्न घटनाक्रमों को यूरोपीय संस्कृति की परिघटनाओं या यूरोप के अधिक निकट और परिचित प्राचीन सभ्यताओं जैसे नजरिये से ही देखा गया है।[12] परन्तु उदारमना चिन्तक इस सच्चाई को स्वीकार करने में हिचकते भी नही कि जब हमारे पूर्वज पशुओं का शिकार और परस्पर एक दूसरे की हत्या करते रहते थे तब भारत में परिपक्व दर्शन ग्रन्थ रचे जा चुके थे। कला, कविता, साहित्य सभी दिशाओं में वह इंग्लैण्ड से आगे था (जेम्स जोन्स)।[13] भारतीय संस्कृति त्याग, तपस्या और तपोवन से जो प्रकटी, अपने आत्म निग्रह, आत्म संयम, आत्म त्याग, उदारता, दानशीलता, जनकल्याण आदि गुणों के कारण सार्वभौम बन गई। उसका यह सार्वभौम रूप जब आदि कवि बाल्मीकि की वाणी से मुखरित हुआ तो उसने विश्व की चिन्तन विद्या को चिरन्तनता में बदल दिया–

मा निषाद प्रतिष्ठांत्वमगमः शाश्वती समाः।
यन्क्रौचंमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ।। सर्ग 2/9

रामायण भारतीय साहित्य का हृदय एवं संस्कृति की विरासत है।... लोक मंगल भाव सनाथ राम के उदात्त चरित्र ने ही वस्तुतः हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं विचारधारा को मूर्तिमान कर दिया।[14] विद्वानों ने भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता स्वीकार करते हुए इसे आध्यात्मिक संस्कृति कहा है।[15] बाबू गुलाब राय ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में आध्यात्मिकता परलोक और

आवागमन में विश्वास समन्वय बुद्धि, वर्णाश्रम विभाग, बाह्य एव आन्तरिक शुद्धि, अहिंसा, करूणा, विनय, प्रकृति प्रेम, उत्सव–प्रियता, विश्व–बन्धुत्व, सनातनता, संस्कृतियों का मिश्रण।[16] को गिनाया है। ये सभी तत्व धर्म के निकट हैं। भारतीय संस्कृति में उमा अथवा शक्ति, जिनके हाथ में सदैव कमल रहता है, अर्थ और काम अर्थात सम्पत्ति, सौन्दर्य और जीवन सौख्य की देवी है। अपनी अंगुलियों में सांप लपेटे अघोर भैरव धर्म और मोक्ष के प्रतीक हैं और आत्मलीन तत्पुरूष के लिये सृजन और संहार–क्रिया और प्रशान्ति का सतत गतिशील चक्र केवल क्षणिक माया है, जो जन्मती, बढ़ती और अन्य सभी मायावी आकारों की भांति तत्पुरूष में ही विलीन हो जाती है।[17] भारतीय संस्कृति के प्रारम्भिक रूप की एक झलक हमें वैदिक वाड.मय मे मिलती है। उसके अध्ययन से पता चलता है कि वेद कालीन आर्यो का जीवनक्रम अत्यन्त सीधा–सादा था।.... उनके शत्रुओं में वे लोग गिने जाते थे जिन्हें वे अनार्य कहते थे परन्तु ये उनके प्रति किसी प्रकार के स्थायी बैर की भावना रखते हुए नहीं जान पड़ते।..... इनका कहना है – मुझे मित्र से भय न रहे, अमित्र या शत्रु से भय न रहे, रात को भय न रहे, दिन को भय न रहे, और सभी दिशा के लोग मेरे मित्र बने रहे (अथर्ववेद 19–15–6)।[18] आचार्य परशुराम चतुर्वेदी वैदिक वाड.मय के बाद उपनिषद साहित्य के उदाहरण के साथ भातीय संस्कृति के मूलाधार करूणा और विश्व बन्धुत्व के स्वर इनमें दर्शाते हुए आगे लिखते हैं– विश्व बन्धुत्व की भावना के लिये कम से कम उपनिषदो की रचना के समय उसके दार्शनिक मूलाधार पर अधिक बल दिया जाता था।..... इस बात के उदाहरण हमें महाभारत की रचना के समय तक भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और गीता में तो ऐसे ही ज्ञान को सात्विक भी कहा गया है जैसे सर्वोत्कृष्ट योगी का परिचय देते समय कहा गया है– हे, अर्जुन सुख हो या दुख, अपने ही समान औरों को भी होता है। जो ऐसी आत्मोपम्य दृष्टि से सर्वत्र देखने लगे वही परम या उत्कृष्ट माना हाता है। (गीता 6–32) [19] विण्टरनित्ज के अनुसार यह धारणा अखंडनीय है कि वैदिक साहित्य का प्रारम्भ ईसा से तीन हजार से दो हजार वर्ष पहले के काल में और प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ ईसा से पहले चार हजार वर्ष से तीन हजार वर्ष के काल में हुआ। अधिकांशतः भारतविद् इस धारणा को सही मानते है।[20] अनेक इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ सृष्टि के आरम्भ से प्रारम्भ होते है और उनमें लौकिक घटनाओ के साथ कुछ देवी–देवताओं की कल्पित कथाएं इतनी अधिक मिल गई है कि ऐतिहासिक तथ्यों को गाथाओं से अलग करना कठिन है।[21] भारत को संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक की जन्मभूमि मानते हुए भारत का इतिहास में लिखा गया है– यहाँ एक ऐसी अति विकसित संस्कृति ने रूप लिया, जिसने इस देश के आगामी विकास पर और मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी एशिया और पूर्व तथा सुदूर पूर्व के अनेक जनगण

की संस्कृतियों पर जबरदस्त प्रभाव डाला।[22] किन्तु उल्लेखनीय है कि शताब्दियों के इस पारस्परिक समृद्धिकरण के बावजूद भारत ने अपनी मौलिकता और विलक्षण विशिष्टता को बनाये रखा है।..... लगभग दो सौ साल के औपनिवेशिक उत्पीड़न के बावजूद भारतवासी अपनी सांस्कृतिक थाती की परम्पराओं को कायम रख सके हैं, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता मानवतावाद के उदात्त विचार और शान्ति से गहन अनुराग है। हाल के वर्षो में समकालीन भारत की संस्कृति और विज्ञान का विकास भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं तथा यूरोप संस्कृति के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के एक निराले समन्वय के आधार पर होता रहा है।[23]

समन्वय के इसी आधार ने उसे प्रारम्भ से ही विखराव में भी एक अद्‌भुत स्थिरता प्रदान किया है। भारतीय मनीषा ने कदाचित सर्वप्रथम आन्मवत सर्वभूतेषु जैसी आर्ष वाणी का उद्‌घोष किया था।.... यह उपलब्धि उनकी परिस्थितिप्रसूत आवश्यकता से अधिक दृष्टिगत अनिवार्यता की उपज थी। इस अभेद दृष्टि ने उसकी दिशा इच्छा और क्रिया को बहुत दूर तक प्रभावित किया और परस्पर विरोधी मतों के बीच भी वह अपने को सुस्थिर रख सका.... यह विजय उनकी इकाई की नहीं, उनके सार्वभौम सिद्धान्तों की थी। सह–अस्तित्व और पंचशील जैसे सिद्धान्तों में उनकी स्मृतियाँ आज भी संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। इसी के आधार पर वे वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी परिकल्पना के मधुर स्वप्न संजोते रहे।[24]

भारतीय मनीषा सुदूर अतीत से इतिहास के प्रति सचेष्ट रही है। पश्चिमी देशों में इतिहास दर्शन पर अनेक विद्वानों ने काय किये हैं। वहाँ इतिहास उसकी अवधारणा इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन, आदि पर समय–समय पर अलग–अलग मत प्रतिपादित किये गये हैं। भारत में अंग्रेजी शासन काल में इन इतिहास दार्शनिकों ने भारतीय वाङगमय का अध्ययन कर यह टिप्पणी की कि भारतीयों को इतिहास लेखन की बुद्धि नहीं थी। लोएस डिकिंसन ने अपने लेख An essay on the Civilization of India, China and Japan में यह उक्ति की कि हिन्दू इतिहासकार नहीं थे। जेम्स मिल का मत था कि Hindus had no sense of History तिथि को ध्यान में रखकर उन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक History of British India (1817) में तीन कालों में इतिहास लिखा हिन्दू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल जो आज नाम परिवर्तन के साथ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में व्यवहृतहो रहा है। ई0बी0 कॉवेल ने कहा I need hardly say that the history of ancient India is almost exclusively mythic and legndry. The ancient Hindus never possesed any true historical sense.

भारतीय अवधारणा थी कि इतिहास एक निरन्तर चलायमान युग चक्र है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के नाम से जाना गया है। इसकी सृष्टि ब्रम्हा करते हैं। इसमें जब धर्म की अवनति होती है तो ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात अवतारवाद इतिहास की अवधारणा है। इसमें कर्म, धर्म और मोक्ष को उत्तरोत्तर प्रधानता दी गई थी।

सन्दर्भ

1. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय संस्कृति विश्व–मंच पर, पृ0 3.
2. वही, पृ0 101.
3. डा0 वीरेन्द्र पाल श्रीवास्तव, गोस्वामी तुलसीदास समीक्षाओं और शोधों का अनुशीलन, पृ0 471.
4. मुख्यसेवक उपाध्याय, हीरक जयन्ती ग्रन्थ, पृ0 131.
5. राहुल सांकृत्यायन, बौद्ध संस्कृति, पृ0 3.
6. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय संस्कृति विश्वमंत्र पर, पृ0 3.
7. वही, पृ0 4.
8. डा0 मुंशी राम शर्मा, वैदिक संस्कृति और सभ्यता, पृ0 15.
9. प्रो0 हरिदत्त वेदालंकार, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, पृ0 2.
10. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार वितर्क, पृ0 181.
11. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय संस्कृति विश्वमंत्र पर, पृ0 6.
12. को.आ. अंतोनोवा, बोगर्द लेविन, कोतोव्स्की, भारत का इतिहास, पृ0 12.
13. एजूकेशन इन इण्डिया, उद्धृत डॉ0 विनय मोहन शर्मा, हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास पृ0 26–27.
14. भारतीय संस्कृति की सार्वभौम सत्ता–त्रिनीश शास्त्र, नवभारत टाइम्स लखनऊ, 10 अक्टूबर, 1986.
15. अरविन्द, भारतीय संस्कृति के आधार, पृ0 4.
16. गुलाब राय, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, भूमिका से.
17. राधाकमल मुकर्जी, भारत की संस्कृति और कला, पृ0 18.
18. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय संस्कृति विश्व मंच पर, पृ0 97.
19. वही, पृ0 98.
20. राधाकमल मुकर्जी, भारत की संस्कृति और कला, पृ0 48.
21. ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ0 48.
22. को.आ. अंतोनोवा, बोगर्द लेविन, कोतोव्स्की, भारत का इतिहास, पृ0 17.
23. वही, पृ0 11 (भूमिका).
24. आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय संस्कृति विश्व मंच पर, पृ0–4.

आधी आबादी बनाम पुरूष प्रधान राजनीतिक दलों का राजनीतिक छल

* डॉ0 सविता शाही

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में पुरूष प्रधान राजनीतिक दल में महिला सदस्यों की संख्या, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होने वाली महिलाओं की संख्या, संगठन में महत्वपूर्ण निर्णय के योग्य समझा जाता रहा है कि नहीं, राजनीतिक दल द्वारा रैलियों में महिलाओ का चीयर गर्ल या ताली बजाने वाली महिला के रूप में प्रयोग, चुनावी राजनीति में महिलाओं की उम्मीदवार बनाने में भेदभावपूर्ण रवैया, राजनीतिक दल द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में भेदभाव, राजनीति दलों के भीतर अपराधी किस्म के व्यक्तियो को तरजीह वंशवाद व परिवारवाद की राजनीति में भी पुत्रों को ज्यादा लाभ राजनीतिक दल की महिला शाखा का नाममात्र का अस्तित्व आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करते हुए अन्त में राजनीतिक दलों को महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता, राजनीतिक सहभागिता व भागीदारी बढ़ाने की दिशा में क्या–क्या महत्ववूर्ण उपाय किये जाने चाहिए आदि प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से विश्लेषणाात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का कारण उनकी राजनीतिक अकुशलता नहीं हैं अपितु इसके लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, स्वभावगत, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व शैक्षणिक कारण उत्तरदायी होते है। महिलाओं के राजनीतिक क्रियाशीलता व भागीदारी में बाधक राजनीतिक कारणों में पुरूष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के भीतर पुरूष प्रधान राजनीतिक दलों का उदासीन व असहयोगात्मक रवैया व भूमिका प्रमुख रूप से उत्तरदरयी होता है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का कालसापेक्ष विश्वलेषण से यह स्पष्ट है कि समाज में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त जटिल, विविधतापूर्ण, उलझी हुई तथा भ्रमपूर्ण राजनीतिक स्थिति रही हैं। आजादी के बाद के शुरूवाती समय में महिलाएं राजनीति में सक्रियता, सफलता दर, सम्मान व स्थिति जो आजादी के समय में महिलाओं को प्राप्त था वह आजादी के बाद के वर्षो में नहीं रहा। चुनावी राजनीति में वहीं महिलाएं ही सक्रिय रहीं जिन्हें पुरूष नेता चाहते थे या पुरूष संरक्षक का दिशा निर्देश व आज्ञा प्राप्त थी इसलिए वे थोड़ी सी महिलाएं मूलतः व

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र, डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, लखनऊ.

अन्ततः पुरूष हितों की ही पोषक समर्थक व हितैषी रही। महिला राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक कुशलता और योग्यता के मामले में पुरूषों से कम भी नहीं है। ''महिला राजनीतिज्ञों ने दायित्वों को स्वीकार किया है तथा सफलता पूर्वक निर्वहन करके यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं राज्य के राजनीतिक जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है।''[1] महिलाओं की राजनीतिक उपलब्धियाँ व क्रियाकलाप उल्लेखनीय है तथा रेखांकित करने योग्य है परन्तु इन सब के बाउजूद उनकी राजनीतिक सफलता व सहभागिता की डगर काफी कठिन, पथरीली व विभिन्न चुनौतियों व संघर्षो से भरी हुई है। बहुत सी युवतियॉ राजनीतिक डगर पर चलने तथा कभी–कभी दौड़ने का प्रयास करती है लेकिन चुनावी राजनीति के झंझावातों व मकड़जाल में फंसकर घबरा जाती है और वापस गैर राजनीतिक क्षेत्रों व अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रवेश कर लेती है। राजनीतिक क्षेत्र प्राकृतिक रूप से काफी कठिन व मुश्किलों भरा होता है और राजनीति में सफल होने के लिए और अपनी विशिष्ट पहचान व स्थान सुरक्षित बनाने के लिए महिलाओं व पुरूषों दोनों को ही काफी मेहनत करनी व राजनीति रूपी जुआ को खेलना पड़ता है लेकिन महिलाओं के लिए राजनीतिक रूपी राह और भी कठिन, दुष्कर, चुनौतियों व संघर्षो से भरा होता है। ''राजनीति में अपनी जगह बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाली महिलाओं के सामने कई ऐसी समस्याएं भी होती है जिनका सामना उन्हें सिर्फ इसलिए करना होता है क्योंकि वे महिला है।''[2]

किसी भी राजनीतिक दल के संगठन के विकास का पैमाना उस संगठन की सदस्यता को माना जाता रहा है है इसलिए किसी भी सामाजिक व राजनीतिक संगठन की सदस्यों की संख्या में बढोत्तरी और कमी को उस संगठन की प्रगति व विकास तथा कमी का प्रतीक माना जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी वर्ग विशेष का उस राजनीतिक व सामाजिक संगठन में सदस्यता प्रतिशत के आधार पर उस वर्ग विशेष का उस संगठन में प्रतिनिधित्व व क्रियाशीलता के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यता सम्बन्धी आकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि महिलाओं को सदस्य बनाने सम्बन्धी आकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते है क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यता अभियान में महिलाओं को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। सभी राजनीतिक दल चाहे वह काग्रेस हो या भाजपा उनके सदस्यता सम्बन्धी आकड़ें यह बतलाते है कि जनसंख्या में महिलाओं की संख्या की वृद्धि के अनुपात में राजनीतिक दलों के भीतर महिला सदस्यों की संख्या अपेक्षित अनुपात में नहीं बढ़ रही है। कुछ राजनीतिक दल उदाहरण स्वरूप भाजपा ने दिखावे के तौर पर संगठन

में महिलाओं को शामिल कर लेते हैं। लेकिन महिला सदस्यता के नाम पर कांग्रेस, भाजपा या अन्य महत्वूर्ण राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के बीच कोई विशेष अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता है। भाजपा की अधिकांश महिला पदाधिकारी सिर्फ नाममात्र के लिए ही कार्य करती है उन्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय चाहे वह संगठन के लिए हो या चुनावी राजनीति के लिए हो कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। ''यू तो कांग्रेस की तरह भाजपा में भी महिलाओं के लिए एक अलग ''वीमेन विंग है और इसे महिला मोर्चो का नाम दे रखा है लेकिन वास्तव में इस वीमेन विंग का मुख्य उद्देश्य है बड़े भाजपाई नेताओं की निकट रिश्तेदारों को ''अंकोमोडेट'' करना। कांग्रेस ने भी अपनी महिला शाखा को 'अकोमोडेट और एडजस्ट' करने का जरिया बना रखा है।''(3) अन्य राजनीतिक दलों में तो महिला शाखा मिल जायेगी लेकिन वसपा में कोई महिला शाखा नजर नहीं है और न ही मायावती के अलावा वसपा में कोई अन्य महिला राजनीतिज्ञ का नाम शायद ही कोई व्यक्ति जानता व पहचानता होगा। आकड़ें बताते है कि प्रमुख साम्यवादी दलों ने अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में महिला सदस्यों का प्रतिशत बेहतर रहा है और लगातार सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी भी हो रही है और साम्यवादी दल अपने संगठन में महिलओं को महत्वपूर्ण पद व अधिकार भी प्रदान करते है।

राजनीतिक दलों के भीतर महिला सदस्यों की संख्या और महत्वूर्ण पद तथा अधिकारों की प्राप्ति से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी कि भारतीय राजनीति में योग्य, कुशल व सक्रिय महिला राजनीतिज्ञों का अभाव है प्रदेश स्तर पर सक्रिय महिला नेताओं की गिनती उंगली पर की जा सकती है। ''भाजपा को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के संगठन के पदों पर नियुक्ति के लिए उस कद की महिलाओं को ढूढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।''(4) अधिकांश महिला राजनीतिज्ञ बड़े नेताओं और अफसरों की पत्नियाँ पुत्री, बहू ही होती है। वह प्रायः चुनाव के बाद अपने घर गृहस्थी के कार्यो में मशगूल हो जाती है और राजनीति में पुरूष नेताओं के समान तथा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप समय नहीं दे पाती है। जनता और जनता के प्रतिनिधि के मध्य संवाद–परिसंवाद केवल चुनाव प्रचार के दौरान ही होता है। इन महिला राजनीतिज्ञों के पास आम कार्यकर्ता तो क्या राजनीतिक दल के बड़े–बड़े पुरूष नेताओं का पहुँचना मिलना व अपने क्षेत्र की जनता के हितों का कार्य करवाना एक टेढ़ी खीर होता हैं जैसी महिला राजनीतिज्ञ आजकर राजनीतिक परिदृश्य पर है वैसी महिलाओं का बोझ हमारा लोकतन्त्र और नहीं उठा सकता है। कई विघवाएं पत्नियॉ, पुत्रियॉ व उपत्नियों को राजनीतिक दल सिर्फ इसलिए संगठन व चुनावी राजनीति में महत्व देते है

क्योंकि वह किसी न किसी नेता से सम्बन्धित होती है। नेता पति या नेता पिता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पुत्री को उसके क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा कर दिया जाता है। ''टिकट देने वाले राजनीतिक दल का उद्‌देश्य किसी महिला प्रतिनिधि को मौका देना नहीं अतिपु नेता की मृत्यु के बाद जन्मी सुहानुभूति की लहर का दलगत लाभ उठाना मात्र होता है और जो महिलाएं सुहानुभूति की सीढ़ी पर चढ़कर नहीं पहुॅच पाती है वे परिवार की प्रतिष्ठा व वैभव के बल पर पहुचती है।''[5]

न केवल सक्रिय राजनीति वरन् संगठन स्तर पर भी योग्य, कददावर, व कुशल महिला नेताओं की कमी के पीछे भारतीय सामाजिक और आर्थिक संरचना भी उत्तरदायी है। अनेक महिला राजनीतिज्ञों की राजनीतिक क्रियाशीलता में वैवाहिक जीवन तथा पारिवारिक व घरेलू उत्तरदायित्वों के कारण कमी आती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि बेहतर क्षमता और योग्यता के होते हुए भी उनकी राजनीतिक भागीदारी गौण व सांकेतिक ही बनी रहती हैं।

भारतीय राजनीति पुरूषों का अधिकार क्षेत्र तथा पुरूषों के फायदेमंद कैरियर वाला स्थल माना जाता रहा है। ''पुरूष सत्तात्मक भारतीय समाज को परम्परा और संस्कार के रूप में जो स्थापित मूल्य स्त्रियों के सन्दर्भ में गढ़े रचे विरासत में मिले है। हमारे देश की राजनीतिक सोच और राजनीतिक दल उन्हीं के अनुगामी हैं।''[6] पुरूष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का रवैया और भूमिका भी चौकाने वाली हैं अपनी सर्वोपरि मानसिकता के तहत स्त्री के पिछडेपन को बनाये रखकर ऊपरी तौर पर केवल प्रतीकात्मक नीति का निर्वाह करते हुए लगभग सभी राजनीतिक दल महिलाओं की सुनिश्चित पैरवी तथा राजनीतिक भागीदारी की बात करते नजर आते हैं। ''विकास और समता की उसी छदम आड़ के तहत वे थोड़ी सी महिलाओं को अनुकम्पापूर्वक लोक सभा, राज्य सभा तथा विधानसभा में भेज देते है।''[7] पुरूष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के भीतर राजनीतिक दल के पुरूष राजनीतिज्ञ व कार्यकर्ता भी पारम्परिक पूर्वाग्रहों व रूढ़ियों से अलग हटकर नहीं सोच पाते हैं। उन्हें भी लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं न तो चुनावों का खर्चा उठा पायेगी न ही राजनीतिक जीवन में अक्सर मिलने वाली हिंसा की धमकियों का सह पायेगी साथ ही उसकी चरित्र हनन की खतरा भी उसकी राजनीतिक सक्रिय गतिविधियों के आड़े आयेगी।''[8]

स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्येयवादी समर्पित नेतृत्व द्वारा संचालित ऐक राष्ट्रीय आन्दोलन था मात्र राजनीतिक दल नहीं। राजनीतिक दल का रूप इसने बाद में ग्रहण किया तथा साथ ही साथ

राजनीतिक पटल पर और भी राजनीतिक दलों का अस्त्तिव उभरा। राजनीति धीरे–धीरे देशहित के बजाय राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा पूर्ति का साधन बनती गई, स्वार्थ की भावना जोर पकड़ने लगी तथा सेवा भावना दौड़ में पीछे चली गई अब राजनीति एक घृणिंत खेल बन गई है जो कि महिला संस्कारिता व स्वभाव के अनुकूल नहीं कही जा सकती है। ''राजनीति में गिरते हुए चरित्रिक व नैतिक मूल्यों के कारण भारतीय संस्कृति में पली नारी इस क्षेत्र के प्रति उदासीन होती चली गयी अन्यथा क्या कारण है कि आजादी की लड़ाई में पुरूष के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली इस देश की महिलाएं आज राष्ट्र निर्माण, नीति निर्धारण व जन निर्देशन के महत्वपूर्ण कार्य से मुख क्यों मोड़ती।''[9]

स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न प्रकार की विकृतियॉ भारतीय राजनीति में प्रविष्ट होने लगी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुछ ऐसे लोगों को टिकट प्रदान किया जाने लगा जिससे सम्पूर्ण रजनीतिक दूषित होने लगी। आज जिस तरह के व्यक्ति भारतीय संसद तथा विधानसभाओं के भीतर प्रतिनिधित्व कर रहे है उससे भी आम भारतीय नागरिकों के मध्य संसद की गरिमा पर पर्याप्त चोट लगी है। संसद में मन्त्रियों के हाथों से विधेयक लेकर फाड़ दिये जाते हैं। विधानसभाओं में एक दूसरे पर माइको से हमला व मारपीट की घटनाएं घटित होती रहती हैं, भष्ट्राचार, सवालों का सौदा, सांसद व विधायक निधि का दुरूप्रयोग, सांसदो व विधायको की बोली लगाना, अपराधियों, असामाजिक तत्वों व स्वाथियों की गिरफत में आती जा रही चुनाव व्यवस्था, हंगामें, हमामें बहिष्कार व धरनों के अड्डे बनती जा रही विधयिका, थोथे दौरों में व्यस्त रहने वाले राजनेताओं की राजनीति, परिवादवाद व जाति पर आधारित दलीय व्यवस्था आदि के कारण भारतीय राजनीति में विभिन्न विकृतियाँ आ गयी है जिसके लिए राजनीतिक दल भी उत्तरदायी है। एक दौर वह था जब राजनीति सेवा का जरिया माना जाता था और सियासत की डगर पर वैसे ही लोग अपने कदम रखते थे जिनका एक सामजिक व राजनीतिक जीवन होता था वह समाज सेवा के लिए पर्याप्त त्याग के लिए तत्पर रहते थे। परन्तु आज हालात ऐसे हो गये है कि ईमान्दार और सेवा भाव के साथ जीने वाले लोग राजनीति में प्रवेश से घबराते व कतराते है और राजनीतिक दल भी ऐसे व्यक्तियों से पर्याप्त दूरी बनाते हुए चुनावी राजनीति में ऐसे लोगों को प्रायः टिकट भी उपलब्ध नहीं कराते है। आज सियासत तथा चुनावी राजनीति में लाभान्वित होने वाले प्रतिनिधियों में अपराधी सबसे आगे नजर आते हैं दुःखद आश्चर्य तो तब होता है जब इन अपराधियों को टिकट देने के लिए हर एक राजनीतिक दल बाहें प्रसार कर राजनीतिक दल के भीतर जोरदार स्वागत करता नजर पड़ता हैं। विचारधारा

के आधार पर एक दूसरे को कोसते हुए कभी नहीं थकने वाले राजनीतिक दल अपराधियों के मामले में एक ही चाल–चरित्र के दिखाई पडते हैं। कुछ साल पूर्व तक अपराध एक अहम चुनावी मुद्दा होता था परन्तु अब अपराधियों के ही नेता बन जाने से अपराध का मुद्दा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनता है।

समाज के बाहुबली व अपराधी किस्म के व्यक्ति भी प्रायः महिलाओं की सहायता करना पसंद नहीं करते और ज्यादातर मामलों में महिलाएं भी सार्वजनिक कार्यो में अपराधियों की मदद व सहयोग लेना प्राथमिकता में नहीं रखती है। महिलाएं स्वभाव से ही कोमल और संवेदनशील होती है। ''अपराध और अपराधी उनकी मानसिकता तथा मूड से मेल नहीं खाते है। अपराधियों से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध या मेलजोल बढ़ाना एक आम भारतीय महिला पंसद नहीं करती है तो स्वाभाविक परिणाम होगा कि जब अपराधियों का साथ नहीं होगा तो भला चुनावों में सफलता कैसे मिलेगी।''[10] अतः बाहुबलियों और लुटेरों की जमात बन चुके राजनीतिक दलों में महिलाओं को अपना अस्तित्व बनाये रखने में तथा अस्मिता बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो0 रूप रेखा वर्मा जी ने कहा है कि ''हमारे यहॉ चुनाव के जो नियम कायदे है और जो माहौल है उनके चलते आम महिलाऐं चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर पाती जिस धन बल, बाहुबल व अपराधीकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसमें आगें किस तरह महिलाएं चुनाव लड़ने का साहस जुटा पायेगी।''[11] पिछले कुछ वर्षो में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रणाली में सुधार के प्रयास किये लेकिन राजनीतिक दलों की राजनीति संस्कृति में कोई बदलाव नजर नहीं आता है।

''पिछले आम चुनावों के समय काग्रेंस व भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों के पार्टी दफतरों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के सामने टिकटार्थी तथा उसके समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का हुड़दंग मचाया, नारेबाजी व आत्मदाह का प्रयास किया।''[12] और असन्तुष्ट नेताओं ने स्थापित परम्पराओं, मान्य, सिद्धान्तों व लोकतान्त्रिक नियमों का उल्लघंन कर राजनीतिक दलों की भावनाओं को कुचलते हुए जो मनमानी की है उससे निश्चय ही भारतीय लोकतन्त्र तथा आधी आबादी का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है।

एक अन्य नयी प्रवृत्ति जो देखने को मिल रही है वह है उम्मीदवारों की भीड़ और शौकिया अगम्भीर उम्मीदवार एक दूसरे प्रकार की समस्या को जन्म दे रहे हैं और यह समस्या महिला राजनीति के लिए और अधिक गम्भीर है। ''अवसर की समानता का लाभ उठाकर उम्मीदवारों की ऐसी भीड़ खड़ी कर दी जाती है जिसमें अधिकांश वोट काटू उम्मीदवार होते है। जाति, धर्म,

सम्प्रदाय व क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को बॉटने की कोशिश की जाति है।''[13] कई उम्मीदवार चुनाव जीतने के उद्देश्य से प्रतिदन्दी की जाति, उसके दल के असन्तुष्ट या उसके वोट बैंक में सेंध डॉलने वाले किसी उम्मीदवार को खड़ा कर देते है।

राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को हराने के लिए छिपे ढ़ग से सारे घोड़े एक साथ खोल देते है और चुनावी राजनीति में उसे हराने के लिए येन केन प्रकारेण का प्रयास करते है और यह प्रयास और जोर लगाकर तब किया जाता है जब उस क्षेत्र में पुरूष उम्मीदवार का टिकट काटकर किसी महिला प्रत्याशी का टिकट प्रदान कर दिया जाता है। आज राजनेताओं की स्थिति यह हो गयी है कि उन्हें स्वार्थ सिद्धि व चुनाव जीतने के लिए अपने प्रतिदन्द्वियों पर कीचड़ उछालने से कोई परहेज नहीं होता है और यह कीचड़ तब और अधिक उछाला जाता है जब प्रतिद्वन्दी महिला प्रत्याशी होती हैं। जब कोई पुरूष महिलाओं के व्यक्तित्व के सामने स्वयं को बौना महसूस करने लगता है तथा जब उसे सम्बन्धित महिला की कार्यप्रणाली, व्यक्तित्व, व्यवहार में काफी छिद्रावेषण करने के पश्चात भी कोई दोष नहीं नजर आता है तो उसकी सधी हुई उँगली उस महिला के चरित्र की ओर उठती है।'[14] और बिना प्रमाण, गवाही, सत्यता व सफाई के बिना ही वह महिला सवालों के जंजाल में उलझ जाती है तथा तमाम चार्जशीट दाखिल हो जाती है। यह रास्ता पुरूष राजनीतिज्ञों द्वारा अपने विरोधी व प्रतिद्धन्दी महिला उम्मीदवादों के प्रति सर्वाधिक सरल, आसान, सटीक व धातक, हथियार के रूप में धड़ल्ले से प्रयुक्त किया जा रहा है। एक पुरूष की तुलना में महिला प्रत्याशी को दोगुनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जबकि तब जब वह पुरूष उम्मीदवारों की तुलना में दुगनी सक्षम व योग्य होती है। गिरते राजनीतिक मूल्य व संस्कृति के कारण महिलाएं यह सोचने के लिए मजबूर है कि वह राजनीति रूपी मृग मरीचिका के पीछे न दौड़े।

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में एक कृमिक वृद्धि के बाउजूद राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की सामर्थ्य अभी तक महिलाओं के पास नहीं है।इस दुर्भाग्य पूर्ण व चिन्तनीय स्थिति का कारण बतलाते हुए 1975 में स्टेटस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ''राजनीतिक दलों और महिला संगठनों दोनों ने ही महिलाओं की राजनीतिक शिक्षा और उनकी राजनीतिक गोलबन्दी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।''[15] राजनीतिक दलों का ढ़ाचा पुरूष प्रधान है और कुछ एक अपवादों को छोड़कर प्रत्येक राजनीतिक दलों के अधिकांश पुरूष नेता व कार्यकर्ता महिलाओं से सम्बन्धित आम पूर्वाग्रहों व दृष्टिकोण से अलग हटकर नहीं सोच

पाते है। इसी रूढ़िवादी दृष्टिकोण व पूर्वागृहों के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिला भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। सभी राजनीतिक दल सदस्य के रूप में महिलाओं का स्वागत करते है किन्तु राजनीतिक दल के संगठन के साथ–साथ चुनावी राजनीति से सम्बन्धित पदों को देने तथा निर्णय निर्माण संस्थाओं में भागीदार बनाने में हिचकिचाते है या यूँ कहे दूर भागते है। ''आधुनिक राजनीति केन्द्रीयकरण का शिकार है। निर्णय करना, योजना बनाना, लागू करना, उसका मूल्यांकन करना, सब कुछ सत्ता के केन्द्रों में सम्पन्न होता है। केन्द्रीयकृत राजव्यवस्था का छुपा अर्थ ही महिलाओं का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से दूर करना है''[(16)] ''निर्णय करने की भूमिका में अभ्यस्त न होने के कारण महिलाओं को दी हुई जिम्मेदारियॉ पूरी करने में अब भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।''[(17)] क्योंकि सभी राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण व निर्णय क्षमता के विकास हेतु प्रयास नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दल मात्र महिलाओं को चुनाव सभाओं को रंगीन बनाने व भीड़ एकत्रित करने हेतु प्रयोग किया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित रैलियॉ में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ महिला शाखा मंच पर नहीं दिखाई पड़ती है। ''वे भीड़ में अपने नेताओं के लिए तालियॉ बजाती हुई चीयर लीडर की तरह मौजूद रहती है।''[(18)]

ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों में महिला कार्यकताओं की संख्या में गिरावट या कमी आ रही बल्कि प्रत्येक राजनीतिक दलों में महिला कार्यकताऑ की संख्या में वृद्धि हो रही हैं। राजनीतिक दल का जमीनी आधार तय करना हो या फिर मुद्दे के समर्थन में प्रदर्शन करना हो या कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करनी हो या फिर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में घर–घर पहुँच कर दस्तक देनी हो इस रूप में महिलाओं की भागीदारी उम्मीद से ज्यादा दिखलाई पड़ती है लेकिन चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर महिलाओं को टिकट प्रदान करने का समय आता है तो महिलाओं के साथ हकमारी का राजनीतिक खेल सभी राजनीतिक दलों द्वारा निपुणता के साथ खेला जाता है और वह इस खेल में विजयी भी हो जाते है अर्थात् आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी सम्बन्धी राजनीतिक पुरूष प्रधान राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार हो जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल में महिलाओं का स्वागत है किन्तु उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में आज भी पुरूष समाज द्विविधा व संशय में है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के अधिकारों व विकास की बातें तो पर्याप्त करते है लेकिन चुनावी राजनीति में टिकट प्रायः पुरूष प्रत्याशी को ही देते है। राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढ़ाचों में महिलाओं की अनुपस्थिति

पुरूष केंन्द्रित और पुरूषों के लिए फायदेमंद फैसलों का रास्ता साफ कर देती है। कई महिला राजनीतिज्ञ ने यह स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि चुनाव में राजनीतिक दल द्वारा दी गई आर्थिक मदद एक समान नहीं होती है अधिकतर पुरूष उम्मीदवारों को महिलाओं की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दलों को यह लगता है कि महिलाओं की तुलना में पुरूष उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है बल्कि राजनीतिक दल द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि प्रत्याशी की स्थिति और महत्व के अनुसार होती है। अनेक अच्छी, कुशल व सक्रिय महिला प्रतिनिधि चुनाव में राजनीतिक दल के द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि के भेदभाव पूर्ण नीति के कारण चुनाव हार जाती है।

राजनीतिक दलों द्वारा पैसा लेकर टिकट वितरण भी कही न कहीं महिला राजनीति को प्रभावित करता है। पैसों के बल पर राजनीतिक दल द्वारा टिकट प्राप्त करने की बातें तो कम या अधिक रूप से हमेशाा ही सुनने में मिलती है लेकिन पिछले कुछ चुनावों में तो राजनीतिक दलों द्वारा टिकट ऐसे बॉटा जा रहा है जैसे दुकानदार अपनी वस्तुएं बेचता है। सभी दलों के नेताओं पर मोटी रकमें लेकर टिकट देने के आरोप खुलेआम लगाये जा रहे है। सीधी बात कार्यक्रम आजतक चैनल पर रविवार 08:30 बजे दिये गये साक्षात्कार में मायावती जी से प्रश्न पूछा गया कि क्या यह सच है कि आप अपने उम्मीदवारों को टिकट देने में पैसे लेती है? इसका उत्तर उन्होंनें निम्नवत दिया ''हर पार्टी की रणनीति होती है। आपको पता है कि मैं उघोगपतियों से पैसे नहीं लेती इसलिए मैंनें प्रत्येक उम्मीदवार से अपने प्रचार पर पैसा खर्च करने को कहा और राजनीतिक दल को भी पैसे से मदद करने को कहा। मैने सत्ता में आने के बाद उघोगपतियों के दबाव से बचने के लिए उम्मीदवारों से पैसे लिये।''(19) मानुषी की सम्पादक और महिला आन्दोलन में सक्रिय मधु किश्वर कहती है कि ''आज के राजनीतिक माहौल में नेता या तो चुनावों में टिकट नीलाम कर देते है या फिर अपने चहेतों को बॉट देते है।''(20) कभी भी चुनावी दंगल में टिकट योग्यता के आधार पर नहीं दिये जाते है बल्कि यदि व्यक्ति योग्य है तो उसका टिकट कटवा अवश्य ही दिया जाता है जिससे कि प्रतिदन्दिता में वह योग्य भागीदार न बन सके। अतः राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में टिकट बिक्री के चलन का बुरा असर आधी आबादी की राजनीतिक क्रियाशीलता पर पड़ा है। धन बल के अभाव में महिलाए चुनावी वैतरणी पार करने में असफल व समर्थ रहती है या योग्य होन पर भी रेस में पीछे हो जाती है जिस कारण आधी आबादी का राजनीतिक स्वप्न दुःस्वप्न बनकर रह जाता है।

राजनीतिक दलों के भीतर वंशवाद का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। वंशवाद की राजनीति में भी आधी आबादी के साथ भेदभाव पूर्ण नीति स्पष्टतः उजागर होती है। जब राजनीति में पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में उपलब्ध नहीं होते है तब महिलाओं को नेताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल के नेताओं के लिए आज भी बेटियॉ पराया धन हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों की जारी सूची में विभिन्न नेताओं ने अपने बेटियों की तुलना में बेटों का अधिक टिकट तथा मलाईदार पद दिलवाया है।

विभिन्न राजनेताओं द्वारा प्रत्येक राजनीतिक दलों में 'आया राम गया राम' की अत्यन्त घिनौनी व बेशर्मी भरी प्रक्रिया का उस तमाम कानूनी व चुनावी प्रतिबन्धों के बाउजूद लगातार खुले आम प्रयोग व प्रचार प्रसार हो रहा है। विभिन्न नेताओं को पिछले चुनाव वाली पार्टी से अगर चुनाव में टिकट नहीं मिला तो उसे दूसरे राजनीतिक दलों की सदस्यता लेने में पल भर की देरी नहीं लगती है। जब दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक दलों में समायोजन करने की बात आती है तो पार्टी नेत्त्व को महिला नेताओं की सीटों पर समायोजन करने में जरा सा भी नहीं हिचकते है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि अब राजनीतिक दलों में सदस्यता का आधार जनता के हितों के साथ सामान्जस्य और विचारधारा से जुड़ाव व लगाव नहीं रह गया है इसका तात्पर्य अब यह भी हो गया है कि राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों को टिकट पाने का आधार भी अब यह नहीं रह गया है कि राजनीतिक दलों के उद्देश्यों प्रगति व विकास तया क्षेत्र की जनता के लिए सम्बन्धित व्यक्ति या कार्यकर्ता ने चुनाव क्षेत्र में कितना कार्य किया है या वह सम्बन्धित व्यक्ति उस क्षेत्र में मतदाताओं के बीच कितना लोकप्रिय रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में अर्हता बन गयी है कि टिकट पाने की दौड़ में पार्टी आलाकमानों को कौन कितना पटा सकता है या गणेश परिक्रमा कर सकता है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा टिकट प्राप्ति का खेल को व्यवसाय बढ़ा दिया गया है और इस राजनीतिक व्यवसाय में आधी आबादी को सदैव हानि या घाटे का सौदा ही नसीब होता है।

अतः स्पष्ट है कि आधी आबादी की राजनीतिक आकांक्षा राजनीतिक दलों के दल–दल में फॅस गयी है। तभी तो इतने महान राष्ट्रीय कर्त्तव्य अर्थात् महिला आरक्षण विधेयक को कानूनी रूप देने की दिशा में भी भारत के सभी राजनीतिक दल रोडें खडे किये हुए है। यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं की समृद्धि, संरक्षण, विकास व कल्याण के लिए महिला आरक्षण विधेयक आवश्यक है और आधीआबादी का विकास उनकी राजनीतिक क्रियाशीलता व सहभागिता के बिना अंसभव है। ''काग्रेंस से लेकर भाजपा

और विकल्प की राजनीति करने वाले बाकी दलों ने भी आरक्षण के नारे का इस्तेमाल किया परन्तु टिक्ट किसी ने नहीं दिया।''[21] राजनीतिक दलों में महिलाओं के राजनीतिक भविष्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सुधार के संकेत भी नहीं दिखाई देते है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति के पुरूष प्रधान राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं की उपस्थिति दोयम स्तरों पर दिख रही है जो कि आधी आबादी की राजनीतिक विकास व सहभागिता में प्रमुख बाधक तत्व रही हैं।

किसी भी संगठन के विकास का प्रतिमान उसकी सदस्यता को माना जाता है अतः भारतीय राजनीति के सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व है कि राजनीतिक दलों के भीतर अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्य बनाया जाय तथा राजनीतिक दलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को इस ओर जागरूक बनाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों को इस बात की ओर भी ध्यान देने की आवाश्यकता है कि उनके राजनीतिक दलों के भीतर लम्बे समय से कार्यरत् महिला कार्यकर्ता को उसकी सक्रियता, योग्यता व क्षमता के आधार पर संगठन में उच्च पदों पर तथा नीति निर्माण व निर्णय कारी महत्वपूर्ण पदों आसीन होने के अवसर प्रदान किये जाये ताकि उच्च पदों को प्राप्त करने का आकर्षण सक्रिय महिला कार्यकर्ता बनने के प्रेरित कर सके। महिलाओं को राजनीतिक दल की कार्यकारिणी समिति अर्थात् राजनीतिक दल की सर्वोच्च निर्णयकारी ईकाई में कम से कम 1/3 महिलाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः राजनीतिक दल स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर लोक सभा व विधानसभा के चुनाव के समय टिकट निर्धारण समिति में महिलाओं के लिए निर्धारित संख्या में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे ऐसे अवसरों से प्रभावित हो अधिक से अधिक महिलाएं राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो सके। अतः ''प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए ऐसा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे अपने दलीय निर्वाचनों में 1/3 स्थान महिलाओं को देने है। अन्यथा उनको एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत रहने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा।''[22] लोक सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी कहा था कि यदि महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पारित करने में राजनीतिक दलों को दिक्कतें आ रही है तो सरकार यह प्रस्ताव ला सकती है कि हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों में 33% स्थान महिलाओं को प्रदान करें।

आज आवाश्यकता इस बात की भी है कि राजनीतिक दलों के भीतर सक्रिय, ईमानदार कर्मठ व परिश्रमी कार्यकर्ता को चाहे वह महिला हो या

पुरूष सभी को आदर सम्मान के साथ साथ महत्वपूर्ण पदों पर काबिज भी किया जाय ताकि अन्य महिलाओं को राजनीतिक क्रियाकलापों व विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होने की प्रेरणा व प्रोत्साहन मिल सकें। चुनावों के लिए टिकट बटवाने में भी सक्रिय, ईमानदार, कर्मठ होने के साथ जमीनी स्तर पर ठोस राजनीतिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि परिवार वाद या बीबी, बेटी व बहू बिग्रेड को। राजनीतिक दलों के एजेन्डे में महिला सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

''राजनीतिक दलों की महिला शाखाएं या महिला संगठन काफी अंशों तक प्रतीकात्मक है तथा महिलाओं में नेतृत्व बिखरा हुआ हैं।''(23) महिला संगठनों में महिला सदस्यों की संख्या भी यथोचित नहीं है और जो सदस्य है वह भी नाममात्र की शोभा बढ़ाने वाले नाम सम्मिलित कर लिये जाते है और वास्तविक रूप में कार्य करने वाली महिला कार्यकताओं की संख्या इतनी कम है कि पुरूष प्रधान राजनीतिक दलों के भीतर दृश्यगत ही नहीं हो पाती है। अतः आवश्कता इस बात की है कि राजनीतिक दलों के भीतर महिला सदस्यों की वृद्धि के साथ–साथ महिला शाखा की और अधिक सक्रिय तथा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाया जाय तथा चुनाव के समय महिला उम्मीदवारों के चयन में महिला शाखा के सदस्यों को महत्वूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। महिलाओं में राजनीतिक क्रियाशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा अपने निजी स्त्रोतों से या राजकीय अनुदान की सहायता से महिला राजनीतिक कार्यकताओं के लिए राहत कोष की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुरूषों के लिए धन व्यय कर राजनीतिक क्रियाकताओं में हिस्सा लेना कठिन नहीं होता है क्योंकि वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होते हैं किन्तु महिलाओं के लिए विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा का खर्च उठाना कठिन होता है ऐसी स्थिति में आवाश्यकता इस बात है कि प्रत्येक राजनीतिक दलों के भीतर सक्रिय महिला कार्यकताओं जो काफी लगन परिश्रम व निष्ठा के साथ राजनीतिक क्रियाकलापों व गतिविधियों में शामिल होती है उन्हें यात्रा व्यय प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसी कल्याण कोष से अत्यधिक सक्रिय महिला कार्यकर्ता को सम्मानित करने का कार्य भी किया जाना चाहिए जिससे अन्य महिला कार्यकर्ता भी सक्रिय हो सके।

राजनीतिक दलों में व्याप्त दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दलों द्वारा समस्त दलीय सदस्यों के लिए कठोर आचार संहिता का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आचार व्यवहार में त्रुटि पाये जाने पर दलीय सदस्यता

से मुक्त कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों को दलीय राजनीति में व्याप्त भाई भतीजावाद भष्ट्राचार, वंशवाद, बाहुबल, धनबल व अपराधीकरण को समाप्त कर जेण्डर संवेदनशीलता का पालन किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों में ऐसे नैतिकता पूर्ण स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे राजनीतिक दलों के कार्यकताओं को समाज में सम्मान मिल सके। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं अनैतिक, घृणित व दूषित वातावरण के कारण राजनीति में प्रवेश करने से कतराती है वे स्वयं ही राजनीतिक क्रियाकलापों व गतिविधियों में भाग लेने के लिए तत्पर व सक्रिय रहेगी।

सन्दर्भ

1. चतुर्वेदी, इनाक्षी व सीमा अग्रवाल : महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता, आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, 2010, पृ0 292.
2. सिंह, निशान्त : महिला राजनीति और आरक्षण, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010, पृ0 190.
3. वही, पृ0 176–177.
4. श्रीवास्तव, राम नारायण : भाजपा संगठन के लिए कद्दावर नेताओं का टोटा, दैनिक जागरण, 3 मार्च, 2008, पृ0 2.
5. नाथ, सुमन व कांत, सुमन कृष्ण : इक्कीसवीं सदीं की ओर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ0 51
6. मुद्गल, चित्रा : कम ही सही पुरूष मानसिकता में परिवर्तन आया, सम्पादित पांडे, मृणाल व शर्मा, क्षमा : बन्द गलियों के विरूद्ध : महिला पत्रकारिता की यात्रा, नई दिल्ली, 2001, पृ0 107.
7. वही, पृ0 107.
8. शर्मा, कुमुद : स्त्री घोष, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2002, पृ0 86.
9. व्होरा, आशा रानी : औरत कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, 2006, पृ0 44.
10. सिंह, निशान्त व स्वप्निल सारस्वत : लोकतन्त्र और चुनाव सुधार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003, पृ0 165.
11. कुमार, अम्बरीश : आप भी तो महिलाओं को आगे बढ़ाये कामरेड, http:/www.virodh.blogspot.com.in, 2010/03.
12. खण्डेला, मानचन्द्र : भारतीय राजनीति के सिद्धान्त व व्यवहार, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर, 2001, पृ0 71.
13. नारायण, श्याम : निर्वाचन प्रणाली और उसमें सुधार, सम्पादित–मिश्र, एस0एम0 : लोक प्रशासन के बदले प्रतिमान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान एवं कनिष्क पब्लिशन, नई दिल्ली, 2005, पृ0 146.

14. कटारिया, कमलेश : नारी जीवन वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स पब्लिकेशन, जयपुर, 2003, पृ0 130.
15. सारस्वत, स्वप्निल व निशांत सिंह : समाज, राजनीति एवं महिलांए : दशा व दिशा, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007, पृ0 125.
16. चतुर्वेदी, इनाक्षी व अग्रवाल सीमा : महिला नेतृत्व व राजनीतिक सहभागिता, आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, 2010, पृ0 294.
17. गीता श्री :सुबह होने को है माहौल बनाये रखिये, सम्पादित पांडे मृणाल व शर्मा क्षमा : बन्द गलियों के विरूद्ध महिला पत्रकारिता की यात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ0 101.
18. चिरमुले, प्रणोति : महिलाओं की साम्प्रदायिक गोलबन्दी, समकालीन जनमत, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, मार्च 2010, पृ0 20.
19. सीधी बात, मायावती का साक्षात्कार, इण्डियाटुडे, 6 जून, 2007, पृ0 13.
20. सिंह, निशांत : महिला विधि, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ0 235.
21. गुप्ता, नीलम : चुनावी नारे का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, सम्पादित पांडे मृणाल व शर्मा क्षमाः बन्द गलियों के विरूद्ध : महिला पत्रकारिता की यात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ0 121.
22. सिंह, निशांत : महिला, राजनीति और आरक्षण, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010, पृ0 183.
23. मोदी, सरोज : विधान सभाओं में महिला विधायक, मित्तल पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1991, पृ0 114.

स्वतंत्रता आन्दोलन में छात्रों की भूमिका एवं वर्तमान छात्र राजनीति में विचलन : एक ऐतिहासिक अध्ययन

* धनेश पाण्डेय

इतिहास साक्षी है कि महत्वपूर्ण परिर्वतन युवाओं ने ही किया है, दूसरी तरफ इस बात के भी अनेकों उदाहरण मौजूद है कि किन्ही कारणोंवश युवाओं ने ऐसे भी काम किया है जिससे सम्पूर्ण दुनिया सहित पूरी मानवता लज्जित हुई है। महाभारत में अर्जुन ने सब कुछ हारते हुए अपनी पत्नी सहित स्वयं को हार गये व सबके सामने द्रोपदी के चीर हरण के माध्यम से इज्जत, मान, मर्यादा की धज्जियाँ उडाई गयी हैं। आज सम्पूर्ण देश अपने युवाओं की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि वे न सिर्फ अपने घर परिवेश और अपने आस पास के पर्यावरण को स्वच्छ व सुव्यवस्थित रखेंगे, बल्कि पूरे भारत को शीध्र ही एक विकसित राष्ट्र के रूप में रूपांतरित कर देंगे (सिंह, चौरसिया एवं द्विवेदी 2013:36)। युवा छात्र शक्ति को दुनिया के प्रत्येक देश में समुचित महत्त्व प्रदान किया जाता रहा है, इतिहास में ऐसे प्रमाणों की भरमार है। प्रत्येक देश में और प्रत्येक युग में नई पीढ़ी ने ही मुख्यतः सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का सूत्रपात किया है या नये विचारों का स्वागत किया है। यह भी प्रायः सर्वस्वीकृत तथ्य है कि प्रत्येक देश की शिक्षण संस्थायें नये विचारों के अंकुरण और प्रारम्भिक दौर में उसके फलने–फूलने के केन्द्र रहे हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण और सुधार आन्दोलन से लेकर रूसी समाजवादी क्रान्ति तक और उस काल से लेकर आज तक प्रायः सभी देशों की क्रान्तियों में, परिवर्तन के संघर्षों में, युवा पीढ़ी, मुख्यतः छात्र समुदाय की भूमिका अग्रणी रही है। भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के उदय, विकास और कठिन संघर्षों के दौर में भी यहाँ की युवा पीढ़ी ने और छात्र समुदाय ने अपनी अहम भूमिका निभाई है" (चन्द्र व अन्य 1990:37)।

अंग्रेजी शासनकाल भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आधुनिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ। यह कल्पना की जा सकती है कि जिस देश की जनता पर शासक वर्ग अपने अधिकार के दंभ में अत्याचार कर रहा हो, उस देश का युवा वर्ग इन सब स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप इस देश के युवकों में शासक वर्ग के प्रति विद्रोह का

* पूर्व शोधछात्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। बंगाल, महाराष्ट्र आदि आधुनिक शिक्षा से प्रभावित प्रदेशों में छात्रों और नौजवानों के संगठन तब से बनना प्रारम्भ हो चुके थे जब कांग्रेस जैसे किसी राजनीतिक संगठन ने अस्तित्त्व प्राप्त ही नहीं किया था (कुमारी, 2010:5)। दिसम्बर 1885 में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। इस काल में देश में छात्रों और युवाओं के जो संगठन बन चुके थे उनमें देश के राजनीतिक उतार–चढ़ावों के साथ ही साथ परिवर्तन आने लगे थे और इनकी सक्रियता में वृद्धि हो चली थी।

1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी, संकीर्ण हितों के लिए आवाज उठाने के बजाय राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए छटपटाने लगे। उनके इस प्रयास को सफलता मिली। 1875 से 1885 के दौरान भारत में जो नई राजनीतिक चेतना पनपी, वह मुख्यतः युवा वर्ग की देन थी (बनर्जी, 1925:41)। ये युवा ज्यादा क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी थे। इनमें से अधिसंख्य इन्हीं दस वर्षों के भीतर राजनीति में आये थे। इन्होंने एक नया संगठन बनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि पुराने संगठन दकियानूसी हो गये हैं, उनका जनाधार भी ठोस नहीं है। न उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है, न नीतियाँ (चन्द्र व अन्य 1990:39–41)। युवा आक्रोश और कुछ कर गुजरने के इरादे से स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से लेकर 1885 तक जो संगठन अस्तित्त्व में आये उनमें बंगाल की 'इंडियन एसोसिएशन', मद्रास की 'मद्रास महाजन सभा' तथा बम्बई की 'बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिऐशन' प्रमुख हैं।

युवाओं को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने का प्रयास प्रारम्भ में स्वातंत्र्य संघर्ष की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बार–बार देश के कर्णधार आह्वान करते रहे कि देश के युवा समय की नजाकत को समझते हुए स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपनी भूमिका समझें। स्वातंत्र्य संघर्ष ज्यों–ज्यों तीव्रतर होता गया देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे असंख्य छात्र भारत माँ की पुकार को सुनकर अपने आपको रोक न सके और राष्ट्रीय आन्दोलन के माध्यम से स्वातंत्र्य संघर्ष में कूद पड़े (वीरू, 2003:54)।

स्वतंत्रता के पूर्व सम्पूर्ण राष्ट्र के समक्ष प्रथम उद्देश्य और कर्त्तव्य, दासता के बन्धन से राष्ट्र को मुक्त करना था। अतः वैचारिक एवं सांगठनिक विभिन्नताओं के बावजूद अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यापक आम सहमति बन जाती थी और प्रायः सभी विचारधाराओं की सकारात्मक शक्तियाँ अलग–अलग रास्तों की साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे का अंग बन जाती थी। स्वतंत्रता के पश्चात् यह मूल उद्देश्य समाप्त हो गया" (चन्द्र व

अन्य 1990:354) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता संग्राम के अनेक योद्धा सरकार में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक दायित्त्वों का निर्वाह करने में संलग्न हो गये तथा अनेकों को अन्य प्रकार के महत्त्वपूर्ण दायित्त्व सौंपे गये। स्वतंत्रता संग्राम में यथाशक्ति योगदान करने वाली छात्र शक्ति अब स्वातंत्र्य संघर्ष में सफल हो जाने पर अपने अध्ययन के मार्ग पर लौट चली थी।

भारत जैसे युवा देश में छात्र राजनीति का मतलब जोश, जज्बे और जन सरोकारों से गहरे जुड़ाव वाली राजनीति से लगाया जाता रहा है। छात्रसंघ चुनावों से सक्रिय राजनीति में उतरे और सफल हुए राजनेताओं के अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि आम जनता के दुःख–दर्द की जितनी समझ कभी छात्र नेता रहे राजनेताओं में है, उतनी किसी अन्य में नहीं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वी0पी0 सिंह आदि नेताओं ने राष्ट्रहित का वास्ता देकर छात्रशक्ति को जागृत किया और लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के साथ–साथ सत्ता परिवर्तन और खराब व्यवस्थाओं को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। छात्र जीवन से राजनीति का पाठ सीखकर राष्ट्रीय राजनीति में दाखिला लेने वाले चन्द्रशेखर, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, रविशंकर प्रसाद आदि अनेक नेताओं ने मुद्दों की बात करते हुए अपनी सोच व कार्यप्रणाली से आम जनता के मन में एक नई आशा का संचार किया था। इनमें से कुछ राजनेता आज भी देश और अपने–अपने प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि रचनात्मक और सकारात्मक राजनीति की जो पहल इन्होंने की थी, वही इन्हें अभी तक राजनीति में स्थापित किये हुए है। पर अफसोस की बात है कि वर्तमान में छात्र राजनीति में मुखर रहने वाले छात्रनेता राजनीति के वास्तविक धरातल पर आकर बेमानी साबित हो रहे हैं। भविष्य की राजनीति के लिए वे कोई नई उम्मीद नहीं जगा पा रहे हैं (जैन, 2014)।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में भारतीय समाज में बेहद तीव्र परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है और ऐसी परिस्थितियाँ सामने आयी हैं जो पहले अकल्पनीय थीं। सामाजिक नियंत्रण के पारंपरिक एवं अनौपचारिक साधनों, यथा– धर्म, रीति–रिवाज, संयुक्त परिवार एवं अंधविश्वास आदि के प्रभाव में आयी कमी तथा राज्य संचालित औपचारिक साधनों (कानून–व्यवस्था और पुलिस–प्रशासन आदि) का समाज पर प्रभावी होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है (शर्मा, 2008:17)।

वैज्ञानिक प्रविधियाँ और व्यापारिक तंत्र के अभूतपूर्व मेल ने समूची दुनिया को पारस्परिकता के एक ऐसे संजाल (नेटवर्क) में बदल दिया है जहाँ

कोई भी घटना या स्थिति एक दूसरे से अछूती नहीं रह गयी है। लोगों की महत्वाकांक्षा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा और उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार जितना आज है उतना पहले कभी कहीं देखा नहीं गया। परम्परागत अपराधों में क्रूरता और अमानुषिकता का स्तर निरंतर बढ़ता गया है। समाज के ऐसे तबकों में विचलनकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है (कुमार एवं कुमार 2014)।

बदलती शिक्षण पद्धति में बच्चों की तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उचित मार्गदर्शन एवं रोजगार के अभाव में वे अपनी इस शिक्षा का इस्तेमाल अनैतिक तरीके से अपनी दिशाहीन इच्छाओं की पूर्ति एवं अनर्गल आत्म–तुष्टि के लिए करते हैं, जिससे समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। बदलते समाज में सामाजिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में हो रहे द्रुत गति से परिवर्तन जिस तेजी के साथ राष्ट्र की प्रगति में सहायक हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इनके कारण सामाजिक विघटन की अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं (शुक्ला, 2013:2)।

युवाओं की अपनी जरूरतें, अपने सपने और अपनी सीमाएं रहती हैं। यह ऐसा समय है जब वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र को चुनते हैं, अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और अपनी आजीविका कमाना शुरू करते हैं, विवाह करते हैं, अपने परिवार का पालन व पोषण करते हैं। वे जो भी सही या गलत निर्णय लेते हैं, उसका पूरा प्रभाव उनके अपने जीवन के साथ–साथ उनके सारे परिवार और समाज पर पड़ता है। युवाओं के कंधों पर बहुत सारे कर्त्तव्यों का भार होता है जिसका पालन करना उनका धर्म है (शर्मा, 1989)।

भारतीय युवा उन लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक समस्याओं और मुद्दों से जुड़े हैं और रोजमर्रा के जीवन की चिन्ताओं से रूबरू होते हैं न कि अपना सारा खाली समय दोस्तों के साथ सिनेमा देखने, बाहर घुमने, टेलीविजन देखने और संगीत सुनने में ही जाया करते हैं। भारत में राजनीतिक और नौकरशाही संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अण्णा हजारे द्वारा शुरू किये गये आन्दोलन में युवाओं ने देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिए बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इससे यह भी पता चलता है कि आज के युवा देश के सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन लाने के लिए जागरूकतापूर्वक एक–दूसरे से जुड़ रहे है (कुमार, 2012:25)।

बेरोजगारी वित्तीय समस्याओं को जन्म देती है जिसकी परिणति निर्धनता होती है। बेरोजगार युवकों में निर्धन होने की अधिक चिन्ता रहती है और इस प्रकार वे सीमान्त बनकर रह जाते हैं। इसी के साथ–साथ मीडिया संचार के माध्यमों, विलासिता के साधनों एवं वर्तमान फैशन एवं ग्लैमर की

चकाचौंध से पूर्ण संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है फलस्वरूप युवा असंतोष को बढ़ावा मिला है। संयुक्त परिवार के विघटन, पति–पत्नी दोनों के रोजगार में संलग्न होने तथा एकाकी जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि, मनोरंजन के साधनों (सिनेमा, साइबर, टेलीविजन) का प्रभाव परिवार में अभिभावकों एवं युवाओं के मध्य सामंजस्य में कमी आदि के कारण युवा असंतोष और उनकी विचलनकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि होती जा रही है।

छात्र किसी भी राष्ट्र के कर्णधार होते है क्योंकि वे ही आने वाले समय के नेता होते है। जहां तक छात्र राजनीति की आवश्यकता का प्रश्न है तो यह बात स्पष्ट है कि किसी भी देश को छात्र राजनीति की पौध तैयार करने की जरूरत तो अवश्य पड़ती है। छात्र राजनीति राजनीति की प्रथम सीढ़ी है क्योंकि छात्र राजनीति के माध्यम से की कुशल नेतृत्व के गुणों की नींव पड़ती हैं छात्र राजनीति के माध्यम से राजनैतिक तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है। छात्र राजनीति राजनीति में भागीदारी का आधार भी तैयार करती है। छात्र राजनीति में भागीदारी राजनैतिक भागीदारी करने हेतु भी उपयोगी है।

डी–बोना (1973) ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर अध्ययन कर निष्कर्ष प्राप्त किया कि 1930–1942 के राष्ट्रीय आंदोलनों में यहाँ के छात्रों की भागीदारी रही। आजादी के पश्चात् छात्र अशांति से उपजे आंदोलन को तेज करने में यहाँ का छात्र संघ अग्रणी रहा। समाज में हो रहे आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के कारण छात्र अशांति को लेकर गतिविधियाँ राजनीतिक, आर्थिक, मनौवैज्ञानिक एवं सामाजिक थीं।

छात्र अशांति के प्रमुख कारणों में शिक्षक–छात्र के बीच यथेष्ट सम्बन्धों का न होना, विश्वविद्यालय प्राधिकारी का छात्र मामलों के प्रति उदासीन होना, छात्र संघ का राजनीतिक दलों से सम्बद्ध होना आदि हैं। छात्र मामलों में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, बेरोजगारी की समस्या, उचित मार्ग दर्शन का अभाव, छात्रों व शिक्षकों के बीच संवादहीनता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी छात्र असंतोष के अन्य कारण हैं (विद्यार्थी, 1976)। छात्रसंघ एक ऐसे माध्यम बन कर रह गये हैं जो उनके ध्यानार्थ लायी गयी शिकायतों पर कम ध्यान देते हैं अथवा उन शिकायतों की गम्भीरता कम कर दी जाती है। शिक्षकों–छात्रों, अधिकारियों–छात्रों के संवादहीनता से छात्र नेताओं को अशांति पैदा करने का अवसर मिलता है (रॉस, 1969)।

छात्र राजनीति का उच्च शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यही वह अवसर है जब छात्र शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ राजनीतिक सहभागिता करते हुए राजनीति के गुणों को भी सीख सकता है। छात्र राजनीति राजनीति की प्रथम सीढ़ी है क्योंकि यहां से ही एक कुशल

राजनीतिज्ञ बनने के गुणों को अर्जित किया जा सकता है। प्रारम्भ में छात्र राजनीति का उद्देश्य यद्यपि छात्र हितों की रक्षा करना ही रहा एवं इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को करना भी था लेकिन कालान्तर में स्थितियां बदली और छात्र राजनीति का उद्देश्य धन अर्जन करना हो गया। छात्र राजनीति में बाहुबल बढ़ा और इसने एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। छात्र राजनीति में भी अराजक तत्वों को बोलबाला निरन्तर बढ़ने लगा तथा बाहुबल तथा धनबल को सफलता की गारंटी माना जाने लगा। फलस्वरूप छात्रों की रचनात्मकता एवं वाकपटुता में भी कमी होने लगी। राजनीति में सकारात्मक कार्यों का स्थान नकारात्मक कार्यों ने ले लिया। छात्र राजनीति में राजनैतिक दलों की सम्बद्धता के कारण गलाकाट प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। साथ ही साथ आपराधिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होने लगी क्योंकि यह माना जाने लगा कि जो प्रत्याशी जितनी ही आपराधिक प्रवृत्ति का होगा वह उतना ही दबंग होगा और जो जितना ही दबंग होगा। उसके चुनाव जीतने की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी।

भारतीय युवाओं के सन्दर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ग, लिंग, क्षेत्र और धर्म के अलावा उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके अपने परिवार का होता है। मित्रता युवाओं को प्रभावित करती है लेकिन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में साथ–साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह बहुत ही सीमित और एक हद तक ही प्रभावित कर पाती है। उस समय वे अपना अधिकांश समय दोस्तों के साथ बिताते हैं लेकिन परिवार की ओर देखने और उनसे प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि महाविद्यालयी शिक्षा भारतीय युवाओं के बहुत ही छोटे समूह ही तैयार कर पाती है। भारतीय युवाओं के जीवन पर भाई–बहन और शिक्षकों का भी बहुत ही सीमित प्रभाव होता है। युवाओं का एक बड़ा हिस्सा (एक ही वर्ग, जाति और स्थान के युवा) यह मानकर चलता है कि परिवार उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और जीवन में खुश रहने के लिए वे परिवार की जरूरत महसूस करते हैं। युवाओं का एक बेहद ही छोटा हिस्सा यह मानकर चलता है कि वे बिना परिवार के भी खुश रह सकते है (कुमार, 2012:26)।

आज की छात्र राजनीति सिद्धान्त विहीन और बेलगाम हो गयी है। लोकतांत्रिक देश के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान देने, उन्हें राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान देकर आदर्श नागरिक ही नहीं आदर्श जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान करने का यह मंच अर्थात् विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रसंघ अब सीधे दलगत राजनीति के अवांछित हस्तक्षेप से चल रहे हैं। राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार जिस दल विशेष की होती है, वे अपने से सम्बन्धित छात्र संगठनों के माध्यम से धन तथा प्रशासन और पुलिस का संरक्षण देकर पालते–पोसते और उकसाते रहते हैं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के अधिकारी और आदर्श शिक्षक जब छात्रों को ठीक राह पर ले जाने का प्रयास करते हैं या छात्रों के अनुचित कार्य करने के मार्ग में आड़े आते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, यदि मारपीट से काम न चला तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है।

वर्तमान परिवेश में तो पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं ने छात्रनेताओं को गुण्डों के रूप में देखना शुरू कर दिया है। इन लोगों की नजर में छात्रनेता कोई कुशल राजनीतिज्ञ नहीं वरन् अराजकता फैलाने वाले गुण्डे और दबंग नेता ही है। आज हालात यह है कि इन छात्रनेताओं को अधिक व्यापक जन समर्थन नहीं मिल रहा है और मात्र अन्तःवासी छात्र ही इन छात्रनेताओं को समर्थन कर रहे है। आज हालात यह है कि जो प्रत्याशी सर्वाधिक अराजक होगा तथा जिसके ऊपर सर्वाधिक मुकदमें है उस प्रत्याशी को सर्वाधिक दबंग तथा प्रचार वाला और जिताऊ माना जाता है। हालात यह है कि यह छात्रनेता विभिन्न राजनैतिक दलों के मोहरों के रूप में तो कार्य करते ही है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के अनैतिक कार्यों को भी करते है तथा धन कमाते है। आज छात्र राजनीति की छवि को लेकर निरन्तर बहस हो रही है क्योंकि जनता जागरूक है और वह निरन्तर छात्रनेताओं की गतिविधियों को नजदीक से समझती है और देखती भी है। वर्तमान में भी छात्र राजनीति को समर्थन करने वाले तथा विरोध करने वाले दो गुट है। एक गुट यह मानता है कि छात्र राजनीति भविष्य के राजनैतिक तैयार करने के लिहाज से उपयोगी है क्योंकि इससे छात्र भविष्य की आवश्यक कुशलताओं को सीख सकेंगे तथा एक कुशल राजनयिक बन सकेंगे जो कि किसी भी राष्ट्र को कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते है कि छात्र राजनीति की अपनी उपयोगिता है।

सन्दर्भ

कुमार, रजनीकान्त एवं रविकान्त कुमार (2014), समकालीन समाज में पुलिस प्रशासन की नवीन चुनौतियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद उधमसिंह नगर के विशेष संदर्भ में), रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइन्सेस, वा0–11(II), वर्ष–06, सितम्बर, पृ0 35–36.

कुमार, संजय (2012), पारम्परिक मूल्यों के साथ राजनीतिक भागीदारी, *सबलोग*, जनवरी, पृ0 24–27.

कुमारी, पूनम (2010), छात्र आन्दोलन का इतिहास, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली.

चन्द्र, विपिन व अन्य (1990), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

जैन, अंकित (2014), छात्र, राजनीति और भविष्य, *आलराइट्स : टार्च बियरर ऑफ युवर्स*, 24 जून.

डी–बोना, जे0 (1973), चेंज एण्ड कंफ्लिक्ट इन दि इण्डियन यूनीवर्सिटी, लालवानी पब्लिशिंग हाउस, बम्बई.

बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ (1925), ए नेशन इन दि मेकिंग, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन.

बरली की दुनिया, इन्दौर, म0प्र0, वर्ष –3 अंक 27 मई 2009

रॉस, डी0 एलीन (1969), स्टूडेंड्स अनरेस्ट इन इण्डिया : ए कम्परेटिव अप्रोच, मैक–गिल क्वींस यूनीवर्सिटी प्रेस, लंदन.

विद्यार्थी, एल0पी0 (1976), स्टूडेंट अनरेस्ट इन छोटानागपुर, पंथी पुस्तक, कलकत्ता.

वीरू, वीरेन्द्र कुमार (2003), भारत छोड़ो आन्दोलन के शहीद, अनुराग प्रकाशन, नई दिल्ली.

शर्मा, ए0 (2008), साइबर क्राइम, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

शुक्ला, अखिलेश (2013), बाल अपचार, गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा.

सिंह, राजेश, साधना चौरसिया एवं राहुल द्विवेदी (2013), तम्बाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति एवं उसके दुष्परिणाम, अनुसंधान (विज्ञान शोध पत्रिका), खण्ड–1, अंक–1, अक्टूबर, पृ0 164–67.

महिला शिक्षा के सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव

* मनोज गौतम

सारांश

शिक्षा के अधिकार कानून व रोजगार के बढ़ते अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। शिक्षा ने परिवार तथा समाज में महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त करने में सहायता की है, परन्तु स्वयं महिलाओं के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण में आशानुकूल बदलाव नहीं हुआ है। पासपड़ोस का सामाजिक वातावरण, सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, लिंगभेद, सामाजिक–सांस्कृतिक रीति–रिवाज, रूढ़ियाँ, पुरुषवादी प्रवृत्ति तथा जातिवाद के परिवर्तित स्वरूप आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो महिला सशक्तिकरण की राह को अवरुद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इसमें क्षेत्रीय (प्राथमिक स्रोत) एवं प्रलेखीय (द्वितीयक स्रोत) दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में भारत एवं उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति, शिक्षा का महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति पर प्रभाव से सम्बन्धित सरकारी/गैर–सरकारी प्रतिवेदनों, सर्वेक्षणों के ऑकड़े, शोध प्रतिवेदन, शोधपत्र, शोध–आलेख तथा शोध विषय से सम्बन्धित सामग्री, जो विभिन्न आलेखों, प्रलेखों, पत्र–पत्रिकाओं एवं ग्रन्थों में उपलब्ध थी, का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में लखनऊ शहर में स्थित विभिन्न प्रकृति के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक प्रस्थिति का अध्ययनकर परिवार में महिलाओं की स्थिति, बालिका शिक्षा रीति–रिवाज, विवाह, महिला स्वास्थ्य आदि के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि महिला शिक्षा का प्रभाव अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों में तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों में सबसे अधिक पड़ा है। इसी तरह निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का दृष्टिकोण अधिक उदार पाया गया है।

प्रस्तावना

आज के समय में परोपकार जैसे सामाजिक मूल्य अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। इस दौर में समाज में हर वस्तु बिकाऊ हो गयी है, यहाँ तक कि वे पदार्थ भी जो कभी पवित्र माने जाते थे, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत, पानी, हवा आदि' (बरमानी, 2008:128)। परिवर्तन की इस

* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला पी0जी0 कालेज, अदलहाट, मिर्जापुर

प्रक्रिया में नगरीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, औद्योगीकरण, यातायात और वृहद् संचार के उन्नत साधनों तथा नगरीय सुविधाओं ने जन सामान्य का नगरों के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया, फलतः नगरों की संख्या में तथा नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में संयुक्त परिवार की जगह एकांकी परिवार का निर्माण कर नगरों में निवास कर रहे हैं क्योंकि बदलती परिस्थिति से आवास समस्या सीमित आय, सुखमय जीवन की कामना, व्यक्तिवादी मूल्य शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, परिवार में नियंत्रण की कमी आदि कारणों से नगरीय परिवार परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं (मसराम, 2014:88)।

शिक्षा के अधिकार कानून व रोजगार के बढते अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उच्च शिक्षा, बैकिंग, बीमा कम्पनियों, रेल्वे, हेल्थ सेन्टर, आई.टी., सेना, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों में महिलाओं ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है (चन्द्रशेखर, 2012)।

अनेक शोधकर्ताओं ने महिला शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावों का आनुभाविक अध्ययन किया है। नायर (2004) ने अपने अध्ययन में पाया कि 31.5% छात्राओं को पढ़ाई के कार्यों में घर से कोई सहयोग नहीं मिलता। 37.5% छात्राओं को विद्यालय के अतिरिक्त कहीं बाहर जाने के लिए अभिभावकों की आज्ञा लेनी आवश्यक होती है। 67% छात्राओं का यह भी मानना है कि अकेले बाहर जाना असुरक्षित है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

बिसवाल व अन्य (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि आज भी 30% शिक्षित महिलाओं द्वारा शिक्षा, खान–पान तथा पालन–पोषण में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा 'बहुत अधिक' तथा 43% महिलाओं द्वारा 'अधिक' महत्व दिया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि 64% शिक्षित महिलाएं झाड़ू–पोंछा लगाना, खाना बनाना और परोसना आदि घरेलू कार्य करने के लिए केवल लड़कियों को ही कहती हैं, जबकि लड़कों के जिम्में मुख्यतः बाहर के कार्य होते हैं।

कृष्णा (2009) ने अपने शोध अध्ययन 'चेंजिंग पर्ससेप्शंस ऑफ मैरिज, एजूकेशन एवं कैरियर एमंग सिंगल वूमेन' में शिक्षित अविवाहित महिलाओं के विवाह, शिक्षा तथा रोजगार सम्बन्धी दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। शोध अध्ययन में पाया गया कि 57.5% उत्तरदाता एकल परिवार एवं 42.5% उत्तरदाता संयुक्त परिवार के हैं। 66.3% उत्तरदाता अपने अभिभावकों के साथ रह रहे हैं। उत्तरदाताओं की औसत आयु 27.5 वर्ष है। 67.4% उत्तरदाता

कभी–न–कभी विवाह करने की बात स्वीकार करते हैं। मात्र 3.3% उत्तरदाताओं ने कभी भी विवाह न करने की बात कही है, जबकि 28.3% उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी है। 37.5% उत्तरदाताओं ने पसन्द का जीवन साथी न मिलने तथा 38.6% उत्तरदाताओं ने विवाह सम्बन्धी पारिवारिक अड़चनों को अपने अविवाहित होने का कारण बताया है। 68.7% उत्तरदाताओं ने अपनी पसन्द पर अभिभावकों की सहमति से विवाह करने की बात स्वीकार की है।

कुमार (2012) ने 'पारिवारिक संरचना पर भूमण्डलीकरण के प्रभाव' सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की स्वतंत्र रूप से भागीदारी बहुत कम है, लेकिन पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय हिस्सेदारी काफी अधिक है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 72% महिलाएं बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी पारिवारिक निर्णय स्वयं (11.3%) या अपने पति के साथ मिलकर (62.8%) लेती हैं। इसी तरह पारिवारक खर्चे सम्बन्धी निर्णयों में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी 74% (17% स्वयं एवं 57% मिलकर), परिवार के नवयुवकों के व्यावसायिक चयन सम्बन्धी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी 67% (स्वयं 8% और मिलकर 59%), कृषिकार्य सम्बन्धी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी 69% (स्वयं 14% और मिलकर 55%), विवाह सम्बन्धी निर्णयों में 71% (स्वयं 21% और मिलकर 50%) तथा सम्पत्ति की खरीद–फरोख्त सम्बन्धी निर्णयों में 66% (स्वयं 6% और मिलकर 60%) भागीदारी है।

सोनोवाल (2013) ने 'महिला सशक्तिकरण पर शिक्षा के प्रभाव' सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि बीमार होने पर अभी भी 62% शिक्षित महिलाएं घरेलू उपायों का प्रयोग करती हैं या झोलाझाप चिकित्सकों से अपना इलाज करवाती हैं। अध्ययन में पाया गया कि 75% छात्राओं को अकेले कहीं आनेजाने पर रोका जाता है। पारिवारिक निर्णयों में 45% महिलाओं की अधिकतर तथा 55% महिलाओं की कभी–कभी निर्णायक भागीदारी होती है। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि मात्र 7.5% शिक्षित महिलाएं ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, लेकिन 69% महिलाओं ने राजनैतिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन होने की बात स्वीकार की है।

रेड्डी, मोहन एवं रेड्डी (2014) ने 'शिक्षित युवाओं के सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन' सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं के सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की प्रवृत्ति में सार्थक अन्तर है (टी–मान=2.769), परन्तु शैक्षिक वर्गवार सार्थक अन्तर नहीं है (कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों का टी–मान = 1.77)।

इन शोध अध्ययनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमण्डलीकरण का महिलाओं की पारिवारिक–सामाजिक प्रस्थिति पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। जहाँ भूमण्डलीकरण और महिला शिक्षा ने परिवार तथा समाज में महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त करने में सहायता की है, वहीं स्वयं महिलाओं के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण में आशानुकूल बदलाव नहीं हुआ है। पासपड़ोस का सामाजिक वातावरण, सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, लिंगभेद, सामाजिक–सांस्कृतिक रीति–रिवाज, रूढ़ियाँ, पुरुषवादी प्रवृत्ति तथा जातिवाद के परिवर्तित स्वरूप आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो महिला सशक्तिकरण की राह को अवरुद्ध कर रहे हैं।

उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भूमण्डलीकरण और महिला शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे–

- महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रस्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण करना।
- भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रस्थिति पर पड़े प्रभावों की प्रकृति का अध्ययन करना।

परिकल्पना– प्रस्तुत अध्ययन की प्रमुख परिकल्पना इस प्रकार है–

''महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्थिति में परिवर्तन की प्रवृत्ति विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित होती है।''

शोध अध्ययन की विशिष्ट उपकल्पनाएं निम्नवत् हैं–

- सामाजिक वर्गवार महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है।
- पारिवारिक पृष्ठभूमिवार महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है।
- आर्थिक स्तरवार महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है।

शोधविधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति अन्वेषणात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक शोध प्रचना का प्रयोग किया गया है। इसमें क्षेत्रीय (प्राथमिक स्रोत) एवं प्रलेखीय (द्वितीयक स्रोत) दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में भारत एवं उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति तथा भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया का महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति पर प्रभाव से सम्बन्धित सरकारी/गैर–सरकारी प्रतिवेदनों,

सर्वेक्षणों के ऑकड़े, शोध प्रतिवेदन, शोधपत्र, शोध–आलेख तथा शोध विषय से सम्बन्धित सामग्री, जो विभिन्न आलेखों, प्रलेखों, पत्र–पत्रिकाओं एवं ग्रन्थों में उपलब्ध थी, का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से शोध विषय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचनाओं को विश्लेषित किया गया है।

प्रतिदर्श एवं निदर्शन– अध्ययन में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित दो विश्वविद्यालयों– काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि करके इन विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले विभिन्न अकादमिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् 150 छात्राओं का चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को उत्तरदाताओं से साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से पूर्ण किया गया है। तथ्य संकलन के यन्त्र के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

उत्तरदाताओं की वैयक्तिक–पारिवारिक स्थिति

तालिका सं0 1 : वैयक्तिक–पारिवारिक स्थितिवार उत्तरदाताओं का वितरण

आयु (वर्षो में)	18–20	21–23	24–26	26 से अधिक	**योग**
संख्या	66	36	32	16	150
प्रतिशत	44.00	24.00	21.33	10.67	**100.00**
धर्म	हिन्दू	मुस्लिम	सिख	इसाई	**योग**
संख्या	131	14	3	2	**150**
प्रतिशत	87.33	9.33	2.00	1.33	**100.00**
जाति	सामान्य	अ0पि0व0	अनु0ज0		**योग**
संख्या	66	55	29		**150**
प्रतिशत	44.00	36.67	19.33		**100.00**
पारिवारिक पृष्ठभूमि	ग्रामीण	कस्बाई	शहरी		**योग**
संख्या	34	45	71		**150**
प्रतिशत	22.67	30.00	47.33		**100.00**
परिवार की प्रकृति	एकाकी	संयुक्त			**योग**
संख्या	86	64			**150**
प्रतिशत	57.33	42.67			**100.00**

तालिका सं0 1 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक (44%) उत्तरदाता 18–20 वर्ष आयु वर्ग के हैं। तत्पश्चात् 24% उत्तरदाता 21–23 वर्ष आयु वर्ग के, 21.33% उत्तरदाता 24–26 वर्ष आयु वर्ग के तथा 10.67% उत्तरदाता 26 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। 87.33% उत्तरदाता हिन्दू धर्म के, 9.33% उत्तरदाता मुस्लिम धर्म के, 2% उत्तरदाता सिख धर्म के तथा 1.33% उत्तरदाता इसाई धर्म के हैं। 44% उत्तरदाता सामान्य वर्ग के हैं। इसके बाद 36.67% उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं सबसे कम 19.33% उत्तरदाता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। सर्वाधिक उत्तरदाताओं (47.33%) की पारिवारिक पृष्ठभूमि शहरी है, जबकि 30% उत्तरदाता कस्बाई पृष्ठभूमि के तथा 22.67% उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। 57.33% उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति एकाकी है, जबकि 42.67% उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति संयुक्त है। सर्वाधिक (35.33%) उत्तरदाताओं के परिवार का प्रमुख व्यवसाय सरकारी या प्राइवेट नौकरी है।

तालिका सं0 2 : उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति

परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
निम्न	38	25.33
सामान्य	64	42.67
उच्च	48	32.00
योग	**150**	**100.00**

तालिका सं0 2 के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (42.67%) उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति सामान्य थी, जबकि 32% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति उच्च एवं 25. 33% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति निम्न पायी गयी।

तालिका सं0 2क : सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति

सामाजिक वर्ग	परिवार में महिलाओं की स्थिति के आधार पर वितरण						योग
	निम्न		मध्यम		उच्च		
	सं0	प्रतिशत	सं0	प्रतिशत	सं0	प्रतिशत	
अनु0 जाति	6	20.69	8	27.59	15	51.72	**29**
अ0पि0व0	10	18.18	23	41.82	22	40.00	**55**
सामान्य	22	33.33	33	50.00	11	16.67	**66**
कुल	**38**	**25.33**	**64**	**42.67**	**48**	**32.00**	**150**

तालिका सं0 2क में सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के 51.72% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति उच्च, 27.59% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति मध्यम एवं 20.69% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 41.82% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति मध्यम, 40% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति उच्च एवं 18.18% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न है। वहीं सामान्य वर्ग के 50% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति मध्यम एवं 33.33% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न एवं 16.67% उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति उच्च है।

तालिका सं0 2क से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अपने परिवार में महिलाओं की निम्न स्थिति मानने वाले उत्तरदाताओं में सामान्य वर्ग (33.33%) एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं (18.18%) के मध्य 15.15% तथा अपने परिवार में महिलाओं की उच्च स्थिति मानने वाले उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति (51.72%) एवं सामान्य वर्ग (16.67%) के उत्तरदाताओं के मध्य 35.05% का अन्तर है, जिससे स्पष्ट है कि सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति में अन्तर है। इस अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

तालिका सं0 2ख : सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति में अन्तर की सार्थकता

सामाजिक वर्ग	परिवार में महिलाओं की स्थिति के आधार पर वितरण						योग
	निम्न		मध्यम		उच्च		
	प्राप्त	अनुमानित	प्राप्त	अनुमानित	प्राप्त	अनुमानित	
अनु0 जाति	6	7.35	8	12.37	15	9.28	**29**
अ0पि0व0	10	13.93	23	23.47	22	17.60	**57**
सामान्य	22	16.72	33	28.16	11	21.12	**64**
कुल	6	7.35	8	12.37	15	9.28	**150**

काई वर्ग का प्राप्त मान = 14389

स्वतंत्रता अंश (df) = (3-1) x (3-1) = 2 x 2 = 4

सम्भाव्यता स्तर = 0.01

स्वतंत्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.01 पर तालिका काई–स्क्वायर = 13.277

सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति का आगणित काई–स्क्वायर का मान (14.89) स्वतंत्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता

स्तर 0.01 पर तालिका काई–स्क्वायर (14.89) से भी अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट रूप से सार्थक अन्तर है।

तालिका सं0 3 : सामाजिक प्रस्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

सामाजिक प्रस्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
निम्न	30	20.00
सामान्य	59	39.33
उच्च	61	40.67
योग	**150**	**100.00**

तालिका सं0 3 में सामाजिक प्रस्थितिवार उत्तरदाताओं के वितरण को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (40.67%) उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च है, जबकि 39.33% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य एवं 20% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है।

तालिका सं0 3क : पारिवारिक पृष्ठभूमिवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

पारिवारिक पृष्ठभूमि	सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर वितरण						योग
	निम्न		सामान्य		उच्च		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
ग्रामीण	6	17.65	20	58.82	8	23.53	**34**
कस्बाई	10	22.22	20	44.44	15	33.33	**45**
शहरी	14	19.72	19	26.76	38	53.52	**71**
कुल	**30**	**20.00**	**59**	**39.33**	**61**	**40.67**	**150**

तालिका सं0 3क में पारिवारिक पृष्ठभूमिवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के 58.82% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य, 23.53% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च और 17.65% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है, जबकि कस्बाई पृष्ठभूमि के 44.44% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य, 33.33% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च एवं 22.22% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है। वहीं शहरी पृष्ठभूमि के 53.52% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

उच्च, 26.76% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य एवं 19.72% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है।

तालिका सं0 3क से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि निम्न सामाजिक प्रस्थिति वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं (17.65%) एवं कस्बाई के उत्तरदाताओं (22.22%) के मध्य 4.57% तथा सामान्य सामाजिक प्रस्थिति वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं (58.82%) एवं शहरी पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं (26.76%) के मध्य 32.06% का अन्तर है, जिससे स्पष्ट है कि पारिवारिक पृष्ठभूमिवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में अन्तर है।

इस अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है। पारिवारिक पृष्ठभूमिवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति का आगणित काई–स्क्वायर का मान (12.579) स्वतंत्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर तालिका काई–स्क्वायर (9.488) से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमिवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है।

तालिका सं0 3ख : आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

आर्थिक श्रेणी	सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर वितरण						योग
	निम्न		सामान्य		उच्च		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
निम्न आय वर्ग	13	31.71	12	29.27	16	39.02	**41**
मध्यम आय वर्ग	11	23.40	14	29.79	22	46.81	**47**
उच्च आय वर्ग	6	9.68	33	53.23	23	37.10	**62**
कुल	**30**	**20.00**	**59**	**39.33**	**40.67**	**26.00**	**150**

तालिका सं0 3ख में आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि निम्न आयवर्ग के 39.02% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च, 31.71% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न और 29.27% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य है, जबकि मध्यम आयवर्ग के 46.81% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च, 29.79% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य एवं 23.4% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है। वहीं उच्च आयवर्ग के 53.23% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति सामान्य, 37.1% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च एवं 9.68% उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है।

तालिका सं0 3ख से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि निम्न सामाजिक प्रस्थिति वाले निम्न आयवर्ग के उत्तरदाताओं (31.71%) एवं उच्च आयवर्ग के उत्तरदाताओं (9.68%) के मध्य 22.03% तथा सामान्य सामाजिक प्रस्थिति वाले उच्च आयवर्ग के उत्तरदाताओं (53.23%) एवं निम्न आयवर्ग के उत्तरदाताओं (29.27%) के मध्य 23.96% का अन्तर है, जिससे स्पष्ट है कि आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में अन्तर है।

इस अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है। आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति का आगणित काई–स्क्वायर का मान (12.23) स्वतंत्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर तालिका काई–स्क्वायर (9.488) से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है।

तालिका सं0 4 : उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति

बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	28	18.67
अच्छी	60	40.00
बहुत अच्छी	62	41.33
योग	**150**	**100.00**

तालिका सं0 4 में उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (41.33%) उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति बहुत अच्छी है, जबकि 40% उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति अच्छी एवं 18.67% उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति सामान्य है।

तालिका सं0 5 में उत्तरदाताओं का उनके विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण के आधार पर वितरण प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक (48%) उत्तरदाताओं का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण उदारवादी है।

तालिका सं0 5 : उत्तरदाताओं के विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण की स्थिति

विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
रूढ़िवादी	21	14.00
उदारवादी	72	48.00
आधुनिक	57	38.00
योग	**150**	**100.00**

वहीं 38% उत्तरदाताओं का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण आधुनिक एवं 14% उत्तरदाताओं का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण रूढ़िवादी है।

निष्कर्ष

संकलित सूचनाओं के उपर्युक्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत् हैं–

- लगभग दो–तिहाई उत्तरदाता (68%) 18–20 वर्ष आयु वर्ग (44%) के या 21–23 वर्ष आयु वर्ग (24%) के हैं। मात्र 10.67% उत्तरदाता 26 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। अधिकांश (87.33%) उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं। मात्र 12.67% उत्तरदाता अन्य धर्मों के हैं। बहुसंख्य (44%) उत्तरदाता सामान्य वर्ग के हैं। बहुसंख्य (47. 33%) उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि शहरी है। मात्र 22. 67% उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। आधे से भी अधिक उत्तरदाताओं (57.33%) के परिवार की प्रकृति एकाकी है। तीन–चौथाई से भी अधिक (78%) उत्तरदाताओं के परिवार का प्रमुख व्यवसाय सरकारी/प्राइवेट नौकरी (35.33%), व्यापार (24%) या पेशेवर व्यवसाय (18.67%) है। तीन–चौथाई (75%) उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय रु0 15,001 से 50,000 के मध्य है। वहीं 16% उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय रु0 50,000 से अधिक एवं 2.67% उत्तरदाताओं की मासिक आय रु0 5,000 तक है।
- लगभग तीन–चौथाई (74.67%) उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति सामान्य (42.67%) या उच्च (32%) है।
- अपने परिवार में महिलाओं की निम्न स्थिति मानने वाले उत्तरदाताओं में सामान्य वर्ग (33.33%) एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं (18.18%) के मध्य 15.15% तथा अपने परिवार में महिलाओं की उच्च स्थिति मानने वाले उत्तरदाताओं में अनुसूचित

जाति (51.72%) एवं सामान्य वर्ग (16.67%) के उत्तरदाताओं के मध्य 35.05% का अन्तर है। सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट रूप से सार्थक अन्तर है (आगणित काई–स्क्वायर का मान 14.89)।

- अधिकांश (80%) उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्च (40. 67%) अथवा सामान्य (39.33%) है। निम्न सामाजिक प्रस्थिति वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं (17.65%) एवं कस्बाई के उत्तरदाताओं (22.22%) के मध्य 4.57% तथा सामान्य सामाजिक प्रस्थिति वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं (58.82%) एवं शहरी पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं (26.76%) के मध्य 32.06% का अन्तर है। पारिवारिक पृष्ठभूमिवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है (आगणित काई–स्क्वायर का मान 12. 579)।
- निम्न सामाजिक प्रस्थिति वाले निम्न आयवर्ग के उत्तरदाताओं (31. 71%) एवं उच्च आयवर्ग के उत्तरदाताओं (9.68%) के मध्य 22. 03% तथा सामान्य सामाजिक प्रस्थिति वाले उच्च आयवर्ग के उत्तरदाताओं (53.23%) एवं निम्न आयवर्ग के उत्तरदाताओं (29. 27%) के मध्य 23.96% का अन्तर है। आर्थिक वर्गवार उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में सार्थक अन्तर है (आगणित काई–स्क्वायर का मान 12.23)।
- अधिकांश (81.33%) उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति बहुत अच्छी (41. 33%) या अच्छी (40%) है।
- अधिकांश (86%) उत्तरदाताओं का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण उदारवादी (48%) या आधुनिक (38%) है।

स्पष्ट है कि भूमण्डलीकरण एवं महिला शिक्षा का प्रभाव अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों में तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों में सबसे अधिक पड़ा है।

सन्दर्भ

एकॉफ, आर.एल. (1953), *दि डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च,* दि यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो.

कृष्णा (2009), 'चेंजिंग पर्ससेप्शंस ऑफ मैरिज, एजूकेशन एवं कैरियर एमंग सिंगल वूमेन'

कुमार, अंचलेश (2012), दि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आन फैमिली स्ट्रेक्चर : ए सोशियोलॉजिकल स्टडी, दि जर्नल ऑफ एक्पेरीमेंटल साइंस, वा0–3, इश्यू–1, पृ0 10–13.

गुडे एण्ड हॉट, पी.के. (1952), *मैथड इन सोशल रिसर्च,* मैकग्रा–हिल बुक कं0, न्यूयार्क.

चन्द्रशेखर (2012), *भारत का भूमण्डलीकरण,* वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

दूबे, अभय कुमार (2003), *भारत का भूमण्डलीकरण,* वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

दूबे, श्यामाचरण (1994), *'शिक्षा समाज और भविष्य',* राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली.

नायर, ऊषा (2004), *ए सचुवेशनल एनालेसिस ऑफ वूमेन इन दि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,* नेशनल कमीशन फॉर वूमेन, नई दिल्ली.

बरमानी, आर0सी0 (2008), वैश्वीकृत संसार में नागरिकता, गीतांजति पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली.

बत्रा, उर्मिला (2012). *महिला साक्षरता एवं सामाजिक परिवर्तन,* मार्क पब्लिशर्स, जयपुर

बिसवाल, डी0एन0 व अन्य (2005), जेण्डर डिस्क्रिमिनेशन एण्ड सोशल स्टेटस ऑफ एजूकेटेड वूमेन, *वूमेन एण्ड चिल्ड्रन,* नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को–आपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली.

मसराम, कंचन (2014), नगरीय समाज में परिवर्तन, सन्दर्भ ग्रन्थ– अखिलेश शुक्ला एवं संध्या शुक्ला द्वारा संपादित, *भारत में नगरीय समाज,* गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा, पृ0 86–90.

रेड्डी, वरप्रसाद, मोहन, डी. जगन एवं रेड्डी, बी. श्रीनिवास (2014), ए स्टडी आन दि चेंजिंग वैल्यूज अमंग वूमेन स्टूडेंट आन प्रजेन्ट सोसायटी, *ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालेसिस,* वा0–3, इश्यू–12, दिसम्बर, पृ0 41–42.

सोनोवाल, एम.के. (2013), इम्पैक्ट ऑफ एजूकेशन आन वूमेन इम्पावरमेंट : ए केस स्टडी ऑफ एससी एण्ड एसटी स्टूडेंट ऑफ सोनपुर, *आई0जे0सी0ए0ई0एस0,* वा0–3, इश्यू–1, जनवरी, पृ0 27–33.

विनोबा भावे की सर्वोदय विचारधारा एवं भूदान आन्दोलन

* प्रिया सोनकर

भारतवर्ष का अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है। समय–समय पर धर्म, संस्कृति और मानवता के कल्याण हेतु यहाँ पर कुछ ऐसी विभूतियाँ अवतरित होती रही हैं, जो बाह्य रूप में तो हमारी तरह ही होती हैं, किन्तु हमारे और उनके जीवन में उतना ही अन्तर होता है, जितना अंतर अंधकार और प्रकाश में। ऐसी ही प्रतिभाओं को लोग महामानव की संज्ञा देते हैं। ऐसे ही महामानव थे– आचार्य विनोबा भावे। विनोबा ने अपना सम्पूर्ण जीवन अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा को समर्पित करके एक ऋषि का जीवन बिताया और उनके अपने जीवन का लक्ष्य उसी ऋषि परम्परा में मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं, फिर भी उनकी आकांक्षाओं में गाँधी जी का सर्वोदय सदैव आन्दोलित रहा। सर्वोदय दर्शन को स्पष्ट करना, उसे अपने प्रयोगों द्वारा मूर्त रूप प्रदान करना उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य बन गया। मशरूवाला (1948) के शब्दों में, ''हम विश्वास करते हैं कि बापू के सिद्धान्तों को सबसे अधिक अच्छी तरह से विनोबा जी ने ग्रहण किया है।'' विनोबा के विषय में जॉन पापवर्थ (1970) ने कहा था– ''विनोबा के व्यक्तित्व को स्वीकार करना व्यक्ति–पूजा नहीं है और अगर हो भी तो मैं विनोबा के व्यक्तित्व को कहीं अधिक हर्ष से स्वीकार करूँगा बजाय उन लोगों के व्यक्तित्व के, जो आज राजनीति पर हावी हैं।'' विनोबा में चिन्तन और क्रियाशीलता का तथा कर्म तथा ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मौलिक चिन्तन जितना वे करते हैं, उतना कोई नहीं करता। अपने प्रवचनों और संवादों द्वारा जो विचार क्रान्ति उन्होंने की, वह गाँधी के बाद दूसरा न कर पाया।

अन्याय और दुर्भावना के विरुद्ध आत्म–शक्ति से अहिंसक संघर्ष का सफल प्रयोग अफ्रीका महाद्वीप में करने के पश्चात् जब श्री मोहनदास करमचन्द गाँधी भारत लौटे और भारत का भ्रमण करने के पश्चात् उन्होंने जो विचार व्यक्त किया, तो कांग्रेस के मंच पर स्थापित सर्वमान्य नेतात्रय लोकमान्य तिलक, बालकृष्ण गोखले और दादा भाई नैरोजी का सहज सद्भाव उन्हें प्राप्त हो गया और उस समय से लेकर मृत्युपर्यन्त गाँधीजी ने देश को नेतृत्व प्रदान किया और देशहित में कार्य किया, जिसके कारण ही आधुनिक भारत का यह गाँधी युग कहलाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की इच्छा को बिना जाने–समझे भारत के दूसरे महायुद्ध में शामिल होने की

* शोधछात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

घोषणा ने गाँधीजी को विचलित कर दिया तथा कांग्रेस ने इसके तीव्र विरोध का मन बना लिया, गाँधी ने प्रतीक स्वरूप सन् 1940 में व्यक्तिगत अवज्ञा आन्दोलन चलाया। इस आन्दोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को नेतृत्व करने के लिए चुना गया। पहली बार देश को विनोबा भावे के बारे में पता चला कि वह आन्दोलनकारियों में शीर्षस्थ स्थान पाने वाले प्रथम सत्याग्रही, मात्र सत्याग्रह धर्म, सत्याग्रह की मर्यादाओं और सत्याग्रह के मर्म को विशेषज्ञ की तरह जानने के कारण बने (मसानी, 1957)। इतिहास साक्षी है कि वे गाँधी के निर्देशों को अक्षरशः पालन करने वाले प्रथम सत्याग्रही के नाते निर्मल मन से उन आदर्शों का पालन करते रहे, जो उन्हें महान् सत्याग्रही होने का गौरव प्रदान करता है (टंडन, 1981)।

''विनोबाजी का असली नाम तो है— विनायक नरहरि भावे, परन्तु वे 'संत विनोबा' अथवा 'आचार्य विनोबा भावे' के नाम से सुविदित हैं। उनका जीवन संतों के जीवन जैसा बीता, इसलिए वे 'संत' के नाम से विभूषित हुए। वे अत्यन्त विद्वान् भी थे। वेद–वेदान्त–गीता जैसे अनेक शास्त्र–ग्रन्थों का उन्हें गहरा अभ्यास था। तदुपरान्त यह सारा ग्रन्थस्थ ज्ञान वे अपने जीवन में चरितार्थ करने का पुरुषार्थ करते रहे, इसलिए सुशिक्षित लोगों के जगत् में वे 'आचार्य' नाम से विख्यात हुए।''

विनोबा का व्यक्तित्त्व गाँधी जी से भिन्न था किन्तु गाँधी से अधिक गाँधीमय था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के नैतिक और आध्यत्मिक मूल्यों एवं सिद्धान्तों को व्याख्यापित करने के स्थान पर उनको व्यावहारिक जीवन में उतारकर जिस मनोयोग के साथ जीवन जिया उसका अन्यथा उदाहरण दुर्लभ है (धर्माधिकारी, 1983)। इस सात्त्विकता से अधिक विनोबा ने सामाजिक सरोकारों से अपने आपको जोड़ा। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े भारतीय समाज की उन्नति के लिए ज्ञान और सम्पूर्ण भावना को पुष्पित पल्लवित करने की आवश्यकता को उन्होंने अनुभव किया।

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस दिन भी विनोबा आश्रम में सदा की भाँति निर्लिप्त भाव से काम करते रहे। भारत के विभाजन पर विनोबाजी बहुत दुखी हुए, परन्तु उस समय सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा। सन् 1947 के अन्त में वर्धा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह हिमालय जैसी भूल थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी के प्रस्ताव का जो शिथिल समर्थन गांधीजी ने किया, वह उचित नहीं था। फिर भी वे पवनार में अपने रचनात्मक कार्यो में लगे रहे। गाँधीजी की हत्या के बाद उत्पन्न हुई संकटकालीन परिस्थिति में पं0 नेहरु के आग्रह पर शान्ति स्थापना करने तथा शरणार्थियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मार्च 1948 के अन्त में दिल्ली पहुँचे (शाह, 1979:52)। दिल्ली में राजघाट पर गाँधी जी की समाधि के पास

एक छोटी सी कुटिया में वे ठहरे और नित्य सायंकाल प्रार्थना, प्रवचन किया। उन्होंने लोगों में आपसी सद्भाव एवं प्रेम की भावना का प्रसार किया। हैदराबाद में साम्प्रदायिक अशांति फैलने पर पं0 नेहरू के आग्रह पर विनोबाजी ने औरंगाबाद, नांदेड, बीदर और हैदराबाद का दौरा किया, उनके प्रार्थना प्रवचनों से राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थापना में काफी मदद मिली। हैदराबाद से विनोबाजी बड़ौदा गये और उसके बाद सूरत में बेड़छी आश्रम गये। फिर विस्थापितों को बसाने तथा साम्प्रादायिक सौहार्द कायम करने के लिए सरकार से सहायतार्थ जो कुछ उन्हें करते बना किया, क्योंकि उसकी कुछ मर्यादाएं थीं (स्काइज, 1994)।

विनोबा के सर्वोदय विचार

गाँधीजी के जाने के बाद देश की राजनीतिक स्थितियाँ बदल गयीं, देश में चारों ओर बेहिसाब निराशा छायी हुई थी, परन्तु विनोबाजी ने महात्मा गाँधी की हत्या को अपने लिए एक चुनौती माना और कहा कि, ''अगर सच्चाई में हमारी परम् निष्ठा है, उसका अमल हमारे निजी और सामाजिक जीवन में करने की वृत्ति हम रखते हैं, तभी इस चुनौती को हम स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो हम उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बल्कि इच्छा न रखते हुए हम उस हत्याकारी के पक्ष में ही दाखिल हो जाते हैं।'' उन्होंने आशा व्यक्त की कि ''गाँधी की देहमुक्ति हममें शक्ति–संचार करेगी और हम सत्यनिष्ठ जीवन जी कर सर्वोदय की तैयारी के अधिकारी बनेंगे।''

देश की राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करने के लिए देश के प्रमुख राजनैतिक और रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक परिषद् सेवाग्राम में 11 से 14 मार्च 1948 को की गयी। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में पं0 जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद जैसे नेताओं के साथ ही कांग्रेस के अनेक छोटे–बड़े नेता शामिल हुए। उस सम्मेलन में बहुतों की निगाह विनोबा पर टिकी थीं (शाह, 1979:51)। बैठक में अनेक वक्ताओं ने अपने भाषणों में गाँधीजी के बाद अगले मार्गदर्शक के रूप में दायित्व संभाल लेने के लिए विनोबाजी से प्रार्थना भी की, लेकिन विनोबाजी ने वक्तव्य में इस बारे में कोई प्रतिक्रिया न देते हुए कहा– ''मैं तो गाँधी सेवा संघ का सदस्य भी नहीं हूँ यद्यपि गाँधीजी के साथ बहुत अधिक समय तक रहा हूँ, फिर भी मैं बापू के द्वारा पालतू बनाया गया जानवर सा रहा हूँ।.... बापूजी ने तो कई बार कहा था कि उनके पीछे पंडितजी ही उनके वारिस होंगे। इसलिए उनके मार्ग–दर्शन के तो हम हकदार भी हैं।'

दूसरे दिन विनोबाजी ने सर्वोदय समाज की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार निर्णय लिया गया कि उन व्यक्तियों का एक विशेष मंच बनाया जाये, जो

महात्मा गाँधी के मूल्यों व सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं। 'सर्वोदय समाज' का मुख्य उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित समाज की स्थापना करना था। ऐसा समाज, जिसमें जाति–पाँति और धर्म न हो, शोषण न हो तथा व्यक्ति और समाज दोनों को अपने विकास का पूरा मौका मिले। इसके अतिरिक्त सर्वसेवा संघ की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया और साल में एकबार प्रतिवर्ष 'सर्वोदय सम्मेलन' आयोजित करने का तय किया गया। इसके अध्यक्ष किशोरीलाल मशरूवाला बनाये गये, उनको यह अधिकार दिया गया कि वे सर्वोदय समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति की नियुक्ति कर लें (श्रीमन्नारायण, 1972:143)।

आचार्य विनोबा भावे जी ने हर नागरिक को आर्थिक समानता की बात कही है। वे कहते हैं कि ''आधुनिक अर्थशास्त्र पूँजीवादी क्षमता का हामी है। वह कहता है कुछ लोगों की योग्यता ज्यादा है इसलिए उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए। वह योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक देकर समाज में समता लाना चाहता है। इससे कुछ लोगों का जीवन ऊँचे स्तर का चला गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन तो बिलकुल खाई में गिर गया है। पूँजीवाद के पास इसका कोई इलाज नहीं है। उसका तो साफ कहना है कि जो नालायक है, उनके लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं कि वे नालायक बने रहें, और जो लायक हैं, वे दुनिया के सुख–साधनों का लाभ उठाएं यह अनिवार्य है। इसीलिए आज दुनिया दुःखी है। पूँजीवाद के समर्थक कम हैं फिर भी वह चल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल वह टूटने वाला ही है।''

विनोबा जी ने समाज में विवेकपूर्ण आर्थिक समानता का समर्थन किया। उनके मत में समानता का अर्थ यह नहीं समाज को भौतिक सम्पदा का सबसे समान वितरण हो बल्कि इसका आशय यही है कि 'प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो।'' इसके साथ ही वे कहते हैं कि चाहे वह भंगी, माता, अध्यापक और इसी प्रकार के अनेक दूसरे लोगों की सेवाओं का मूल्य पैसे में ही नहीं हो सकता। इसलिए नियम यह होना चाहिए, जो मनुष्य समाज की निष्ठापूर्वक सेवा करता है, वह अपनी रोजी का हकदार हो जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक काम का आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य समान होना चाहिए। साम्ययोग इसी तरह कायम किया जा सकता है।

विनोबा ने स्वदेशी का प्रयोग स्वधर्म और स्वावलम्बन के सिद्धान्त के रूप में किया है। उनके अनुसार 'स्वधर्म अर्थात अपने आस–पास के लोगों द्वारा तैयार माल प्रेम से स्वीकारना हमारा धर्म है।' इसका आशय यही है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हितों एवं आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करता है। जब हम 'अपने नजदीक वाले मनुष्य ने जो चीज बनायी है, उसे न खरीदते हुए दुनिया की चीजें

खरीदते हैं तो यह 'संकुचित स्वार्थ एवं निष्ठुरता है।' इसलिए आर्थिक समृद्धि एवं स्थायीत्वपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिये। उन्होंने कहा कि इसका यह आशय भी नहीं है कि स्वदेशी भावना विदेश निर्मित प्रत्येक वस्तु का विरोध करती है बल्कि इसका आग्रह यही है कि ''जिन चीजों का हम अच्छी तरह निर्माण कर सकते है, उस काम का बोझ दूसरों पर डालना गलत है।''

सन् 1951 में सर्वोदय समाज का तीसरा सम्मेलन शिवरामपल्ली, हैदराबाद में आयोजित होने जा रहा था। सबके अत्याग्रह से विनोबा वहाँ आने को तैयार हुए, परन्तु अपने ढंग से।.... वे पैदल निकल पड़े। 7 मार्च 1951 के दिन विनोबा ने सेवाग्राम से अपनी पदयात्रा शुरू की, और 30 दिनों में कोई 300 मील का पदयात्रा करते हुए वे सम्मेलन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सारे देश से आये हुए रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सभा में बोलते हुए कहा– ''स्वराज्य के बाद हमें जो काम करना है, वह बहुत ही गहरा और कठिन है। वह समाज की नींव में चुने जाने का काम है। अब हमें सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का काम अपने हाथ में लेना है।'' सम्मेलन के अन्त में उन्होंने लोगों को सन्देश दिया– 'अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि, श्रम, शान्ति और समर्पण। यही है सर्वोदय का पंचविधि कार्यक्रम। स्वराज्य मिल गया है, अब हमें सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का काम हाथ में लेना है।'

शिवरामपल्ली–सम्मेलन में ही विनोबा ने तेलंगाना जाने का अपना मत प्रकट किया, जहाँ साम्यवादियों की लूट–पाट और खून–खराबे और पुलिस–फौज द्वारा उनके दमन के प्रयास ने एक जटिल स्थिति पैदा कर दी थी। वर्धा लौटने से पहले वे स्वयं सारी स्थिति को समझना चाहते थे। अतः 15 अप्रैल सन् 1951 को विनोबा ने इस शान्ति यात्रा पर प्रयाण किया। उनका पहला पड़ाव हैदराबाद में रहा। वहाँ की जेल में जाकर विनोबा साम्यवादी कैदियों से मिले। बहुत गहरी सहानुभूति के साथ उन्होंने उनसे बातें कीं। पदयात्रा करते हुए 18 अप्रैल 1951 के दिन सुबह नलगोंडा जिले के पाँचमपल्ली गाँव पहुँचे। यह गाँव साम्यवादियों का गढ़ माना जाता था। गाँव का भ्रमण करते हुए वे हरिजन बस्ती में पहुँचे। हरिजनों ने अपना दुःख सुनाते हुए अपनी गरीबी एवं बेकारी के बारे में बताया और उनसे 40 परिवारों के लिए उन्हें 80 एकड़ भूमि दिलवाने की बात कही, जिसमें अन्न उत्पन्न कर वे अपना पेट भर सकें। विनोबा को सहसा कुछ सूझ नहीं रहा था तो वे बोले कि 'सरकार से बात करके आपको जमीन दिलाने की कोशिश जरूर करूँगा' (भट्ट, 1995:47)।

सायं प्रार्थना सभा में विनोबा ने गाँव के लोगों से सहज पूछा कि 'क्या आपमें से कोई ऐसे हैं, जो इन हरिजन भाइयों को मदद कर सकें? अगर इन्हें जमीन मिल जाय तो ये उस पर मेहनत करने को तैयार हैं।' उसी

वक्त सभा में से एक ऊँची, पतली कायाधारी व्यक्ति उठकर बोला– 'मेरे पिताजी की इच्छानुसार मैं इन हरिजन भाइयों को 50 एकड़ सिंचित और 50 एकड़ सूखी जमीन देने के लिए तैयार हूँ।' उस रात विनोबा सो नहीं सके। विनोबा कहते हैं– 'उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि उस दिन मुझे अहिंसा का साक्षात्कार हुआ। मैं चिन्तन में खो गया। क्या इसमें ईश्वर का कुछ इशारा है?' और विनोबा को प्रतीति हुई कि भगवान उनसे कुछ काम लेना चाहते हैं। देशभर में जमीन की भूख है। इसके वास्ते, खून की नदी भी बह रही है, तब कोई केवल प्रेम के नाम से जमीन माँगे तो भूमि देनेवाला भी निकल आये। निश्चित इसमें कोई ईश्वरीय संकेत है। और वे भूमि दान के कार्य में जुट गये (शाह, 1979:59)।

पोचमपल्ली के इस आकस्मिक चमत्कार ने उन्हें गद्गद कर दिया था। शाम की प्रार्थना के बाद गाँव की जनता को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा– ''आदमी जो कुछ करता है, सदा अपने सोचे अनुसार ही नहीं करता। ऐसी उदात्त क्रियाओं के पीछे कोई दैवी शक्ति होती है।... अगर भगवान् की इच्छा होगी तो मैं गरीबों के लिए इस प्रकार जमीन की माँग करने के लिए गाँव–गाँव घूमूँगा।'' उस दिन से विनोबाजी ने गाँव–गाँव पैदल घूमकर गरीबों के लिए जमीन की माँग करना शुरु कर दिया। भारत के विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया और भू–दान आन्दोलन में जो भूमि पाते, उसे भूमिहीनों में वितरित कर देते। इस तरह जब 27 जून 1951 को विनोबा पदयात्रा करते हुए वापस पवनार पहुँचे, तो 70 दिनों में उन्हें कुल 12,000 एकड़ जमीन भूदान में मिल चुकी थी। इस यात्रा का तेलंगाना के वातावरण पर इतना असर पड़ा कि विनोबा के तेलंगाना से विदा होने के बाद भी स्थानीय कार्यकर्ता एक लाख एकड़ जमीन और भूदान में प्राप्त कर सके (श्रीमन्नारायण 1972:169)।

इसी बीच मार्च 1950 में गठित योजना आयोग ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। पं0 नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करने हेतु विनोबा को दिल्ली आने का आग्रह किया। पं0 नेहरू के आग्रह पर विनोबाजी ने 12 सितम्बर 1951 को दिल्ली प्रस्थान किया, परन्तु अपनी चिर–परिचित पद–यात्रा के रूप में। वास्तव में वे भूदान की कल्पना की ऐसे क्षेत्र में भी आजमाइश करना चाहते थे, जहाँ कम्युनिस्टों का प्रभाव नहीं था। रास्ते में गाँव–गाँव में, प्रेम से जमीन की माँग रखी और इस सन्त की झोली प्रेम के भूदान से भर गयी। दिल्ली पहुँचे तब तक 18,000 एकड़ भूदान प्राप्त हो चुका था (भट्ट, 1995:47)।

दिल्ली में विनोबा ने योजना आयोग के सदस्यों के साथ भावी योजना के बारे गम्भीर विचार–विमर्श किया। 11 दिन दिल्ली में प्रवास के उपरान्त यह विश्वास होने के बाद कि शायद सरकार उनके विचारों पर अमल करने

को तैयार नहीं है, खिन्न मन से अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने चल पड़े। 24 नवम्बर 1951 के दिन विनोबा ने उत्तर प्रदेश में अपनी पदयात्रा शुरु की (शाह, 1979:63)। उत्तर प्रदेश की यात्रा में भूदान की दैनिक औसत 311 एकड़ की रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया में स्वयं साम्यवादियों ने विनोबा को अभिनन्दन पत्र भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। 12 अप्रैल को विनोबा वाराणसी के पास सेवापुरी पहुँचे। 13 से 14 अप्रैल तक यहाँ चौथा सर्वोदय सम्मेलन हुआ। अब तक करीब 5000 दाताओं से कुल एक लाख एकड़ जमीन भूदान में मिल चुकी थी। सम्मेलन के सचिव शंकरराव देव ने परिषद् में प्रस्ताव द्वारा कार्यकर्ताओं से भूदान के लिए संकल्पित 5 करोड़ एकड़ जमीन की पहली किश्त के रूप में दो वर्ष में 25 लाख एकड़ जमीन एकत्र करने की अपील की, ताकि देश में सत्य और अहिंसा के आधार पर वर्ग–विहीन और शोषण–विहीन समाज की स्थापना की जा सके। प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हो गया और वह भूदान–हलचल का सिद्धि–मंत्र बन गया।

भूदान में से ग्रामदान, तालुकादान, प्रखण्डदान और राज्यदान के अंकुर तो फूटे ही, निधिमुक्ति–तंत्रमुक्ति जैसे आयाम भी प्राप्त हुए। इनके अलावा सर्वोदय–पात्र, शान्ति सेना, ग्रामस्वराज्य, लोकनीति, जयजगत् की विचारधारा पर आधारित ऐसे विविध कार्यक्रम प्रकट हुए, जिसकी बुनियाद पर सर्वोदय के अहिंसक समाज की इमारत खड़ी हो सके (भट्ट, 1995:53)। इस महान् साधु का लक्ष्य राम–राज्य अथवा सर्वोदय था। उनका मत था कि इसकी प्राप्ति सिर्फ उसी दशा में हो सकती है, जब गाँव वाले अपनी ही जन–शक्ति में विश्वास रखें जो कि लोगों की ऐच्छिक अहिंसावादी शक्ति होती है।

तेरह वर्षो तक लगातार भारत के भ्रमण करने के बाद सन् 1964 में विनोबाजी पवनार पहुँचे, परन्तु हाथ में लिया हुआ काम तो पूरा नहीं हुआ था। शरीर भी अब क्षीण हुआ था। इसलिए सबकी सलाह से तय हुआ कि कुछ दिन विश्राम किया जाय। विनोबाजी ने क्षेत्र–सन्यास ले लिया। क्षेत्र–सन्यास अर्थात स्थानबद्धता। इसके बाद वे अपना सारा समय सूक्ष्म चिन्तन में ही व्यतीत करने लगे। अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा– ''मुझे इस बात का समाधान है कि मेरे जीवन में प्राप्तव्य रहा नहीं है, जो कुछ प्राप्त करना था, वह प्राप्त हो गया है। फिर भी शरीर शेष है, तो जो कुछ काम उससे बनेगा, वह बने। कर्तव्य शेष नहीं, यह बहुत बड़ा समाधान है मेरे चित्त में। इस वास्ते किसी प्रकार की चिन्ता चित्त में नहीं है, चिन्तन चलता है, वह अलग बात है'' (श्रीमन्नारायण, 1972:330)।

25 अप्रैल 1976 को पवनार में हुए महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में आचार्य विनोबा ने गो–रक्षा पर विशेषरूप से प्रवचन दिया और आचार्यों से

कहा कि वे गो–रक्षा की जिम्मेदारी उठायें। 17 मई 1976 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शंकरराव चव्हाण, जो विनोबाजी से मिलने पवनार आश्रम आये थे, से उन्होंने गोवध रोकने हेतु उचित कदम उठाने को कहा। इसके उपरान्त 29 मई को विनोबा ने घोषणा की कि यदि 11 सितम्बर तक सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में गोवध निषेध हेतु उचित कदम नहीं उठाये जाते तो वे उसी दिन से आमरण अनशन प्रारम्भ कर देंगे (स्काइज, 1994:233)। गोवध बन्दी के लिए अनशन किया। उनकी तबियत बिगड़ने लगी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने संविधान में संशोधन कर "पशु संवर्धन" को केन्द्रीय सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया तब उनका अनशन समाप्त हुआ। किडनी की बीमारी से अस्वस्थ होने के कारण 15 नवम्बर, 1982 को प्रातःकाल साढ़े नौ बजे विनोबा भावे जी ने जो श्वास छोड़ा उसे फिर वापस नहीं लिया। वह उनका अन्तिम श्वास था, आश्रमवासियों ने उसे महावीर परिनिर्वाण दिवस माना।

विनोबाजी ने स्वाध्याय, शरीर–श्रम और सेवाधर्म की त्रिवेणी में डुबकी लगाई और बापू के बाद बापू को भारतीय जनमानस के बीच जीवित रखा। वे गाँधीवाद के सच्चे प्रतिनिधि तथा गाँधीजी के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे (टंडन, 1965:4)। वे गांधीजी द्वारा चलाये गये सत्याग्रह आंदोलन के एक प्रमुख नेता और सहयोगी रहे और खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, नई तालीम, गोसेवा, सर्वोदय आदि रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रयोगकर्ता और प्रमुख मार्गदर्शक रहे। विनोबाजी ने न केवल गांधीजी के सर्वोदयी विचारों की व्याख्या की, वरन् उसमें युगानुकूल संशोधन कर उसे आगे भी बढ़ाया (शुक्ला, 2012)।

विनोबा को गांधी के उत्तराधिकारी का पद सद्गुणों के कारण और उनके समर्पण भाव के आधार पर मिला था। विनोबा को यह यशस्विता उनके संतकर्त्तव्यपूर्णता के कारण मिली। भारतीय राजनीति में ऐसा कोई दूसरा कर्त्तव्य देखने को नहीं मिलता जो निर्विकार और निःस्वार्थ भाव से सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार को अल्पजीवी आवश्यकताओं के बीच जाने की राह बनाता है। विनोबा का सम्पूर्ण चिन्तन और कर्त्तव्य धुंध या धुंए की लकीर नहीं था। उन्होंने एक भी क्षण अपने लिए नहीं जिया (टैनसन, 1955:222)। गांधी का दर्शन उनके सिद्धान्तों के साथ अनुबंधित था–परिणामस्वरुप राजनैतिक धर्म को सत्य, अहिंसा प्रेम, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के विमल सिद्धान्तों से जोड़कर राष्ट्र की सेवा करते रहे। वह 1920 के आन्दोलन से देश की स्वतंत्रता और मृत्युकाल तक राजनीति के व्याकरण को पढ़ने से ज्यादा लिखते रहे हैं। वह राजनीति की निर्मल धारा थे– यही कारण है कि उन्हें राजनीतिज्ञ संत की संज्ञा दी गई। वह राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि हर

आन्दोलन और हर घटना के साथी थे, नियन्ता थे तथा दिशायित करने वाले महान् व्यक्ति थे।

विनोबाजी ने भूदान के माध्यम से जहाँ भूमि समस्या के निराकरण का अहिंसात्मक प्रयास किया, वहीं प्रेम, करुणा, सहयोग एवं अहिंसा आदि को लोकजीवन में प्रतिष्ठित भी किया। उनके शब्दों में भूदान यज्ञ का कार्य भी एक अर्थ में सत्याग्रह ही है। उन्होंने भूदान को मूल्य परिवर्तन का कार्य माना। उनके शब्दों में ''लोग समझ गये कि यह जो कार्य हो रहा है, क्रान्ति का काम है और सरकार की शक्ति से परे है, क्योंकि यह जीवन परिवर्तन का काम है।'' उन्होंने भूदान के माध्यम से जन–जन के हृदय में बैठी करुणा की सुसुप्त भावना को विचार, विश्वास एवं सहकार की शक्ति से जागृत कर अहिंसा का नया प्रयोग किया।

सन्दर्भ

आधार ग्रन्थ

भावे, विनोबा (1949), *सर्वोदय के आधार*, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

भावे, विनोबा (1950), *सर्वोदय–विचार*, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली.

भावे, विनोबा (1950), *स्वराज्यशास्त्र*, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली.

भावे, विनोबा (1951), सर्वोदय यात्रा, भारत जैन महामंडल, वर्धा.

भावे, विनोबा (1954), *सर्वोदय की ओर*, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

भावे, विनोबा (1957), *भूदान गंगा 3*, संपा0– निर्मला देशपांडे, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

भावे, विनोबा (1957),सर्वोदय विचार और स्वराज्य शास्त्र, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

भावे, विनोबा (1960), *सर्वोदय दर्शन*, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली.

भावे, विनोबा (1963), *सर्वोदय पात्र*, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

भावे, विनोबा (1965), *सर्वोदय और साम्यवाद*, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ

कालेलकर, के0 (1971), *विनोबा : पर्सनालिटी एण्ड थाट्स*, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली.

गाबा, ओ0पी0 (1990), *राजनीतिक शास्त्र की रुपरेखा*, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा.

टंडन, पी0डी0 (1954), *विनोबा भावे, मैन एण्ड मिशन*, वोरा एण्ड संस, बम्बई

टंडन, विश्वनाथ (1981), *आचार्य विनोबा भावे*, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

टंडन, विश्वनाथ (1965), *द सोशल एण्ड पोलिटिकल फिलोसफी ऑफ सर्वोदय आफ्टर गाँधी*, राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली.

टैनसन, इलम (1955), *सैन्ट आन दी मार्च*, यूनीवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया, कैलीफोर्निया.

धर्माधिकारी, दादा (1983), *सर्वोदय–दर्शन*, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

नारायण, श्रीमन् (1970), *विनोबा, हिज लाइफ एण्ड वर्क*, पापुलर प्रकाशन बम्बई.

भट्ट, मीरा (1995), *संत विनोबा*, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

मशरूवाला के.जी. (2007), *गाँधी एण्ड मार्क्स*, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद

मसानी, आर0जी0 (1957), *दि फाइव ग्रिफ्ट्स*, कॉलिंस, लंदन.

महादेवन, टी0के0 (1958), ''दि पोट्रेट्स ऑफ विनोबा'', *गांधी मार्ग*, जनवरी.

अज्ञेय और इलियट : सृजन प्रक्रिया विचारों का अनुशीलन

*[1]अवनीश कुमार सिंह

हिन्दी जगत को टी.एस. एलियट की आलोचना से परिचित कराने का श्रेय मुख्य रूप से अज्ञेय को है। 'त्रिशंकु' में उन्होंने एलियट के बहुचर्चित निबन्ध **'ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टेलेण्ट'** का **'रूढ़ि और मौलिकता'** शीर्षक से लगभग भावानुवाद किया है। हिन्दी आलोचना में अज्ञेय और एलियट की तुलना का उपक्रम इसी आधार पर प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है। दोनों ही कवियों की रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि चिंतन व वैचारिक धरातल पर दोनों कवियों में समानता दृष्टिगत होती है। रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में दोनों पहले कवि हैं बाद में कुछ और। एलियट की आलोचना भी उसकी अपनी रचना–प्रक्रिया के सजग निरीक्षण का परिणाम थी इसलिए उसने इसे वर्कशाप क्रिटिसिज्म कहा है। अज्ञेय भी कवि–अलोचक की भांति 'भवन्ती', 'अन्तरा', 'शाश्वती' जैसे संकलनों को पाठकों के सम्मुख रखते हुए जाने अनजाने लिखते हैं कि ''जिस कारखाने में रचना होती है उसका भी एक सहज अवलोकन व कर ले''[1] हम देख सकते हैं कि एलियट का वर्कशाप ही अज्ञेय का कारखाना बन गया। दोनों ही रचनाकारों में कविगत व आलोचक की दृष्टि में कुछ हद तक समानता दृष्टिगत होती है।

सृजन–प्रक्रिया विषयक विचारों में भी दोनों कवियों में पूरा–पूरा प्रभाव दृष्टिगत होता है। सृजन प्रक्रिया विषयक एलियट का विचार है कि **''कवि मानस अपने अध्ययन से और जीवन के निरीक्षण से निरंतर उपादान ग्रहण करता चलता है। इस तरह का चयन कदाचित संपूर्ण संवेदनशील जीवन पर्यन्त चलता रहता है।''**[2] रचना के निर्माण में इसी संग्रह में से कतिपय त त्व अनुस्यूत होते हैं। अज्ञेय भी इस सन्दर्भ में लिखते हैं कि ''कलाकार का मन एक प्रकार का भण्डार है जिसमें अनेक प्रकार की अनुभूतियां, शब्द, विचार, चित्र इकट्ठे हुए रहते हैं, उस क्षण की प्रतिक्षा में जब तक कि कवि प्रतिभा के ताप से एक नया रसायन, एक चमत्कारिक योग उत्पन्न नहीं हो जाता।''[3] यह क्षण अनिर्दिष्ट होता है। जब तक कोष टूट नहीं जाते, हम नहीं जान पाते कि कैसा अंडा सेया जा रहा था।

अज्ञेय के सृजन–विषयक विचारों पर उपर्युक्त विचारों का पूरा–पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। उनका मानना है कि, **''सृजन चेष्टत व्यापार नहीं**

* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

है, दिये हुए ढाँचे पर साहित्य का निर्माण कराने की आशा भ्रामक है परिणाम को परखकर उसकी चेष्टा का आरोप बीज पर कर देना भूल है आदि।''[4] सर्जन की प्रक्रिया जहां चेष्टा रहित है वहीं चयन की प्रक्रिया पर भी विशेष महत्व देती है। **'अन्तरा'** में कहते हैं कि **''सर्जक–प्रतिभा निरन्तर चयन भी करती है, अनुभूतियों अनुभवों का, विचारों–कल्पनाओं का, शब्दों, ध्वनियों अर्थ अभिप्रायों का, जिन सबको कूट–पीस, छान–सान जला पकाकर वह भी कला रूप की सृष्टि करेगा।''**[5] अज्ञेय का मनना है कि सर्जना के क्षण लम्बे होते हैं। जहां स्वयं पकता है। उसका मानना है कि **''सहसा उदित होने वाला सत्य वास्तव में सहसा मूर्त नहीं होता, मूर्ति का उद्‌घाटन ही सहसा होता है और हम उद्‌घाटन के क्षण को निर्माण का क्षण मान लेते हैं यद्यपि वह न जाने कितने लम्बे संचय–अपचय, क्षरण–निरूपण का परिणाम होता है।''**[6] सृजन के सम्बन्ध में अज्ञेय का मानना है कि सत्य सहसा उदित होता है मूर्त नहीं।

''लंबे सर्जना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते
बूंद स्वाती की भले हो
बेंधती है मर्म सीपी का उसी निर्मम त्वरा से
वज्र जिसमें फोड़ता चट्‌टान को
भले ही फिर व्यथा के तम में
बरस पर बरस बीते
एक मुक्ता रूप को पकते।''[7]

अज्ञेय ने रचना के क्षणों का और उसमें रचनाकार की विवशता का जो विवेचन किया है वह एलियट से प्रभावित जान पड़ता है। एलियट ने लिखा कि उस कविता में जो उपदेशात्मक या वर्णनात्मक नहीं होती और न ही जिसका व्यक्त कोई सामाजिक लक्ष्य होता है, कवि इस दुर्बोध्य वृत्ति को पद्य में ढालने का प्रयत्न करता है। ''जब तक वह कह नहीं चुकता वह यह बताने की स्थिति में नहीं होता कि उसे क्या कहना है इस कहने के यत्न में वह दूसरे को कुछ भी समझाने की चिंता से कतई ग्रसित नहीं होता।''[8] अज्ञेय के निकट भी **''सर्जन एक यन्त्रणा भरी प्रक्रिया है।''**[9] लेकिन फिर भी रचना–कर्म में प्रवृत्त होना कवि की विवशता है **''यह विवशता वैयक्तिक ही नहीं परिस्थितिकी भी मानी गई है।''**[10] लेकिन कालान्तर में यह वैयक्तिक ही स्वीकार की गयी अज्ञेय स्वयं लिखते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ– लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उसी आन्तरिक विवशता से मुक्ति

पाने के लिए तटस्थ हो कर उसे देखने पहचान लेने के लिए लिखता हूं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं।[11]

सृजन प्रक्रिया में रचनात्मक आवेश की जिस स्थिति को एलियट ने प्रेतबाधा कहा है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उसने उसे मनोसामग्री भी कहा है। इसके भी पहले उसने **''द यूज ऑव पोइट्री''** में भी 'अवचेतन का दबाव' कहा है। रचनात्मक आवेश की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए अज्ञेय ने भी उसे अवचेतन का दबाव ही माना है। उन्होंने लिखा है कि **''देवता के आवेश की भी मैंने चर्चा की थी लेकिन मनोरचना में चेतन और अवचेतन का उल्लेख करने के बाद यह स्पष्टीकरण उचित ही होगा और शायद संगत भी कि प्रतिज्ञा के उन्मेष में यह आवेश किसी बाहरी सत्ता, यक्ष अथवा देवता का आवेश नहीं होता है।''**[12]

सृजन की स्वतः स्फरणता पर ही नहीं उसमें अभ्यास की आवश्यकता पर भी दोनों के विचारों में समानता मिलती है। एलियट इस संदर्भ में लिखते हैं कि **''कवि को निरन्तर रचने का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि जब प्रेरक क्षण आये तब वह उसके लिए अपने को तत्पर पाए।''**[13] अज्ञेय भी सृजन में अभ्यास पर बल देते हुए लिखते हैं कि **''जिस खेत से बीज अंकुति होगा, उसकी निराई करते रहना अंकुरण की प्रक्रिया में योग देना है।''**[14] अज्ञेय की बात देशी रंगत के करण ही विशेष नहीं है बल्कि वह अधिक सटिक व कलापूर्ण है।

एलियट का कवि कविता रचते समय उसे रच डालने के अतिरिक्त और कोई सरोकार नहीं रखता और रचकर वह उसके प्रति तटस्थ हो जाता है। रचित कविता के लिए अज्ञेय का कवि भी कुछ ऐसा ही करता है। **''वह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है''**,[15] और **''इसी प्रकार जब कृतिकार कृति को अंतिम रूप से अपने से अलग कर देता है, कृति तब पाठक की हो जाती है और कृतिकार उससे मुक्त हो जाता है।''**[16] कभी एलियट ने रचयिता के व्यक्तित्व निरा माध्यम माना था, ऐसा माध्यम जो निर्माण में योग तो देता है लेकिन स्वयं उससे अछूता रह जाता है। परन्तु कालान्तर में उसने अनुभव किया कि लेखक अपना स्व ही पात्र को प्रदान नहीं करता बल्कि वह अपने स्वयं रचित पात्रों से प्रभावित भी होता है अज्ञेय भी इस बात का इसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ''कृति जितनी कृतिकार द्वारा रची जाती है उतनी स्वयं कृतिकार को रचती भी है।''[17]

इस प्रकार प्रक्रिया–विषयक दोनों के विचारों में काफी दूर तक समानता मिलती है। दोनों ही रचना के नियामतीत उन्मेष मूलक धर्म पर बल देते हैं। दोनों के लिए सृजन एक यातना है। रचकर ही कवि उससे मुक्ति पाता है निरन्तर अभ्यास उसका इस कार्य में सहायक होता है। दोनों ही विद्वानों में समानता का एक मुख्य कारण है कि दोनों में साहित्य को साहित्य के रूप में

देखने का आग्रह मौलिक रूप से विद्यमान है। वहीं इसका दूसरा हेतु अज्ञेय द्वारा किए गये एलियट के अनुशीलन का जाने अनजाने उन पर आया प्रभाव है।

प्रस्तुत संदर्भ में ही विचार करेंगे तो देखेंगे कि सृजन–प्रक्रिया दोनों के निकट लगभग एक सी है परन्तु सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों में एक तात्विक अंतर भी है। एलियट का कवि एक आभ्यंतर विवशता के कारण रचता है, रचता अज्ञेय का कवि भी अपनी आभ्यांतर विवशता के कारण ही है लेकिन दोनों में तात्विक अन्तर यह है कि अज्ञेय का कवि रचकर अपनी विवशता को पा लेता है जबकि एलियट ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि कवि रचकर अपनी विवशता को पा लेता है।

एब्बे ब्रेमांड कहते हैं कि **''कोई कवि जितना ही अधिक वह कवि है अपने अनुभवों को सम्प्रेषित किए जाने की आवश्यकता से उतना ही अधिक पिड़ित रहता है।''**[18] एलियट ने ऐसे विचारों का तीव्र खण्डन किया यदि कविता को एक निश्चित अनुभव का सम्प्रेषण मान लिया जाय तो कवि को उस विवशता को पा लेने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता जिससे वह पीड़ित होता है। एलियट का विचार है कि **''कवि मानस में कई अनुभव और अन्य तत्व इस प्रकार घुले–मिले रहते हैं कि कविता की रचना करते हुए कवि उनमें से किसे व्यक्त करने के लिए कितना उद्विग्न होता है इसे जान पाना स्वयं कवि के लिए भी संभव नहीं रह पाता''**[19] कवि को अपनी विवशता को नहीं पहचान पाना इस विचार की पूर्ण संगति में ठहरेगा।

कविता और कवि के सम्बन्धों पर विचार करते हुए एलियट ने और भी स्पष्ट किया है कि **''रचना रच चुकने के बाद कवि को उसके विशेषाधिकार सम्पन्न जानकर नहीं माना जा सकता।''**[20] इसमें कवि की स्थिति सामान्य पाठक से विशेष भिन्न नहीं रह जाती, इसलिए उसकी कविता रचने अपनी विवशता के हेतु को नहीं पा सकने की बात स्पष्ट हो जाती है। यदि कवि अपनी विवशता के हेतु को पा ले तो उसे उसका विशेष जानकर मानना ही तर्क–संगत होगा। अज्ञेय इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कवि कविता रचकर अपनी हेतुभूत विवशता को जान लेता है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सृजन–प्रक्रिया के प्रसंग पर अज्ञेय के विचार चाहे एलियट से कितने ही प्रभावित क्यों न हो समग्र रूप में देखे जाने पर उनका मन्तव्य एलियट की न केवल अनुकृति नहीं है कुछ भिन्नता भी है। एलियट का अज्ञेय पर प्रभाव है न कि अनुकरण।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शाश्वती, अज्ञेय, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1979, पृ. 5
2. द यूज, एलियट, पृ. 78
3. त्रिशंकु, अज्ञेय, सूर्य मंदिर प्रकाशन, बीकानेर, 1945, पृ. 38
4. वही, पृ. 68
5. अन्तरा, अज्ञेय, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1975, पृ. 6
6. आत्मनेपद, अज्ञेय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 1971, पृ. 228
7. इन्द्रधनु रौंदे हुए ये, सं. अज्ञेय, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1996, पृ. 909
8. आन पोइट्री,एलियट, वैन्हम बुक पब्लिशिंग हाउस, 1978, पृ. 98
9. भवन्ती, अज्ञेय, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1972, पृ. 5
10. त्रिशंकु, अज्ञेय, सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर, 1945, पृ. 73
11. आत्मनेपद, अज्ञेय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्करण 1971, पृ. 236
12. जोग लिखी, अज्ञेय, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1977, पृ. 66
13. एजरा पाउण्ड की लिखी कविताओं में एलियट की भूमिका के सम्बन्ध में, पृ. 78
14. जोग लिखी, अज्ञेय, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1977, पृ. 69
15. आत्मनेपद, सं. अज्ञेय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्करण 1971, पृ. 239
16. आत्मनेपद, सं. अज्ञेय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, संस्करण 1971, पृ. 7
17. जोग लिखी, सं0 अज्ञेय, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1977, पृ. 112
18. द यूज, एव्वे व्रेमांड, पृ. 138
19. वही, पृ. 30
20. द यूज, एव्वे व्रेमांड, पृ. 124

वेदों में नारी का महत्व

* डॉ0 ज्योति रानी जायसवाल

नारी जाति के विषय में वेदों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ हैं। भारतीय समाज में वेदों पर यह दोषारोपण किया जाता है कि वेदों के कारण नारी जाति को सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, अशिक्षा, समाज में नीचा स्थान, विधवा का अभिशाप, नवजात कन्या की हत्या आदि अत्याचार हुये हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारी की अपमानजनक स्थिति पश्चिम से लेकर पूर्व तक के सभी देशों के इतिहास में देखने को मिलती है। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेद इन अत्याचारों में से एक का भी समर्थन नहीं करते अपितु वेदों में नारी को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि विश्व की किसी भी धर्म पुस्तक में उसका अंश भर भी देखने को नहीं मिलता।

वेदो में नारी की स्थिति अत्यन्त गौरवास्पद वर्णित हुई है। वेद की नारी देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है। आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्म पत्नी है, सद्गृहणी है, साम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली हैं उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने वाली है। मर्यादाओं का पालन करने वाली है। जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है। यदि गुण कर्मानुसार क्षत्रिया है। तो धनुर्विद्या में निष्णात होकर राष्ट्र रक्षा में भाग लेती है। यदि वैश्य के गुण कर्म है उच्चकोटि कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि में योगदान देती है और शिल्पविद्या की भी उन्नति करती है। वेदों की नारी पूज्य है, स्तुति योग्य है, रमणीय है, आहवान योग्य है, सुशील है, बहुश्रुत है, यशोमयी है। स्त्री अबला नहीं सबला हैं स्त्री सरस्वती तुल्य प्रतिष्ठित है।

वैदिक काल से आज तक भारतीय नारी हमेशा कुलदेवी समझी जाती हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सभी प्रकार से अच्छी थी। ऋग्वेद में 24 और यजुर्वेद में 5 विदुषियों का उलल्ेख है। ऋग्वेद में नारी विषयक 422 मंत्र हैं। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद.

किसी धर्मग्रन्थ में नहीं है। वेद उन्हें घर की सामाग्री कहते हैं और देश के शासक, पृथ्वी का साम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं।

वेदों में स्त्री यज्ञीय हैं अर्थात यज्ञ समान पूजनीय। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली, देवी, विदुषी, सरस्वती, इन्द्राणी, उषा जो सबको जगाती हैं इतयादि अनेक आदर सूचक नाम दिये गये हैं। वेदों में अनेक सूक्त हैं।

जैसे ऋग्वेद 10/134, 10/40, 8/91, 10/95, 10/107, 1/107, 10/109, 10/154, 10/159 अनेक ऋषिकायें वेद मंत्रों की द्रष्टा है— अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्व द्वारा आत्रेयी आदि।

यह ऋषिकायें न केवल वेदों को पढ़ती थीं और उनके रहस्य को समझती थी अपितु उनका प्रचार भी करती थी।

वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गयी है। वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्ययापन से लेकर रणक्षेत्र में भी जाती थी। वेदो में नारी के स्वरूप की झलक इन मंत्रों में व्यक्त है :—

यजुर्वेद 20.9— स्त्री और पुरूष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है।

यजुर्वेद 17.45— स्त्रियों की भी सेना हो। स्त्रियों को भी युद्ध में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें।

यजुर्वेद 10.26— शासकों की स्त्रियाँ अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हों।

अथर्ववेद 14.9.6— माता–पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमता और विद्याबल का उपहार दें। वे उसे ज्ञान का दहेज दें।

अथर्ववेद 7.47.1— हे स्त्री! तुम सभी कर्मों को जानती हो; हे स्त्री! तुम हमें ऐश्वर्य और समृद्धि दो।

अर्थर्ववेद 11.5,18— ब्रह्मचर्य सूक्त के इस मंत्र में कन्याओं के लिये भी ब्रहमचर्य और विद्या ग्रहण करने के बाद विवाह करने के लिये कहा गया है।

अथर्ववेद 7,47— हे स्त्री तुम सभी कर्मो को जानती हो; तुम हमें ऐश्वर्य और समृद्धि दो।

अथर्ववेद 11,1,17— ये स्त्रियाँ शुद्ध पवित्र और यज्ञीय है। ये प्रजा पशु और अन्न देती है।,

अथर्ववेद 12.1.25— हे मातृभूमि कन्याओं में जो तेज होता है, वह हमें दो।

ऋग्वेद 3,31,1— पुत्रों की ही भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समाज रूप से उत्तराधिकारी है।

ऋग्वेद (पृ0 121–147)–

1. स्त्रियाँ वीर हों। (प्र0 122, 128)
2. स्त्रियाँ सुविज्ञ हों (प्र0 122, 128)
3. स्त्रियाँ यशस्वी हों – (पृ0 123)
4. स्त्रियाँ रथ पर सवारी करें; स्त्रियाँ विदुषी हों – (पृ0 123)
5. स्त्रियाँ संपदाशाली और धनाढय हों – पृ0 125।
6. स्त्रियाँ बुद्धिमती और ज्ञानवती हों– पु0 126
7. स्त्रियाँ परिवार समाज की रक्षक हो और सेना में जायें– (पृ0 134–136)
8. स्त्रियाँ तेजोमयी हों– (पु0 137)
9. स्त्रियाँ धन धान्य और वैभव देने वाली हो (पृ0 141–146)

ऋग्वेद (8.33.19)– 'स्त्री ही ब्रह्म बभूविथ अर्थात स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा बनें'।

ऋग्वेद (1.964.41)– स्त्री जिसका मन एक पारदर्शी स्फटिक जैसे परिशुद्ध जल की तरह हो वह एक वेद, दो वेद, या चार वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अथर्ववेद, इत्यादि के साथ ही छः वेदांगो–शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त ज्योतिष और छंद को प्राप्त करें और इस वैविध्य पूर्ण ज्ञान को अन्यों को भी दें।

स्त्री को परिवार और पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र की साम्राज्ञी के रूप का भी वर्णन करते हैं।

ऋग्वेद के कई सूक्त उषा को देवता के रूप में वर्णन करते हैं और इस उषा को एक आदर्श स्त्री के रूप में माना गया है। कृपया पंश्रीवाद दामोदर सातवलेकर द्वारा लिखित ''उषा देवता'' ऋग्वेद का सुबोध भाष्य देखें''

वेदों के बाद मनुस्मृति ही स्त्री को सर्वोच्च सम्मान और अधिकार देती है। आज के अत्याधुनिक स्त्रीवदी भी इस उच्चता तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं– अत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलः क्रियाः। (मनुस्मृति 3.56), जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है। वहाँ देवता अर्थात दिव्यगुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं और जहाँ इनका आदर सम्मान नहीं होता वहाँ अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल हो जाते हैं भले ही वे कितना ही श्रेष्ठ कर्म कर लें उन्हें अत्यन्त दुःखों का सामना करना पड़ता है।

चारों वेदों में नारी विषयक सैकड़ों मन्त्र दिए गए हैं जिनसे स्पष्ट है कि वैदिक काल में समाज में नारी को एक ऊँचा स्थान प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण में भी नारी का गौरवगाथा गाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी नारी को सावित्री कहा गया है पत्नी के बिना जीवन अधूरा है। पत्नी साक्षात् श्री है।

आज नारी के जीवन में हर मोड़ में बदलाव परिलक्षित होते हैं उसके व्यक्तित्व में ठहराव नहीं गतिशीलता है। वह एक श्रोत है जो कभी नहीं सूखता निरन्तर प्रवाह्मान हैं वह अविरत गति से बहती रहती है लेकिन मंद नहीं पड़ती। वही मानवता का हेतु है और वही मानवता का सेतु भी है। नारी को खुली किताब की संज्ञा दें तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं, उस ममता का आंचल सबको आश्रय देता है सभी रिश्ते उससे जुड़कर सार्थक होते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

Women In Vedas, Shakuntala Rao

Rigveda Samhita, VOL – XIII, Swami Satya Prakash Saraswati & Satyakam V idyalankaat Ved Pratishthan, New Delhi.

सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द सरस्वती, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2003.

वैदिक नारी रचियता, रामनाथ वेदालंकार

मेरा धर्म, प्रियव्रत वेदवाचस्पति प्रकाशन मंदिर गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

'उषा देवता' ऋग्वेद का सुबोध भाष्य पं0 श्री पाद् दामोदर सातवलेकर स्वाह्याय मंडल औध।

अथर्ववेद हिन्दी भाग 1–2, क्षेमकरणदान, त्रिवदी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य अध्याय 7–10

ऋग्वेद भाष्यम, भाग 111, स्वामी दयानंद सरस्वती, वैदिक यन्त्रालय

वंग भृणीय, डा0 प्रियंवदा वेदभार

सदस्यता प्रपत्र

सामाजिक निर्वचन

अन्तर्विषयी सांदर्भिक शोध पत्रिका

नाम ....

पद ....

संस्था / संगठन ....

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विभाग ....

पत्राचार का पता ....

....

.... पिन ....

दूरभाष (कार्यालय) .... (आवास) ....

मोबाइल .... फैक्स ....

शुल्क का विवरण :

ड्राफ्ट संख्या / चेक संख्या .... दिनांक ....

रुपये .... देय पक्ष ....

सदस्यता "अरूण कुमार सिंह" के नाम लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट / चेक द्वारा भेजी जाय।

सदस्यता दर

	भारत		अन्य देश	
	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत
आजीवन	3000रु.	5000रु.	150 डालर	250 डालर
तीन वर्ष	1500रु.	2000रु.	75 डालर	200 डालर
एक वर्ष	100रु.	10000रु.	50 डालर	10 डालर

पत्र व्यवहार का पता

सम्पादक

सामाजिक निर्वचन

538 क / 494 त्रिवेणी नगर, द्वितीय सीतापुर रोड, लखनऊ–228020

लेखक के लिए आमंत्रण

'सामाजिक निर्वचन' बाबू जी सर्वयश सेवा संस्थान, लखनऊ (भारत) का सांदर्भिक अन्तर्विषयी एवं अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका है। इस शोध पत्रिका की प्रकृति क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय एवं सामाजिक विकास के मुद्दों को समाहित करने की है। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य अन्तर्विषयी विज्ञानों से सम्बन्धित तत्यपरक, शोधपरक एवं मौलिक विचारों को एक स्थान पर समाहित तथा चतुर्दिक विस्तारित करना है। सामाजिक निर्वचन मौलिक शोध प्रपत्र, आनुभविक शोध प्रतिवेदन, लघु शोध प्रतिवेदन, शोध समाचार और पुस्तक समीक्षा प्रकाशन हेतु स्वागत करता है।

लेखकों से निवेदन : लेख दो प्रतियों में फुलस्केप पृष्ठ पर साफ्ट कापी सहित (क्रुतिदेव फॉण्ट में) टंकित कराकर भेजें। लेख के साथ लेख का सार-संक्षेप अवश्य भेजा जाय। लेख के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश अवश्य होने चाहिए-

शीर्षक : लेख के प्रथम पृष्ठ पर लेख का शीर्षक, लेखक का नाम, सम्प्रति लेखक का पता, ई-मेल, फोन नम्बर एवं लेख का सार संक्षेप अवश्य होना चाहिए। यदि एक से अधिक लेखक होंगे तो प्रथम लेखक से पत्राचार किया जायेगा अन्यथा जैसा अनुरोध होगा।

सारिणी : प्रत्येक सारिणी पृथक् टंकित होनी चाहिए और अंकगणितीय क्रम में दर्शित होनी चाहिए।

दृष्टान्त चित्र : दृष्टांत चित्र पूरी तरह स्पष्ट, संक्षिप्त एवं पुनर्छायांकन योग्य (दृष्टांत चित्र का आकार 120×180 मिमी./80×160मिमी.अधिकतम) होना चाहिए। समस्त दृष्टांत चित्र संदर्भित होनी चाहिए।

छायाचित्र : छायाचित्र पुनर्छायांकन योग्य (छायाचित्र का आकार 120×80मिमी./80×160मिमी.अधिकतम) होना चाहिए। श्वेत-श्याम अथवा रंगीन छायाचित्र के पुनर्छायांकन का व्यय लेखक/लेखकों को वहन करना होगा।

सूची : सारिणी, चित्र एवं दृष्टांत चित्र पाण्डुलिपि के साथ संलग्न होनी चाहिए।

संदर्भ : लेख में प्रयुक्त टिप्पणी एवं उद्धरणों का संदर्भ लेख के अन्त में उसी क्रम में लिखा जाय जिस प्रकार उनका प्रयोग लेख में किया गया है। लेख में उनके सैत क्रमांक में दिये जायें। अंग्रेजी के संदर्भ ग्रन्थों का विवरण भी देवनागरी लिपि में दिया जाय। संदर्भ सूची में स्रोत का विवरण अग्रलिखित क्रम में करें :

ग्रन्थ : लेखक/लेखकों का नाम (प्रथम, द्वितीय .... एवं शीर्षनाम के क्रम में), ग्रन्थ का शीर्षक, प्रकाशन-स्थल, प्रकाशन का नाम, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या।

सम्पादित ग्रन्थ का लेख : लेखक/लेखकों का नाम (ग्रन्थ लेखक की भाँति), एकल उर्ध्व विराम में लेख का नाम, ग्रन्थ का नाम (इटैलिक), प्रकाशन स्थल, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, लेख/पाठ की प्रारम्भिक एवं अंतिम पृष्ठ संख्या।

समाचार पत्र/पत्रिकाएँ : लेखक/लेखकों का नाम (ग्रन्थ लेखक भाँति), लेख का नाम, समाचार पत्र/पत्रिका का नाम, प्रकाशन आवृत्ति (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि) प्रकाशन तिथि/समय, पृष्ठ सख्या।

व्याख्यान/सेमिनार/गोष्ठी में प्रस्तुत प्रपत्र का व्याख्यान : लेखक/व्याख्याता का नाम (ग्रन्थ लेखक की भाँति), लेख/व्याख्यान का शीर्षक, सेमिनार का शीर्षक, आयोजन संस्था का नाम, आयोजन तिथि।

प्रतिवेदन : प्रकाशन संस्था का नाम, लेख शीर्षक, प्रतिवेदन शीर्षक, प्रतिवेदन संस्था/शृंखला संख्या, प्रकाशन संस्थान, प्रकाशन का नाम, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या।

शोध-प्रबन्ध : अनुसंधानकर्ता का नाम (ग्रन्थ लेखक की भाँति), शोध का शीर्षक, उपशीर्षक सहित (अप्रकाशित, प्रकाशित) शोध प्रबन्ध, संस्था का नाम, वर्ष, पृष्ठ संख्या।

वेबसाईट : डब्ल्यू.डब्ल्यू,डब्ल्यू.साइट का नाम, तिथि।

आनुभविक लेख : प्रस्तावना/आधारपीठिका, शोध प्रविधि, उपलब्धियाँ, निष्कर्ष एवं सन्दर्भ शीर्षकों के अन्तर्गत लिखे जायें।

किसी भी लेख को स्वीकार/अस्वीकार करने एवं पुनरीक्षण हेतु वापस करने का अधिकार सम्पादक मण्डल को होगा। पुस्तक समीक्षा हेतु नव प्रकाशित ग्रन्थों की दो प्रतियाँ प्रकाशन तिथि से छः माह के अन्दर सम्पादक के नाम प्रषित की जाय।

लेखक एवं प्रकाशन सम्बन्धी समस्त पत्र-व्यवहार का पता : सम्पादक, 'सामाजिक निर्वचन', 538क/496 त्रिवेणी नगर, द्वितीय, लखनऊ, उ.प्र., पिन 2260201

प्रकाशन हेतु भेजे गये लेखों का प्रकाशन तभी सम्भव होगा जब लेख के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न हो कि लेख न तो अन्यत्र प्रकाशित हुआ है और न ही अन्य कहीं प्रकाशनार्थ प्रेषित किया गया है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों का कोई भी अंश सम्पादक की अनुमति के बिना पुनर्मुद्रित अथवा अनुवाद नहीं किया जा सकता।